कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

(1948 का अधिनियम संख्यांक 34)[1]

[19 अप्रैल, 1948]

बीमारी, मातृत्व और रोजगार-क्षति की दशा में कर्मचारियों के लिए कतिपय हितलाभों का उपबन्ध करने और उनके संबंध में कतिपय अन्य बातों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

बीमारी, मातृत्व और रोजगार-क्षति की दशा में कर्मचारियों के लिए कतिपय हितलाभों का उपबन्ध करना और उनके संबंध में कतिपय अन्य बातों का उपबन्ध करना समीचीन है;

अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू होना-(1)** यह अधिनियम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 कहा जा सकेगा |

(2) इसका विस्तार [2]... सम्पूर्ण भारत पर है |

(3) यह उस तारीख या उन तारीखों[3] को प्रवृत्त होगा जिसे या जिन्हें केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए और [4][विभिन्न राज्यों के लिए या उनके विभिन्न भागों के लिए] विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी |

(4) यह प्रथमत: मौसमी कारखानों से भिन्न सब कारखानों को (जिनके अन्तर्गत सरकार के कारखाने आते हैं) लागू होगा :

[5][परंतु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी ऐसे कारखाने या स्थापन को लागू नहीं होगी जिसके कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित फायदों के सारभूत रूप से समरूप या उच्चतर फायदे अन्यथा प्राप्त कर रहे हैं |]

(5) समुचित सरकार, निगम से परामर्श करके, और [6][जहां समुचित सरकार राज्य सरकार है वहां केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से], ऐसा करने के अपने आशय की छह मास की सूचना, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, देने के पश्चात्, इस अधिनियम के उपबन्धों का या उनमें से किसी का भी विस्तार किसी अन्य स्थापन या स्थापनों के वर्ग पर, चाहे वे औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषिक या अन्य प्रकार के हों, कर सकेगी :

---

1. इस अधिनियम का विस्तार 1954 के अधिनियम सं. 20 की अनुसूची 4 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के देहरादून जिले के जोनसार बाबर पर गना पर और मिर्जापुर जिले में दक्षिणी केयमपुर रेंज के क्षेत्र पर; 1963 के विनियम 7 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा पाण्डिचेरी पर और 1963 के विनियम 11 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर किया गया है |
2. 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 2 द्वारा "भाग ख राज्य के सिवाय" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे जिसका 1970 के अधिनियम सं. 51 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (1 सितम्बर, 1971 से) लोप किया गया|
3. तारीखों के लिए उपबन्ध देखिए |
4. 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 2 द्वारा "विभिन्न राज्यों के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित |
5. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 2 द्वारा (20-10-1989 से) अंत:स्थापित |
6. 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 2 द्वारा "केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से" के स्थान पर प्रतिस्थापित |

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

(अध्याय 1-प्रारम्भिक ।)

[1][परन्तु जहां इस अधिनियम के उपबन्ध किसी राज्य के किसी भाग में प्रवृत्त किए गए हैं वहां उक्त उपबन्धों का विस्तार उस भाग के भीतर किसी ऐसे स्थापन या स्थापनों के वर्ग तक हो जाएगा यदि उन उपबन्धों का विस्तार उस राज्य के किसी अन्य भाग में समरूप स्थापन या स्थापनों के वर्ग तक पहले से ही किया गया है।]

[2][(6) कोई ऐसा कारखाना या स्थापन, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, इस अधिनियम द्वारा इस बात के होते हुए भी शासित होता रहेगा कि उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से किसी समय कम हो जाती है या उसमें विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से की जानी बन्द हो जाती है ।]

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

(1) "समुचित सरकार" से केन्द्रीय सरकार या [3][रेल प्रशासन] के नियंत्रणाधीन स्थापनों या महापत्तन या खान या तेलक्षेत्र की बाबत केन्द्रीय सरकार और अन्य सब दशाओं में राज्य सरकार अभिप्रेत है;

[4][(2) "हितलाभ-कालावधि" से अंशदान-कालावधि की तत्संबंधी, [5]*** छह क्रमवर्ती मासों से अनधिक की वह कालावधि अभिप्रेत है जो विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए :

परन्तु प्रथम हितलाभ-कालावधि की दशा में दीर्घतर [6]*** कालावधि विनियमों द्वारा या उनके अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकेगी;]

(3) "प्रसवावस्था" से अभिप्रेत है ऐसी प्रसव-वेदना जिसके परिणामस्वरूप जीवित बालक पैदा हो, या गर्भधारण के छब्बीस सप्ताह पश्चात्, की ऐसी प्रसव-वेदना, जिसके परिणामस्वरूप जीवित या मृत बालक पैदा हो;

(4) "अंशदान" से प्रधान नियोक्ता द्वारा निगम को कर्मचारी की बाबत संदेय धनराशि अभिप्रेत है और कर्मचारी द्वारा उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संदेय रकम इसके अन्तर्गत आती है ।

[7][(5) "अंशदान-कालावधि" से [5]*** छह क्रमवर्ती मास से अनधिक की वह कालावधि अभिप्रेत है जो विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए :

परन्तु प्रथम अंशदान कालावधि की दशा में दीर्घतर [6]*** कालावधि विनियमों द्वारा या उनके अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकेगी,]

(6) "निगम" से इस अधिनियम के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम अभिप्रेत है;

[8][(6क) "आश्रितजन" से किसी मृत बीमाकृत व्यक्ति के निम्नलिखित नातेदारों में से कोई भी अभिप्रेत है, अर्थात्:-

(i) विधवा, धर्मज या दत्तक अवयस्क पुत्र, धर्मज या दत्तक [9][अविवाहिता पुत्री]

[10][(iक) [विधवा माता;]

---

1. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 2(ii) द्वारा (16-5-1990 से) अंत:स्थापित ।
2. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 2(iii) द्वारा (20-10-1989) से अंत:स्थापित ।
3. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "संघीय रेल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 3 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) खण्ड (2) का लोप समझा जाएगा जो 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 3 द्वारा मूल खण्ड के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था ।
5. 1984 के अधिनियम सं. 45 की धारा 2 द्वारा (27-1-1985 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
6. 1984 के अधिनियम सं. 45 की धारा 2 द्वारा (27-1-1985 से) "या लघुतर" शब्दों का लोप किया गया ।
7. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 3 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) खण्ड (5) का लोप समझा जाएगा जो 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 3 द्वारा मूल खण्ड के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था ।
8. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 2 द्वारा (28-1-1968 से) अंत:स्थापित ।
9. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 3(iii) द्वारा (20-10-1989 से) कुल शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
10. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 3(iii) द्वारा (20-10-1989 से) अंत:स्थापित ।

(ii) धर्मज या दत्तक पुत्र या पुत्री जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और जो शिथिलांग है, यदि वह बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके उपार्जनों पर पूर्णत: आश्रितजन था या थी;

(iii) निम्नलिखित व्यक्ति यदि वह बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके उपार्जनों पर पूर्णत: या भागत: आश्रितजन था या थी :-

(क) माता-पिता जिसके अन्तर्गत विधवा माता नहीं आती,

(ख) अवयस्क अधर्मज पुत्र, अविवाहिता अधर्मज पुत्री या यदि विवाहिता है और अवयस्क है या यदि विधवा है और अवयस्क है तो पुत्री चाहे वह धर्मज हो या दत्तक या अधर्मज,

(ग) अवयस्क भाई या अविवाहिता बहिन या यदि अप्राप्तवय है तो विधवा बहिन,

(घ) विधवा पुत्र-वधु,

(ङ) पूर्वमृत पुत्र की अवयस्क संतान,

(च) पूर्वमृत पुत्री की कोई अवयस्क संतान, यदि उस संतान के माता-पिता में से कोई भी जीवित नहीं है, अथवा

(छ) यदि बीमाकृत व्यक्ति के माता-पिता में से कोई भी जीवित नहीं है तो पितामह-पितामही;]

(7) "सम्यक् रूप से नियुक्त" से इस अधिनियम के उपबन्धों या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुसार नियुक्त अभिप्रेत है;

[1][(8) "रोजगार-क्षति" से अपने ऐसे रोजगार से, जो बीमा योग्य रोजगार हो, और उसके अनक्रम में उद्भूत दुर्घटना से या उपजीविकाजन्य रोग से कर्मचारी को कारित वैयक्तिक क्षति अभिप्रेत है चाहे वह दुर्घटना या उपजीविकाजन्य रोग भारत की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर हुई हो या लगा हो या बाहर;]

(9) "कर्मचारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी ऐसे कारखाने या स्थापन में, जिस पर यह अधिनियम लागू है, या उसके काम के संबंध में मजदूरी पर नियोजित है, और —

(i) जो उस कारखाने या स्थापन के किसी काम पर, या उस कारखाने या स्थापन के काम के आनुषंगिक या प्रारम्भिक या उससे संबद्ध किसी काम पर, प्रधान नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित है, चाहे ऐसा काम कर्मचारी द्वारा कारखाने या स्थापन में किया जाता हो या अन्यत्र; अथवा

(ii) जो आसन्न नियोक्ता द्वारा या उसके माध्यम से कारखाने या स्थापन के परिसर में या प्रधान नियोक्ता या उसके अभिकर्ता के पर्यवेक्षण के अधीन ऐसे काम पर नियोजित है जो मामूली तौर पर कारखाने या स्थापन के काम का भाग है या जो कारखाने या स्थापन में किए जाने वाले काम का प्रारम्भिक है या उस कारखाने या स्थापन के प्रयोजन का प्रासंगिक है; अथवा

(iii) जिसकी सेवाएं प्रधान नियोक्ता को उस व्यक्ति द्वारा अस्थायी रूप से उधार या भाड़े पर दी गई है, जिसके साथ उस व्यक्ति ने जिसकी सेवाएं इस प्रकार उधार या भाड़े पर दी गई हैं, कोई सेवा-संविदा कर रखी है;

[2][और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो कारखाने या स्थापन के या उनके किसी भाग, विभाग या शाखा के प्रशासन से या उस कारखाने या स्थापन के लिए कच्चे माल के क्रय से या उसके उत्पादों के वितरण या विक्रय से

---

1. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 2 द्वारा (28-1-1968 से) मूल खंड (8) के स्थान पर प्रतिस्थापित |
2. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 2 द्वारा (28-1-1968 से) "किन्तु इसके अन्तर्गत—" के स्थान पर प्रतिस्थापित |

संबंधित किसी काम पर मजदूरी पर नियोजित हो, [1][या शिक्षु के रूप में रखा गया कोई ऐसा व्यक्ति जो शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अधीन या स्थापन के स्थायी आदेशों के अधीन रखा गया शिक्षु नहीं है, किन्तु इसके अन्तर्गत—]

(क) [2][भारतीय] नौसेना, सेना या वायुसेना का कोई सदस्य; अथवा

[3][(ख) इस प्रकार नियोजित ऐसा व्यक्ति जिसकी मजदूरी (अतिकालिक काम के लिए पारिश्रमिक को छोड़कर) [4][एक हजार छह सौ रुपये], मासिक से अधिक हो, नहीं आता :

परन्तु ऐसा कर्मचारी, जिसकी मजदूरी (अतिकालिक काम के लिए पारिश्रमिक को छोड़कर) अंशदान कालावधि के आरम्भ के पश्चात् (न कि पूर्व) किसी भी समय [4][एक हजार छह सौ रुपये] मासिक से अधिक हो जाए, उस कालावधि के अंत तक कर्मचारी बना रहेगा;]

(10) "छूट-प्राप्त कर्मचारी" से वह कर्मचारी अभिप्रेत है जो कर्मचारी -अंशदान देने के लिए इस अधिनियम के अधीन दायी नहीं है;

[5][(11) "कुटुम्ब" से बीमाकृत व्यक्ति के निम्नलिखित सभी नातेदार या उनमें से कोई नातेदार अभिप्रेत है, अर्थात:-

(i) पति या पत्नी;

(ii) अवयस्क धर्मज या दत्तक संतान जो बीमाकृत व्यक्ति पर आश्रितजन हो;

(iii) ऐसी संतान जो बीमाकृत व्यक्ति के उपार्जनों पर पूर्णत: आश्रितजन हो और जो—

(क) शिक्षा प्राप्त कर रहा हो, तब तक जब तक वह इक्कीस वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले;

(ख) अविवाहिता पुत्री;

(iv) ऐसी संतान जो शारीरिक या मानसिक अप्रसामान्यता या क्षति के कारण शिथिलांग है और बीमाकृत व्यक्ति के उपार्जनों पर पूर्णत: आश्रितजन है, तब तक जब तक अंग शैथिल्य बना रहता है,

(v) आश्रितजन माता-पिता;

(12) "कारखाना" से अभिप्रेत है ऐसा कोई परिसर, जिसके अन्तर्गत उसकी प्रसीमाएं भी हैं, जिसमें—

(क) दस या अधिक व्यक्ति मजदूरी पर नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी भी दिन नियोजित थे, और जिसके किसी भाग में शक्ति की सहायता से कोई विनिर्माण प्रक्रिया की जा रही है या मामूली तौर से इस प्रकार की जाती है, या

(ख) बीस या अधिक व्यक्ति मजदूरी पर नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी भी दिन नियोजित थे, और जिसके किसी भाग में शक्ति की सहायता के बिना कोई विनिर्माण प्रक्रिया की जा रही है या मामूली तौर से इस प्रकार की जाती है,

किन्तु इसके अन्तर्गत कोई खान, जो खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के प्रवर्तन के अधीन है या रेल इंजन शैड नहीं है;

---

1. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 3 द्वारा (20-10-1989 से) "किन्तु इसके अन्तर्गत" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित |
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हिज मजेस्टीज" के स्थान पर प्रतिस्थापित |
3. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 2 द्वारा (28-1-1968 से) उपखंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित |
4. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 3 (iv) **(।)** द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) कोष्ठक में दिए गए शब्दों के स्थान पर "ऐसी मजदूरी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे |
5. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 3 द्वारा (20-10-1989 से) खंड (11) और (12) के स्थान पर प्रतिस्थापित|

(13) "आसन्न नियोक्ता" से, उसके द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के संबंध में वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने किसी ऐसे कारखाने या स्थापन के परिसर में, जिसे यह अधिनियम लागू है, या प्रधान नियोक्ता या उसके अभिकर्ता के पर्यवेक्षण के अधीन किसी ऐसे सम्पूर्ण काम के या उसके किसी भाग के निष्पादन का भार अपने ऊपर लिया है, जो मामूली तौर पर प्रधान नियोक्ता के कारखाने या स्थापन के काम का भाग है, या जो ऐसे किसी कारखाने या स्थापन में किए जाने वाले काम का प्रारम्भिक या उस कारखाने या स्थापन के प्रयोजन का आनुषंगिक है, और इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति आता है, जिसके द्वारा उस कर्मचारी की सेवाएं जिसने उसके साथ सेवा-संविदा कर रखी है, प्रधान नियोक्ता को अस्थायी रूप में उधार या भाड़े पर दी गई है [1][और जिसके अन्तर्गत ठेकेदार भी है];

[2][(13क) "बीमा-योग्य रोजगार" से किसी ऐसे कारखाने या स्थापन में रोजगार अभिप्रेत है जिसे यह अधिनियम लागू होता है;]

(14) "बीमाकृत व्यक्ति" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो ऐसा कर्मचारी है या था जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन अंशदान संदेय है या थे और जो इस अधिनियम द्वारा उपबन्धित फायदों में से किसी का उसी कारण हकदार है;

[2][(14क) "प्रबन्ध अभिकर्ता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अन्य व्यक्ति का व्यापार या कारोबार चलाने के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त है या कार्य कर रहा है, किन्तु इसके अन्तर्गत नियोक्ता का अधीनस्थ व्यष्टिक प्रबन्धक नहीं आता;]

[3][(14कक) "विनिर्माण प्रक्रिया" का वही अर्थ है जो कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) में है;]

[2][(14ख) "गर्भपात" से गर्भधारण के छब्बीसवें सप्ताह से पूर्व या उसके दौरान किसी भी समय में गर्भित गर्भाशय की अन्तर्वस्तु का बाहर निकल आना अभिप्रेत है, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा गर्भपात नहीं आता जिसका कारित किया जाना भारतीय दंड संहिता (1960 का 45) के अधीन दंडनीय है;]

(15) कारखाने के "अधिभोगी"* का वही अर्थ होगा जो उसे कारखाना अधिनियम, [4][1948 (1948 का 63) में दिया गया है;

[2(15क)] "स्थायी आंशिक नि:शक्तता" से स्थायी प्रकार की ऐसी नि:शक्तता अभिप्रेत है जिससे कर्मचारी की हर ऐसे रोजगार में उपार्जन सामर्थ्य कम हो जाती है, जिसे ग्रहण करने के लिए वह उस दुर्घटना के समय जिसके परिणामस्वरूप वह नि:शक्तता हुई, समर्थ था :

परन्तु द्वितीय अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट हर क्षति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक नि:शक्तता होती है;

(15ख) "स्थायी पूर्ण नि:शक्तता" से स्थायी प्रकार की ऐसी नि:शक्तता अभिप्रेत है, जो किसी कर्मचारी को ऐसे सब काम के लिए असमर्थ कर देती है जिसे वह उस दुर्घटना के समय, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी नि:शक्तता हुई, करने में समर्थ था :

परन्तु द्वितीय अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट हर क्षति के या उसके भाग 2 में विनिर्दिष्ट क्षतियों के समुच्चय के बारे में जहां, उपार्जनसामर्थ्य की हानि का संकलित प्रतिशत, जैसा उक्त भाग 2 में उन क्षतियों के सामने विनिर्दिष्ट है, सौ या उससे अधिक होता है, वहां यह समझा जाएगा कि उसके परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण नि:शक्तता हुई है;]

---

1. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 3 (vi) द्वारा (20-10-1989 से) अंत:स्थापित ।
2. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 2 द्वारा (28-1-1968 से) अंत:स्थापित ।
3. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 3 (vii) द्वारा (20-10-1989 से) अंत:स्थापित ।

* अधिष्ठाता

4. 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 3 द्वारा "1934" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][(15ग) "शक्ति" का वही अर्थ है जो कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) में है;]

(16) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(17) "प्रधान नियोक्ता" से अभिप्रेत है—

(i) किसी कारखाने में, कारखाने का स्वामी या अधिभोगी और इसके अन्तर्गत ऐसे स्वामी या अधिभोगी का प्रबन्ध अभिकर्ता, किसी मृत स्वामी या अधिभोगी का विधिक प्रतिनिधि और जहां [2][कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63)] के अधीन कोई व्यक्ति कारखाने के प्रबन्धक के रूप में नामित हुआ है वहां इस प्रकार नामित व्यक्ति, आता है;

(ii) भारत में किसी सरकार के किसी विभाग के नियंत्रणाधीन किसी स्थापन में, ऐसी सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त प्राधिकारी या जहां कोई प्राधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया गया है वहां विभागाध्यक्ष;

(iii) किसी अन्य स्थान में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्थापन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हो;

(18) "विनियम" से निगम द्वारा बनाया गया विनियम अभिप्रेत है;

(19) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है;

[3][(19क) "मौसमी कारखाना" से ऐसा कारखाना अभिप्रेत है जो निम्नलिखित विनिर्माण प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक में अनन्य रूप से लगा हुआ है, अर्थात्कपास ओटना, कपास या जूट की दवाई, मूंगफली की छिलाई, काफी, नील लाख, रबड़, चीनी (जिसके अन्तर्गत गुड़ भी है) या चाय का विनिर्माण या कोई ऐसी विनिर्माण प्रक्रिया जो पूर्वोक्त प्रक्रियाओं में से किसी की आनुषंगिक है या उससे संबंधित है और इसके अन्तर्गत ऐसा कारखाना भी है जो एक वर्ष में सात मास से अनधिक की कालावधि के लिए निम्नलिखित में लगा हुआ है—

(क) चाय या काफी के सम्मिश्रण, पैकिंग या पुन: पैकिंग की कोई प्रक्रिया; या

(ख) ऐसी कोई अन्य विनिर्माण प्रक्रिया जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें ।]

(20) "बीमारी" से वह दशा अभिप्रेत है, जिसमें चिकित्सीय उपचार और चिकित्सीय परिचर्या अपेक्षित है और जिसमें चिकित्सीय आधारों पर काम से प्रविरति आवश्यक हो जाती है;

(21) "अस्थायी नि:शक्तता" से किसी रोजगार क्षति के परिणामस्वरूप हुई ऐसी दशा अभिप्रेत है जिसमें चिकित्सीय उपचार अपेक्षित है और जिससे कर्मचारी, ऐसा काम करने के लिए [4][जिसे वह उस क्षति से पूर्व या उस क्षति के समय कर रहा था,] ऐसी क्षति के परिणामस्वरूप अस्थायी रूप से असमर्थ हो जाता है;

(22) "मजदूरी" से वह सभी पारिश्रमिक अभिप्रेत है जो किसी कर्मकार को रोजगार की संविदा के अभिव्यक्त या विवक्षित निबन्धनों की पूर्ति हो जाने पर, नकद संदत्त किया गया हो या नकद संदेय होता और इसके अन्तर्गत [5][किसी प्राधिकृत छुट्टी की, तालाबन्दी की, ऐसी हड़ताल की जो अवैध नहीं है, या कामबंदी की किसी भी

---

1. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 3 (viii) द्वारा (20-10-1989 से) अंत:स्थापित ।
2. 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 3 द्वारा "कारखाना अधिनियम, 1934 की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ड)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 3 (ix) द्वारा (20-10-1989 से) अंत:स्थापित ।
4. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 2 द्वारा (28-1-1968 से) "कार्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 2 द्वारा (28-1-1968 से) अंत:स्थापित ।

कालावधि की बाबत किसी कर्मचारी को दिया गया] संदाय और अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक, यदि कोई हो, आता है जो [1][दो मास से अनधिक के अन्तरालों पर दिया गया हो,] किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं आते—

(क) नियोक्ता द्वारा किसी पेंशन निधि या भविष्य-निधि में या इस अधिनियम के अधीन संदत्त कोई अंशदान;

(ख) कोई यात्रा भत्ता या किसी यात्रा-रियायत का मूल्य;

(ग) नियोजित व्यक्ति को ऐसे विशेष व्यय चुकाने के लिए संदत्त कोई राशि जो उसे अपने रोजगार की प्रकृति के कारण उठाने पड़ते हैं; अथवा

(घ) उन्मोचन पर संदेय कोई उपदान;

[2][(23) "मजदूरी कालावधि" से, किसी कर्मचारी के संबंध में, वह कालावधि अभिप्रेत है जिसकी बाबत मजदूरी मामूली तौर पर या तो रोजगार की संविदा के अभिव्यक्त या विवक्षित निबंधनों के अनुसार या अन्यथा उसे संदेय है;]

[3][(24) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और पदों के वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमश: उस अधिनियम में दिए गए हैं |]

[4][2क. कारखानों और स्थापनों का पंजीकरण —हर कारखाना या स्थापन, जिस पर यह अधिनियम लागू है, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो इस निमित्त बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, पंजीकृत किया जाएगा |]

अध्याय 2

निगम, स्थायी समिति और चिकित्सा हितलाभ परिषद्

3. कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना—(1) कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम का प्रशासन इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार करने के लिए एक निगम, जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के रूप में जाना जाएगा, ऐसी तारीख* से स्थापित किया जाएगा जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे |

(2) यह निगम कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नाम से निगमित निकाय होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वाद वह लाएगा और उस पर लाया जाएगा |

4. निगम का गठन—निगम का गठन निम्नलिखित सदस्यों से होगा, अर्थात्:-

[5][(क) अध्यक्ष, जिसे केन्द्रीय सरकार [6] [नियुक्त] करेगी;

(ख) उपाध्यक्ष, जिसे केन्द्रीय सरकार [6] [नियुक्त] करेगी]

(ग) पांच से अनधिक व्यक्ति, जिन्हें [7]***केन्द्रीय सरकार [6] [नियुक्त] करेगी;

---

1. 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 3 द्वारा "मजदूरी की कालावधि के अन्तिम दिन के पश्चात् नियमित अन्तरालों पर संदत्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित |
2. 1984 के अधिनियम सं. 45 की धारा 2 द्वारा (27-1-1985 से) खंड (23) के स्थान पर प्रतिस्थापित |
3. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 2 द्वारा (28-1-1968 से) मूल खंड (24) के स्थान पर प्रतिस्थापित |
4. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 3 द्वारा (28-1-1968 से) अंत:स्थापित |

* 1 अक्तूबर, 1948 देखिए भारत का राजपत्र, 1948, असाधारण, पृष्ठ 1441 |

5. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 4 द्वारा (17-6-1967 से) मूल खंडों (क) और (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित |
6. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 4 द्वारा (20-10-1989 से) "नामनिर्देशित" के स्थान पर प्रतिस्थापित |
7. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 4 द्वारा (17-6-1967 से) "जिनमें से कम-से-कम तीन केन्द्रीय सरकार के पदधारी होंगे" शब्दों का लोप किया गया |

(घ) जिन [1][[2][राज्यों] में यह अधिनियम प्रवृत्त है], उनमें से हर एक का प्रतिनिधित्व करने वाला एक-एक व्यक्ति, जिसे संबंधित राज्य सरकार नामनिर्देशित करेगी;

(ङ) [3][संघ राज्य क्षेत्रों] का प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यक्ति,] जिसे केन्द्रीय सरकार [4][नियुक्त] करेगी;

(च) नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले [5][दस व्यक्ति], जिन्हें केन्द्रीय सरकार नियोक्ताओं के ऐसे संगठनों से, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता दी जाए, परामर्श करके [4][नियुक्त] करेगी;

(छ) कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले [5][दस व्यक्ति], जिन्हें केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के ऐसे संगठनों से, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए मान्यता दी जाए, परामर्श करके नामनिर्देशित करेगी;

(ज) चिकित्सा वृति का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति, जिन्हें केन्द्रीय सरकार चिकित्सा व्यवसायियों के ऐसे संगठनों से, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए मान्यता दी जाए, परामर्श करके [4][नियुक्त] करेगी;6***

[7][झ] तीन संसद् सदस्य जिनमें से दो लोक सभा के सदस्य होंगे और एक राज्य सभा का सदस्य होगा, और जिन्हें क्रमश: लोक सभा के सदस्यों द्वारा तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा; तथा

(ञ) निगम का महानिदेशक, पदेन |]

5. निगम के सदस्यों की पदावधि—(1) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, निगम के उन सदस्यों को, जो [8][धारा 4 के खंड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) में निर्दिष्ट सदस्यों से और पदेन सदस्यों से भिन्न हैं,] पदावधि उस तारीख से आरम्भ होकर चार वर्ष की होगी, जिस तारीख को उनकी [9][नियुक्ति] या निर्वाचन अधिसूचित किया जाए :

परन्तु निगम का सदस्य चार वर्ष की उक्त कालावधि का अवसान हो जाने पर भी तब तक पद धारण किए रहेगा जब तक उसके उत्तरवर्ती की [9][नियुक्ति] या निर्वाचन अधिसूचित नहीं कर दिया जाता |

(2) धारा 4 के खंड [10][(क), (ख), (ग), (घ) और (ङ)] में निर्दिष्ट निगम सदस्य, उन्हें [11][नियुक्त] करने वाली सरकार के प्रसादपर्यन्त, पद धारण करेंगे |

6. **पुन: नियुक्ति या पुन: निर्वाचन के लिए पात्रता**—निगम, स्थायी समिति, या चिकित्सा हितलाभ परिषद् का पदावरोही सदस्य, यथास्थिति, [9][पुन: नामनिर्देशन] या पुन: निर्वाचन का पात्र होगा |

[12][7. **आदेशों, विनिश्चयों आदि का अधिप्रमाणीकरण**—निगम के सभी आदेश और विनिश्चय निगम के महानिदेशक के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत किए जाएंगे और निगम द्वारा निर्गत अन्य सभी लिखतें निगम के महानिदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी के, जो उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाए, हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत की जाएंगी|]

8. स्थायी समिति का गठन—निगम की स्थायी समिति, निगम के सदस्यों में से गठित की जाएगी और निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा [4][नियुक्त] अध्यक्ष;

---

1. 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 4 द्वारा "भाग क राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित |
2. विधि अनुकूल आदेश (सं. 3) 1956 द्वारा "भाग क राज्यों और भाग ख राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित |
3. विधि अनुकूल आदेश (सं. 3) 1956 द्वारा "भाग ग राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित |
4. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 4 द्वारा (20-10-1989 से) "नामनिर्देशित" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित|
5. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 5 द्वारा (20-10-1989 से) प्रतिस्थापित|
6. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 4 द्वारा (17-6-1967 से) "तथा" शब्द का लोप किया गया |
7. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 4 द्वारा (17-6-1967 से) मूलखंड (झ) के स्थान पर प्रतिस्थापित |
8. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 5 द्वारा (17-6-1967 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित |
9. 1989 के अधिनियम सं. 20 की धारा 4 द्वारा (29-10-1989 से) "नामनिर्देशन" के स्थान पर प्रतिस्थापित|
10. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 5 द्वारा (17-6-1967 से) "(ग), (घ) तथा (ङ)" के स्थान पर प्रतिस्थापित|
11. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 4 द्वारा (20-10-1989 से) "नामनिर्देशित" के स्थान पर प्रतिस्थापित|
12. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 6 द्वारा (17-6-1967 से) मूल धारा 7 के स्थान पर प्रतिस्थापित |

(ख) [1][केन्द्रीय सरकार द्वारा [2][नियुक्त]] तीन निगम सदस्य;

[3][(खख) ऐसी तीन राज्य सरकारों का, जिन्हें केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट करे, निगम में प्रतिनिधित्व करने वाले तीन निगम सदस्य;]

(ग) निगम द्वारा निम्नलिखित रूप में निर्वाचित [4][आठ] सदस्य—

5* * * *

(ii) नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले निगम सदस्यों में से [6][तीन] सदस्य;

(iii) कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले निगम सदस्यों में से [6][तीन] सदस्य;

(iv) चिकित्सा वृति का प्रतिनिधित्व करने वाले निगम सदस्यों में से एक सदस्य; तथा

(v) निगम सदस्यों में से [7][संसद्] द्वारा निर्वाचित एक सदस्य;

[8][(घ) निगम का महानिदेशक, पदेन ।]

9 स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि—(1) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, स्थायी समिति के उस सदस्य की, जो धारा 8 के खण्ड (क) या [9][खण्ड (ख) या खण्ड (खख)] में निर्दिष्ट सदस्य से भिन्न है, पदावधि उस तारीख से दो वर्ष की होगी, जिस तारीख को उसका निर्वाचन अधिसूचित किया जाए :

परन्तु स्थायी समिति का सदस्य, दो वर्ष की उक्त कालावधि का अवसान हो जाने पर भी तब तक पद धारण किए रहेगा जब तक उसके उत्तरवर्ती का निर्वाचन अधिसूचित नहीं कर दिया जाता :

परन्तु यह और कि जैसे ही स्थायी समिति का सदस्य निगम का सदस्य नहीं रह जाता उसका पद धारण करना समाप्त हो जाएगा ।

(2) धारा 8 के [9][खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खंड (खख)] में निर्दिष्ट स्थायी समिति का सदस्य केन्द्रीय सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा ।

10. चिकित्सा हितलाभ परिषद्—(1) केन्द्रीय सरकार एक चिकित्सा हितलाभ परिषद् गठित करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

(क) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, पदेन, अध्यक्ष;

(ख) एक स्वास्थ्य सेवा उप-महानिदेशक, जिसे केन्द्रीय सरकार [2][नियुक्त] करेगी;

(ग) निगम का चिकित्सा आयुक्त पदेन;

(घ) [10][11[(संघ राज्यक्षेत्रों से भिन्न) जिन राज्यों] में यह अधिनियम प्रवृत्त है] उनमें से हर एक का प्रतिनिधित्व करने वाला एक-एक सदस्य, जिसे सम्पृक्त राज्य सरकार [2][नियुक्त] करेगी;

(ङ) नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन सदस्य, जिन्हें केन्द्रीय सरकार नियोक्ताओं के ऐसे संगठनों से परामर्श करके, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता दी जाए, [2][नियुक्त] करेगी;

---

1. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 7 द्वारा (17-6-1967 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 4 द्वारा (20-10-1989 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।
4. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 7 द्वारा (17-6-1967 से) "छह" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 5 द्वारा उपखण्ड (i) का लोप किया गया ।
6. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 7 द्वारा (17-6-1967 से) "दो" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "केन्द्रीय विधान-मंडल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
8. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 7 द्वारा (17-6-1967 से) अंत:स्थापित ।
9. 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 6 द्वारा "खण्ड ख" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
10. 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 7 द्वारा "भाग क राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
11. विधि अनुकूलन आदेश (सं. 3) 1956 द्वारा "भाग क राज्यों या भाग ख राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(च) कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन सदस्य, जिन्हें केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के ऐसे संगठनों से परामर्श करके जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए मान्यता दी जाए, [1][नियुक्त] करेगी;

तथा

(छ) चिकित्सा वृति का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन सदस्य, जिनमें कम से कम एक महिला होगी, जिन्हें केन्द्रीय सरकार चिकित्सा व्यवसायियों के ऐसे संगठनों से, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए मान्यता दी जाए, परामर्श करके [1][नियुक्त] करेगी |

(2) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, चिकित्सा हितलाभ परिषद् के उस सदस्य की, जो उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) तक में से किसी में भी निर्दिष्ट सदस्य से भिन्न है, पदावधि उस तारीख से चार वर्ष की होगी, जिस तारीख को [2][उसकी नियुक्ति को] अधिसूचित किया जाए; :

[3][परन्तु चिकित्सा हितलाभ परिषद् का सदस्य चार वर्ष की उक्त कालावधि का अवसान हो जाने पर भी तब तक पद धारण किए रहेगा जब तक उसके उत्तरवर्ती [2][की नियुक्ति को] अधिसूचित नहीं कर दिया जाता |]

(3) चिकित्सा हितलाभ परिषद् का उपधारा (1) के खण्ड (ख) और खण्ड (घ) में निर्दिष्ट सदस्य, उसे [4][नियुक्त] करने वाली सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा |

11. सदस्यता का त्याग—निगम, स्थायी समिति या चिकित्सा हितलाभ परिषद् का सदस्य केन्द्रीय सरकार को दी गई लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और त्यागपत्र का उस सरकार द्वारा प्रतिग्रहण कर लिए जाने पर, उसका स्थान रिक्त हो जाएगा |

12. सदस्यता की समाप्ति—[5][(1)] यदि निगम, स्थायी समिति या चिकित्सा हितलाभ परिषद् का कोई सदस्य उसके तीन क्रमवर्ती अधिवेशनों में हाजिर रहने में असफल रहता है तो वह उस निकाय का सदस्य नहीं रह जाएगा :

परन्तु, यथास्थिति, निगम, स्थायी समिति या चिकित्सा हितलाभ परिषद् केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, उसे सदस्यता पर प्रत्यवर्तित कर सकेगी |

[6][(2) जहां कि, यथास्थिति, निगम, स्थायी समिति या चिकित्सा हितलाभ परिषद् में नियोक्ताओं, कर्मचारियों या चिकित्सीय वृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए [1][नियुक्त] या निर्वाचित किसी व्यक्ति का केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसे नियोक्ताओं, कर्मचारियों या चिकित्सा-वृत्ति का प्रतिनिधित्व करना समाप्त हो जाता है वहां केन्द्रीय सरकार, शासकीय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषित कर सकेगी कि ऐसी तारीख से, जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, निगम, स्थायी समिति या चिकित्सा हितलाभ परिषद् का सदस्य नहीं रह जाएगा|]

[7][(3) जैसे ही धारा 4 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का संसद् सदस्य रहना समाप्त हो जाए, वह निगम का सदस्य नहीं रह जाएगा|]

13. निरर्हता—कोई भी व्यक्ति निगम, स्थायी समिति या चिकित्सा हितलाभ परिषद् का सदस्य चुने जाने या होने के लिए निरहित होगा—

(क) यदि वह सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित घोषित कर दिया जाता है; अथवा

(ख) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है; अथवा

(ग) यदि वह निगम के साथ की गई किसी अस्तित्वशील संविदा में या निगम के लिए किए जा रहे किसी काम में, चिकित्सा व्यवसायी के या कम्पनी के शेयरधारक (जो निदेशक नहीं है) के रूप में के सिवाय स्वयं या अपने भागीदार के द्वारा, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: कोई हित रखता है; अथवा

(घ) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् वह किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष हो चुका है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है |

---

1. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 4 द्वारा (20-10-1989 से) "नामनिर्देशन" के स्थान पर प्रतिस्थापित|
2. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 4 द्वारा (20-10-1989 से) "उसका नामनिर्देशन" के स्थान पर प्रतिस्थापित|
3. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 8 द्वारा (17-6-1967 से) जोड़ा गया |
4. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 4 द्वारा (20-10-1989 से) "नामनिर्देश" के स्थान पर प्रतिस्थापित|
5. 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 8 द्वारा धारा 12 को उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया |
6. 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 8 द्वारा अंत:स्थापित |
7. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 9 द्वारा (17-6-1967 से) अंत:स्थापित |

(अध्याय 2-निगम, स्थायी समिति और चिकित्सा हितलाभ परिषद् |)

14. रिक्तियों का भरा जाना—(1) निगम, स्थायी समिति और चिकित्सा हितलाभ परिषद् के [1][नियुक्त] या निर्वाचित सदस्यों के पद की रिक्तियां, यथास्थिति, [1][नियुक्ति] या निर्वाचन द्वारा भरी जाएंगी |

(2) निगम, स्थायी समिति या चिकित्सा हितलाभ परिषद् का कोई सदस्य जो आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए [1][नियुक्त] या निर्वाचित हुआ है तभी तक के लिए पद धारण करेगा जब तक वह सदस्य, जिसके स्थान में वह [1][नियुक्त] या निर्वाचित हुआ है रिक्ति न होने की दशा में पद धारण करने का हकदार होगा |

15. फीसें और भत्ते—निगम, स्थायी समिति और चिकित्सा हितलाभ परिषद् के सदस्यों को वे फीसें और भत्ते मिलेंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किए जाएंगे |

16. प्रधान अधिकारी—[2][(1) केन्द्रीय सरकार, निगम से परामर्श करके, एक महानिदेशक और एक वित्त आयुक्त नियुक्त कर सकेगी |]

(2) महानिदेशक निगम का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा |

(3) [3][महानिदेशक और वित्त आयुक्त] निगम के पूर्णकालिक अधिकारी होंगे और अपने पद से असंबद्ध किसी भी काम का भार केन्द्रीय सरकार की [4][और निगम की] मंजूरी के बिना अपने ऊपर न लेंगे |

(4) [5][महानिदेशक या वित्त आयुक्त] पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए पद धारण करेगा जो उसे नियुक्त करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए | यदि पदावरोही [5][महानिदेशक या वित्त आयुक्त] अन्यथा अर्हित हो तो वह पुन: नियुक्ति का पात्र होगा |

(5) [5][महानिदेशक या वित्त आयुक्त] को ऐसे वेतन और भत्ते मिलेंगे जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं |

(6) यदि कोई व्यक्ति धारा 13 में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी के अध्यधीन है तो वह [5][महानिदेशक या वित्त आयुक्त] के रूप में नियुक्त किए जाने या होने के लिए निरर्हित होगा |

(7) केन्द्रीय सरकार [5][महानिदेशक या वित्त आयुक्त] को किसी भी समय पद से हटा सकेगी और यदि उसे ऐसे हटाए जाने की सिफारिश निगम के उस प्रयोजन के लिए बुलाए गए विशेष अधिवेशन में पारित और निगम की कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई से अन्यून मतों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा की गई है तो उसे हटाएगी |

17. कर्मचारीवृन्द—(1) निगम अन्य ऐसा कर्मचारीवृन्द नियोजित कर सकेगा जिसमें अधिकारी और सेवक हों और जो उसके कारोबार के दक्ष संव्यवहार के लिए आवश्यक हों, परन्तु [6][दो हजार दो सौ पचास रुपये] [7][या उससे अधिक के अधिकतम मासिक वेतन के] किसी भी पद के सृजन के लिए केन्द्रीय सरकार की मंजूरी अभिप्राप्त की जाएगी |

[8][(2) (क) निगम के कर्मचारीवृन्द के सदस्यों की भर्ती की पद्धति, वेतन और भत्ते, अनुशासन और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो तत्समान वेतनमान पाने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू नियमों और आदेशों के अनुसार निगम द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं :

परन्तु जहां निगम की यह राय है कि पूर्वोक्त विषयों में से किसी विषय के संबंध में उक्त नियमों या आदेशों से भिन्न नियम बनाना या आदेश करना आवश्यक है वहां वह केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा;

---

1. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 4 द्वारा (20-10-1989 से) नामनिर्देशित के स्थान पर प्रतिस्थापित|
2. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 6 द्वारा (20-10-1989 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित|
3. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 6 द्वारा (20-10-1989 से) "प्रधान अधिकारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित|
4. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 10 द्वारा (17-6-1967 से) अंत:स्थापित |
5. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 6 द्वारा (20-10-1989 से) "प्रधान अधिकारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित|
6. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 7 (2) द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) कोष्ठक में दिए गए शब्दों के स्थान पर "परन्तु किसी भी ऐसे पद के सृजन के लिए जिसका अधिकतम मासिक वेतन ऐसे वेतन से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, अधिक है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे जो 1984 के अधिनियम सं. 45 की धारा 3 द्वारा (27-1-1985 से) प्रतिस्थापित किए गए थे |
7. 1975 के अधिनियम सं. 38 की धारा 3 द्वारा (1-9-1975 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित |
8. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 7(ii) द्वारा (8-11-1989 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित|

(ख) निगम, खण्ड (क) के अधीन कर्मचारीवृन्द के सदस्यों के तत्समान वेतनमान अवधारित करने में, केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की शैक्षिक अर्हताएं, भर्ती की पद्धति, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखेगा और किसी शंका की दशा में, निगम उस विषय को केन्द्रीय सरकार के पास निर्दिष्ट करेगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा |

(3) [1][केन्द्रीय सरकार के अधीन के [2][समूह क और समूह ख] के तत्सम पदों [3][जो चिकित्सीय पदों से भिन्न है)] पर] हर नियुक्ति [4][संघ] लोक सेवा आयोग से परामर्श करके की जाएगी :

परन्तु यह उपधारा एक वर्ष से अनधिक की [5][कालावधि] की किसी स्थानापन्न या अस्थायी नियुक्ति को लागू नहीं होगी :

[6][परन्तु यह और कि ऐसी स्थानापन्न या अस्थायी नियुक्ति, नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और उस हैसियत में की गई सेवाओं की गणना न तो ज्येष्ठता मद्धे, न ही अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए विनियमों में विनिर्दिष्ट निम्नतम अर्हक सेवा मद्धे की जाएगी |]

[7][(4) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई पद केन्द्रीय सरकार के अधीन के [2][समूह क और समूह ख] के तत्सम है या नहीं तो वह प्रश्न केन्द्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा|]

18. स्थायी समिति की शक्तियां—(1) निगम के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए स्थायी समिति निगम का कामकाज प्रशासित करेगी और निगम की शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग और कृत्यों में से किसी का भी पालन कर सकेगी |

(2) स्थायी समिति ऐसे सब मामलों और विषयों को , जो इस निमित्त बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, निगम के विचार और विनिश्चय के लिए निवेदित करेगी |

(3) स्थायी समिति स्वविवेकानुसार कोई अन्य मामला या विषय निगम के विनिश्चय के लिए निवेदित कर सकेगी |

19. बीमाकृत व्यक्तियों के स्वास्थ्य आदि के लिए उपायों को प्रोन्नत करने की निगम की शक्ति—निगम बीमाकृत व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण की अभिवृद्धि के लिए और उन बीमाकृत व्यक्तियों के पुनर्वसन और पुनर्नियोजन के लिए, जो नि:शक्त या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उपाय, इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट हितलाभों की स्कीम के अतिरिक्त संप्रवर्तित कर सकेगा और ऐसे उपायों के बारे में व्यय निगम की निधियों में से ऐसी परिसीमाओं के अन्दर उपगत कर सकेगा, जैसी केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए |

20. निगम, स्थायी समिति और चिकित्सा हितलाभ परिषद् के अधिवेशन—निगम, स्थायी समिति और चिकित्सा हितलाभ परिषद् के अधिवेशन इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे समयों और स्थानों पर होंगे और वे अपने अधिवेशनों में कार्य करने के लिए ऐसे नियमों या ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगी जो इस निमित्त बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए |

21. निगम और स्थायी समिति का अधिक्रमित किया जाना—(1) यदि केन्द्रीय सरकार की राय में निगम या स्थायी समिति इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अपने पर अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में बार-बार व्यतिक्रम करता है या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है तो वह सरकार निगम को, या स्थायी समिति की दशा में, निगम से परामर्श करके स्थायी समिति को, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिक्रमित कर सकेगी :

---

1. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 11 द्वारा (17-6-1967 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित|
2. 1984 के अधिनियम सं. 45 की धारा 3 द्वारा (27-1-1985 से) "वर्ग 1 या वर्ग 2" के स्थान पर प्रतिस्थापित|
3. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 7(iii) (क) द्वारा (16-5-1980 से) अंत:स्थापित |
4. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "फेडरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित |
5. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 7(iii) (ख) द्वारा (20-10-1989 से) "संकलित कालावधि" के स्थान पर प्रतिस्थापित |
6. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 7(iii) (ग) द्वारा (20-10-1989 से) अंत:स्थापित |
7. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 11 द्वारा (17-6-1967 से) अंत:स्थापित |

परन्तु केन्द्रीय सरकार, इस उपधारा के अधीन कोई अधिसूचना निकालने से पूर्व, यथास्थिति, निगम या स्थायी समिति को, यह हेतुक दर्शित करने के लिए कि उसे क्यों न अधिक्रमित कर दिया जाए, युक्तियुक्त अवसर देगी और, यथास्थिति, निगम या स्थायी समिति के स्पष्टीकरणों और आक्षेपों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी |

(2) निगम या स्थायी समिति को अधिक्रमित करने वाली उपधारा (1) के अधीन की अधिसूचना के प्रकाशित होने पर, यथास्थिति, निगम या स्थायी समिति के सभी सदस्यों के बारे में यह समझा जाएगा कि उन्होंने ऐसे प्रकाशन की तारीख से अपने पद रिक्त कर दिए हैं |

(3) स्थायी समिति के अधिक्रमित कर दिए जाने पर एक नई स्थायी समिति धारा 8 के अनुसार तुरन्त गठित की जाएगी |

(4) निगम के अधिक्रमित कर दिए जाने पर केन्द्रीय सरकार—

(क) निगम के लिए नए सदस्य धारा 4 के अनुसार तुरन्त [1][नियुक्त] कर सकेगी या [1][नियुक्त] या निर्वाचित करा सकेगी और धारा 8 के अधीन नई स्थायी समिति गठित कर सकेगी;

(ख) निगम को शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसा अभिकरण ऐसी कालावधि के लिए, जैसा या जैसी वह ठीक समझे, स्वविवेकानुसार नियुक्त कर सकेगी, और ऐसा अभिकरण निगम की सभी शक्तियों का प्रयोग और निगम के सभी कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम होगा |

(5) केन्द्रीय सरकार इस धारा के अधीन की गई किसी भी कार्रवाई की, और जिन परिस्थितियों के कारण ऐसी कार्रवाई की गई उनकी, पूरी रिपोर्ट शीघ्रतम अवसर पर जो किसी भी दशा में, यथास्थिति, निगम या स्थायी समिति को अधिक्रमित करने वाली अधिसूचना की तारीख से तीन मास के पश्चात् न हो, [2][संसद्] के समक्ष रखवाएगी |

22. चिकित्सा हितलाभ परिषद् के कर्तव्य—चिकित्सा हितलाभ परिषद्—

(क) [3][निगम और स्थायी समिति] को चिकित्सा हितलाभ के प्रशासन से और हितलाभों के अनुदान के प्रयोजनों के लिए प्रमाणन से संबंधित विषयों और अन्य सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी;

(ख) चिकित्सीय उपचार और परिचर्या के संबंध में चिकित्सा व्यवसायियों के विरुद्ध किए गए परिवादों का अन्वेषण करने की ऐसी शक्तियां रखेगी और तत्संबंधी उसके ऐसे कर्तव्य होंगे जिन्हें विहित किया जाए; तथा

(ग) चिकित्सा उपचार और परिचर्या के संबंध में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जैसे विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं |

23. [4][महानिदेशक और वित्त आयुक्त] के कर्तव्य— [4][महानिदेशक और वित्त आयुक्त] ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो विहित किए जाएं | वे अन्य ऐसे कृत्यों का भी पालन करेंगे जो विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं |

24. निगम आदि के कार्यों का गठन में त्रुटि आदि के कारण अविधिमान्य न होना—निगम, स्थायी समिति या चिकित्सा हितलाभ परिषद् का कोई भी कार्य निगम, स्थायी समिति या चिकित्सा हितलाभ परिषद् के गठन में किसी त्रुटि के कारण, या इस आधार पर कि उसका कोई सदस्य किसी निरर्हता के या अपने [1][नियुक्ति] या निर्वाचन में किसी अनियमितता के कारण पद धारण करने का या पद पर बने रहने का हकदार नहीं था, या इस कारण कि ऐसा कार्य निगम, स्थायी समिति या चिकित्सा हितलाभ परिषद् के किसी सदस्य के पद में किसी रिक्ति की कालावधि के दौरान किया गया था, अविधिमान्य न समझा जाएगा |

25. क्षेत्रीय बोर्ड, स्थानीय समितियां, क्षेत्रीय और स्थानीय चिकित्सा हितलाभ परिषदें—निगम ऐसे क्षेत्रों में और ऐसी रीति से क्षेत्रीय बोर्ड, स्थानीय समितियां तथा क्षेत्रीय और स्थानीय चिकित्सा हितलाभ परिषदें नियुक्त कर सकेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और ऐसे कृत्य प्रत्यायोजित कर सकेगा जिन्हें विनियमों द्वारा उपबन्धित किया जाए |

---

1. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 4 द्वारा (20-10-1989 से) "नामनिर्देशित" के स्थान पर प्रतिस्थापित |
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "केन्द्रीय विधान-मण्डल" के स्थान पर अंत:स्थापित |
3. 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 9 द्वारा "निगम, स्थायी समिति तथा चिकित्सीय कमिश्नर" के स्थान पर प्रतिस्थापित |
4. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 8 द्वारा (20-10-1989 से) "प्रधान अधिकारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित |

अध्याय 3

वित्त और लेखापरीक्षा

26. कर्मचारी राज्य बीमा निधि—(1) इस अधिनियम के अधीन दिए गए सभी अंशदान और निगम की ओर से प्राप्त अन्य सभी धन कर्मचारी राज्य बीमा निधि नामक निधि में संदत्त किए जाएंगे जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निगम द्वारा धारित और प्रशासित की जाएगी ।

(2) निगम, केन्द्रीय या राज्य सरकार से [1]***किसी स्थानीय प्राधिकारी या व्यष्टि या निकाय से, चाहे वह निगमित हो या न हो, इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों या किसी भी प्रयोजन के लिए अनुदान, संदान और दान प्रतिगृहीत कर सकेगा ।

[2][(3) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट अन्य उपबन्धों और इस निमित्त बनाए गए नियमों या विनियमों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि उक्त निधि को प्रोद्भूत या संदेय सभी धन, भारतीय रिजर्व बैंक में या ऐसे अन्य बैंक में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए, कर्मचारी राज्य बीमा निधि खाता अभिनामक एक खाते में जमा किए जाएंगे ।]

(4) ऐसा खाता ऐसे अधिकारियों द्वारा चलाया जाएगा जिन्हें स्थायी समिति निगम के अनुमोदन से प्राधिकृत करे ।

27. [केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान।]—कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 का 44) की धारा 12 द्वारा (17-6-1967 से) निरसित ।

28. वे प्रयोजन जिनके लिए निधि में से व्यय किया जा सकेगा—इस अधिनियम के और केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि कर्मचारी राज्य बीमा निधि में से व्यय केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) बीमाकृत व्यक्तियों को हितलाभों का संदाय तथा चिकित्सीय उपचार और परिचर्या का उपबन्ध, और जहां कि चिकित्सा हितलाभ उनके कुटुम्बों के लिए भी विस्तारित किया गया हो, वहां इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उनके कुटुम्बों के लिए ऐसे चिकित्सा हितलाभों का उपबन्ध और उनसे सम्बद्ध प्रभारों और खर्चों का चुकाया जाना;

(ii) निगम, स्थायी समिति और चिकित्सा हितलाभ परिषद्, क्षेत्रीय बोर्डों, स्थानीय समितियों तथा क्षेत्रीय और स्थानीय चिकित्सा हितलाभ परिषदों के सदस्यों को शुल्क और भत्तों का संदाय;

(iii) निगम के अधिकारियों और सेवकों के वेतनों, छुट्टी और पद-ग्रहणकाल के भत्तों, यात्रा भत्तों और प्रतिकर भत्तों, उपदानों और अनुकंपा भत्तों, पेंशनों, भविष्य निधि या अन्य हितलाभ निधि में अंशदानों का संदाय और इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए स्थापित कार्यालयों और अन्य सेवाओं की बाबत हुए व्यय की पूर्ति;

(iv) बीमाकृत व्यक्तियों के फायदे के लिए, और जहां चिकित्सा हितलाभ उनके कुटुम्बों के लिए विस्तारित की गई हो, वहां उनके कुटुम्बों के फायदे के लिए अस्पतालों, औषधालयों और अन्य संस्थाओं का स्थापन और अनुरक्षण तथा चिकित्सा और अन्य आनुषंगिक सेवाओं का उपबन्ध;

(v) बीमाकृत व्यक्तियों के लिए, और जहां चिकित्सा हितलाभ उनके कुटुम्बों के लिए विस्तारित की गई हो, वहां उनके कुटुम्बों के लिए, उपबन्धित चिकित्सीय उपचार और परिचर्या के खर्च लेखे, जिसके अन्तर्गत किसी भवन और उपस्कर का खर्च आता है, किसी राज्य सरकार, [3]***स्थानीय प्राधिकारी या किसी प्राइवेट निकाय या व्यष्टि को, किसी ऐसे करार के अनुसार अंशदानों का संदाय, जो निगम द्वारा किया गया है;

(vi) निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा के, और उसकी आस्तियों और दायित्वों के मूल्यांकन के खर्च का (जिसके अन्तर्गत तत्संबंधी सब व्यय आते हैं) चुकाया जाना;

---

1. 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 10 द्वारा "भाग ख राज्य" शब्द और अक्षर का लोप किया गया ।
2. 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 10 द्वारा उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 11 द्वारा "भाग ख राज्य" शब्द और अक्षर का लोप किया गया ।

(vii) इस अधिनियम के अधीन स्थापित कर्मचारी बीमा न्यायालयों के खर्चे का (जिसके अन्तर्गत तत्संबंधी सब व्यय आते हैं) चुकाया जाना;

(viii) निगम या स्थायी समिति द्वारा, या निगम या स्थायी समिति द्वारा उस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए की गई किसी संविदा के अधीन किन्हीं राशियों का संदाय;

(ix) निगम के विरुद्ध या अपने कर्तव्य के निष्पादन में किए गए किसी कार्य के लिए उसके अधिकारियों या सेवकों में से किसी के विरुद्ध हुई किसी न्यायालय या अधिकरण की डिक्री, आदेश या अधिनिर्णय के अधीन या निगम के विरुद्ध संस्थित या किए गए किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही या दावे के समझौते या परिनिर्धारण के अधीन राशियों का संदाय;

(x) इस अधिनियम के अधीन की गई किसी कार्रवाई से उद्भूत किन्हीं सिविल या दांडिक कार्यवाहियों को संस्थित करने या उनमें प्रतिरक्षा करने के खर्च और अन्य प्रभारों का चुकाया जाना;

(xi) बीमाकृत व्यक्तियों के स्वास्थ्य और उनके कल्याण की अभिवृद्धि के और उन बीमाकृत व्यक्तियों के जो नि:शक्त या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पुनर्वासन और पुनर्नियोजन के उपायों पर, विहित परिसीमाओं के अन्दर, व्यय चुकाना; तथा

(xii) अन्य ऐसे प्रयोजन जो केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निगम द्वारा प्राधिकृत किए जाएं ।

[**28क. प्रशासनिक व्यय**—ऐसे व्ययों के प्रकार, जिन्हें प्रशासनिक व्यय कहा जा सकेगा और निगम की आय की वह प्रतिशतता, जो ऐसे व्ययों के लिए खर्च की जा सकेगी उतनी होगी जितनी केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए और निगम अपने प्रशासनिक व्ययों को, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार विहित परिसीमा के भीतर रखेगा ।]

29. संपत्ति धारण करना आदि—(1) निगम ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन और धारण कर सकेगा, किसी ऐसी जंगम और स्थावर संपत्ति को, जो उसमें निहित हो या जिसे उसने अर्जित कर लिया हो, बेच या अन्यथा अन्तरित कर सकेगा और उन प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी बातें कर सकेगा, जिनके लिए निगम स्थापित हुआ है ।

(2) ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, निगम समय-समय पर ऐसे धनों को विनिहित कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन उचित रूप में चुकाए जाने योग्य व्ययों के लिए तुरन्त अपेक्षित नहीं है और यथापूर्वोक्त अध्यधीन रहते हुए समय-समय पर ऐसे विनिधानों को पुन:विनिहित या आप्त कर सकेगा ।

(3) निगम, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से और ऐसे निबन्धनों पर, जो उसके द्वारा विहित किए जाएं, उधार ले सकेगा और ऐसे उधारों को चुकाने के लिए उपाय कर सकेगा ।

(4) निगम अपने कर्मचारीवृन्द या उनके किसी वर्ग के फायदे के लिए ऐसी भविष्य-निधि या अन्य हितलाभ निधि गठित कर सकेगा जैसी वह ठीक समझे ।

30. संपत्ति का निगम में निहित होना—निगम के स्थापन से पूर्व अर्जित सब सम्पत्ति निगम में निहित होगी, और इस निमित्त व्युत्पन्न सभी आय और उपगत सभी व्यय निगम की बहियों में चढ़ा लिए जाएंगे ।

31. [केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया व्यय ऋण के रूप में समझा जाएगा]—कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 का 44) की धारा 12 द्वारा (17-7-1967) से निरसित ।

32. बजट प्राक्कलन—निगम हर वर्ष एक बजट तैयार करेगा जिसमें अधिसंभाव्य प्राप्तियां और ऐसे व्यय दर्शित किए जाएंगे जिन्हें आगामी वर्ष के दौरान उपगत करने की उसकी प्रस्थापना है, और बजट की एक प्रति केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए ऐसी तारीख से पूर्व भेजेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त नियत की जाए । बजट में ऐसे उपबन्ध अन्तर्विष्ट होंगे जो निगम द्वारा उपगत दायित्वों के निर्वहन के लिए और कामकाज- अतिशेष बनाए रखने के लिए केन्द्रीय सरकार की राय में यथायोग्य हों ।

33. लेखा—निगम अपनी आय और व्यय का सही लेखा ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से रखेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

---

1. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 9 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) अंत:स्थापित ।

[1][**34. लेखापरीक्षा-(1)** निगम के लेखाओं की **लेखापरीक्षा** भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष की जाएगी और ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय निगम द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा |

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को, ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में वही अधिकार तथा विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में हैं और विशिष्टत:, बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों, तथा अन्य दस्तावेजों और कागजपत्रों के पेश किए जाने की मांग करने और निगम के कार्यालयों में से किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा |

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित निगम के लेखे उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित, निगम को भेजे जाएंगे जो उन्हें, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियों के साथ, केन्द्रीय सरकार को भेजेगा |]

35. वार्षिक रिपोर्ट—निगम अपना काम और क्रियाकलाप की वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजेगा|

36. बजट, लेखापरीक्षित लेखाओं और वार्षिक रिपोर्ट का संसद् के समक्ष रखा जाना—वार्षिक रिपोर्ट, निगम के लेखापरीक्षित लेखा, उन पर [2][धारा 34 के अधीन [3][भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट और ऐसी रिपोर्ट पर निगम की टिप्पणियों] सहित,] और निगम द्वारा अंतिम रूप से यथा अंगीकृत बजट [4][संसद्] के समक्ष रखे जाएंगे | 5***

37. आस्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन—निगम अपनी आस्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से नियुक्त मूल्यांकक द्वारा पांच वर्ष के अन्तरालों पर कराएगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह निदेश दे सकेगी कि मूल्यांकन ऐसे अन्य समयों पर भी कराया जाए जिन्हें वह आवश्यक समझे |

अध्याय 4

अंशदान

38. सभी कर्मचारियों का बीमा किया जाना—उन कारखानों या स्थापनों के, जिन परं यह अधिनियम लागू है, सभी कर्मचारियों का बीमा इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए ऐसी रीति से किया जाएगा जैसा इस अधिनियम द्वारा उपबन्धित है |

39. अंशदान—(1) किसी कर्मचारी की बाबत इस अधिनियम के अधीन संदेय अंशदान में नियोक्ता द्वारा संदेय अंशदान (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोक्ता-अंशदान कहा गया है) और कर्मचारी द्वारा संदेय अंशदान (जिसे इसमें इसके पश्चात् कर्मचारी-अंशदान कहा गया है) समाविष्ट होगा और निगम को दिया जाएगा |

[6][(2) अंशदान प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर, और उस दशा में जिसमें इस अधिनियम के उपबन्ध किसी कारखाने या स्थापन के या कारखानों या स्थापनों के किसी वर्ग के किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग को इस प्रकार लागू किए गए हैं कि वे इस अधिनियम के अधीन हितलाभों में से कुछ हितलाभों से अपवर्जित हो जाते हैं, ऐसी दरों पर, जैसी निगम इस निमित्त नियत करे, दिए जाएंगे |]

---

1. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 10 द्वारा (20-10-1989 से) धारा 34 के स्थान पर प्रतिस्थापित |
2. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 13 द्वारा (17-6-1967 से) अंत:स्थापित |
3. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 11 द्वारा (20-10-1989 से) "संपरीक्षक की रिपोर्ट" के स्थान पर प्रतिस्थापित |
4. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "केन्द्रीय विधान-मण्डल" के स्थान पर प्रतिस्थापित |
5. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 11 द्वारा (20-10-1989 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया |
6. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 12 (i) द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) उप धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी :
   "(2) अंशदान ऐसी दरों से संदत्त किए जाएंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए :
   परन्तु इस प्रकार विहित दरें उन दरों से अधिक नहीं होगी जो कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1989 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त थीं |"

(अध्याय 4-अंशदान ।)

[1][(3) किसी कर्मचारी के संबंध में मजदूरी कालावधि वह इकाई होगी जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन के सभी अंशदान संदेय होंगे ।]

(4) हर एक [2][मजदूरी कालावधि की] बाबत संदेय अंशदान मामूली तौर पर उस [2][मजदूरी कालावधि] के अन्तिम दिन शोध्य होंगे, और जहां कि कोई कर्मचारी [2][मजदूरी कालावधि] के भाग के लिए नियोजित है, या एक ही [2][मजदूरी कालावधि] के दौरान दो या अधिक नियोक्ताओं के अधीन नियोजित है, वहां अंशदान ऐसे दिनों को शोध्य होंगे जो विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

[3][(5) (क) यदि इस अधिनियम के अधीन संदेय कोई अंशदान प्रधान नियोक्ता द्वारा उस तारीख को संदत्त नहीं किया जाता है जिसको ऐसा अंशदान देय हो गया है तो वह प्रतिवर्ष बारह प्रतिशत की दर से या ऐसी उच्चतम दर से, जो विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, साधारण ब्याज का संदाय उसके वास्तविक संदाय की तारीख तक करने के दायित्वाधीन होगा :

परन्तु विनियमों में विनिर्दिष्ट उच्चतर ब्याज, किसी अनुसूचित बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज की उधार देने वाली दर से अधिक नहीं होगा ।

(ख) खण्ड (क) के अधीन वसूलीय कोई ब्याज, भू-राजस्व की बकाया के रूप में या धारा 45ग से धारा 45झ के अधीन वसूल किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में, "अनुसूचित बैंक" से वह बैंक अभिप्रेत है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची के अन्तर्गत तत्समय सम्मिलित है ।]

40. प्रथमत: प्रधान नियोक्ता द्वारा अंशदान का दिया जाना—(1) प्रधान नियोक्ता हर कर्मचारी की बाबत, चाहे वह कर्मचारी सीधे उसके द्वारा नियोजित हो, या आसन्न नियोक्ता द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित हो, नियोक्ता-अंशदान और कर्मचारी-अंशदान दोनों देगा ।

(2) किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम के उपबन्धों के और तदधीन बनाए गए विनियमों के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए, प्रधान नियोक्ता सीधे अपने द्वारा नियोजित कर्मचारी की दशा में (जो छूट प्राप्त कर्मचारी न हो) कर्मचारी-अंशदान कर्मचारी से उसकी मजदूरी में से कटौती करके, न कि अन्यथा, वसूल करने का हकदार होगा :

परन्तु ऐसी कोई भी कटौती, ऐसी मजदूरी से जो उस कालावधि या कालावधि के भाग से संबंधित है जिसकी बाबत अंशदान संदेय है, भिन्न किसी मजदूरी में से, या उस कालावधि के लिए कर्मचारी अंशदान के रूप में राशि से अधिक, नहीं की जाएगी ।

(3) किसी तत्प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, न तो प्रधान नियोक्ता और न आसन्न नियोक्ता ही नियोक्ता-अंशदान कर्मचारी को संदेय मजदूरी में से काटने का या उससे अन्यथा वसूल करने का हकदार होगा ।

(4) किसी ऐसी राशि के बारे में, जो प्रधान नियोक्ता द्वारा इस अधिनियम के अधीन मजदूरी में से काट ली गई है, यह समझा जाएगा कि कर्मचारी ने उसे वह राशि ऐसा अंशदान देने के प्रयोजनार्थ नियोक्ता को सौंपी है जिसकी बाबत वह काटी गई थी ।

(5) प्रधान नियोक्ता निगम को अंशदान प्रेषित करने के व्यय वहन करेगा ।

41. आसन्न नियोक्ता से अंशदान की वसूली—(1) वह प्रधान नियोक्ता, जिसने किसी आसन्न नियोक्ता द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारी की बाबत अंशदान दिया है, इस प्रकार दिए गए अंशदान की रकम (अर्थात्नियोक्ता-अंशदान तथा यदि कोई हो तो कर्मचारी-अंशदान) उस आसन्न नियोक्ता से, या तो किसी ऐसी रकम में से कटौती करके जो प्रधान नियोक्ता द्वारा किसी संविदा के अधीन उसे संदेय है, या उस आसन्न नियोक्ता द्वारा संदेय ऋण के रूप में वसूल करने का हकदार होगा ।

[4][(1क) आसन्न नियोक्ता, विनियमों में यथा उपबन्धित अपने द्वारा या अपने माध्यम से नियोजित कर्मचारियों का एक रजिस्टर रखेगा और उसे, उपधारा (1) के अधीन संदेय किसी रकम के परिनिर्धारण के पूर्व, प्रधान नियोक्ता को प्रस्तुत करेगा ।]

---

1. 1984 के अधिनियम सं. 45 की धारा 4 द्वारा (27-1-1985 से) उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1984 के अधिनियम सं. 45 की धारा 4 द्वारा (27-1-1985 से) "सप्ताह" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 12 द्वारा (20-10-1989 से) अंत:स्थापित ।
4. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 13 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) अंत:स्थापित ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट दशा में वह आसन्न नियोक्ता, कर्मचारी-अंशदान, अपने द्वारा या अपने माध्यम से नियुक्त कर्मचारी से, मजदूरी में से कटौती करके, न कि अन्यथा, धारा 40 की उपधारा (2) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, वसूल करने का हकदार होगा ।

[1]* * * * * *

42. अंशदानों के संदाय के संबंध में साधारण उपबन्ध—(1) कोई भी कर्मचारी अंशदान ऐसे कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से संदेय नहीं होगा जिसकी औसत दैनिक मजदूरी [2][मजदूरी कालावधि के दौरान [3][छह रुपए] से कम है] ।

स्पष्टीकरण—कर्मचारी की औसत दैनिक मजदूरी की गणना [4][प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से] की जाएगी ।

(2) अंशदान (रोजगार-अंशदान और कर्मचारी-अंशदान दोनों ही) प्रधान नियोक्ता द्वारा ऐसे हर एक [5][मजदूरी कालावधि] के लिए संदेय होंगे जिस [6][पूरे सप्ताह या भाग की बाबत मजदूरी कर्मचारी को संदेय है, न कि अन्यथा] ।

[7]* * * * *

[8]* * * * *

43. अंशदान के संदाय का ढंग—इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि निगम इस अधिनियम के अधीन संदेय अंशदानों के संदाय और संग्रहण से सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक किसी भी विषय के लिए विनियम बना सकेगा और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे :-

(क) अंशदान के संदाय की रीति और समय;

(ख) पुस्तकों और कार्डों पर चिपकाए गए या छापित आसंजक या अन्य स्टाम्प द्वारा, या अन्यथा, अंशदानों का संदाय तथा उस रीति का जिसमें, उन समयों का जब, और उन शर्तों का जिनके अधीन ऐसे स्टाम्प चिपकाए या छापित किए जाने हैं, विनियमित किया जाना;

[9][(खख) वह तारीख जिस तक अंशदान संदत्त किए जाने का साक्ष्य निगम को प्राप्त होना है;]

(ग) पुस्तकों में या कार्डों पर उन बीमाकृत व्यक्तियों की दशा में, जिनसे ऐसी पुस्तकें और कार्ड संबंधित है, संदत्त अंशदानों और वितरित हितलाभों की विशिष्टियों की प्रविष्टि; तथा

(घ) पुस्तकों या कार्डों का निर्गत किया जाना, विक्रय, अभिरक्षा, पेश किया जाना, निरीक्षण और परिदान और उन पुस्तकों या कार्डों का प्रतिस्थापन, जो खो गए हैं, विनिष्ट हो गए हैं या विरूपित हो गए हैं ।

[10][**44. कतिपय दशाओं में नियोक्ताओं द्वारा विवरणियों का दिया जाना और रजिस्टरों का रखा जाना**—(1) हर प्रधान नियोक्ता और आसन्न नियोक्ता, अपने द्वारा नियोजित व्यक्तियों के संबंध में या किसी ऐसे कारखाने या स्थापन के संबंध में, जिसकी बाबत वह प्रधान या आसन्न नियोक्ता है, ऐसी विशिष्टियों को अन्तर्विष्ट रखने वाली और ऐसे प्ररूप में ऐसी विवरणियां, जैसी इस निमित्त बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं, निगम को या निगम के ऐसे अधिकारी को भेजेगा जिसे निगम निर्दिष्ट करे ।

---

1. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 14 द्वारा (28-1-1968 से) स्पष्टीकरण का लोप किया गया ।
2. 1984 के अधिनियम सं. 45 की धारा 5 द्वारा (27-1-1985 से) प्रतिस्थापित ।
3. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 14 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) कोष्ठक में दिए गए शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्:- "ऐसी मजदूरी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए" ।
4. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 14 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) कोष्ठक में दिए गए शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्:- "ऐसी रीति से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए" ।
5. 1984 के अधिनियम सं. 45 की धारा 5 द्वारा (27-1-1985 से) "सप्ताह" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 15 द्वारा (29-1-1966 से) "पूरे अथवा भाग के दौरान जिसके लिए कोई कर्मचारी, नियोजित हो" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. 1984 के अधिनियम सं. 45 की धारा 5 द्वारा (27-1-1985 से) उपधारा (3) का लोप किया गया ।
8. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 15 द्वारा (28-1-1968 से) उपधारा (4) और (5) का लोप किया गया ।
9. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 16 द्वारा (28-1-1968 से) अंत:स्थापित ।
10. 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 12 द्वारा धारा 44 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) जहां किसी कारखाना या स्थापन की बाबत निगम के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उपधारा (1) के अधीन विवरणी भेजी जानी चाहिए थी किन्तु इस प्रकार भेजी नहीं गई है वहां निगम कारखाने या स्थापन के भारसाधक किसी भी व्यक्ति से ऐसी विशिष्टियां देने की अपेक्षा कर सकेगा जिन्हें वह यह विनिश्चित करने के लिए निगम को समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे कि कारखाना या स्थापन ऐसा कारखाना या स्थापन है या नहीं जिस पर यह अधिनियम लागू है ।

(3) हर प्रधान और आसन्न नियोक्ता अपने कारखाने या स्थापन की बाबत ऐसे रजिस्टर और अभिलेख रखेगा जिनकी इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा अपेक्षा की जाए ।

45. निरीक्षक, उनके कृत्य और कर्तव्य—(1) निगम ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिन्हें वह उन व्यक्तियों को समानुदिष्ट करे, निरीक्षक नियुक्त कर सकेगा ।

(2) निगम द्वारा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई भी निरीक्षक (जिसे इसमें इसके पश्चात् निरीक्षक कहा गया है) या निगम द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उसका अन्य पदधारी धारा 44 में निर्दिष्ट किसी विवरणी में कथित विशिष्टयों में से किसी की शुद्धता के बारे में जांच करने के प्रयोजनों के लिए या यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी का अनुपालन हुआ है या नहीं—

(क) किसी भी प्रधान नियोक्ता या आसन्न नियोक्ता से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जैसी वह निरीक्षक या अन्य पदधारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे; अथवा

(ख) किसी ऐसे कार्यालय, स्थापन, कारखाने या अन्य परिसर में जो ऐसे प्रधान नियोक्ता या आसन्न नियोक्ता के अधिभोग में हो किसी भी युक्तियुक्त समय में प्रवेश कर सकेगा और किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उसका भारसाधक पाया जाता है, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष व्यक्तियों के रोजगार और मजदूरी के संदाय से सम्बद्ध ऐसे लेखा, पुस्तकें और अन्य दस्तावेजों, जैसी वह आवश्यक समझे, पेश करे और उसे उनकी परीक्षा करने दे, या उसे ऐसी जानकारी दे, जैसी वह आवश्यक समझे; अथवा

(ग) प्रधान नियोक्ता या आसन्न नियोक्ता, उसके अभिकर्ता या सेवक या उस व्यक्ति की, जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या उस व्यक्ति की, जिसके संबंध में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण हो कि वह कर्मचारी है या रह चुका है, पूर्वोक्त प्रयोजनों से सुसंगत विषय की बाबत परीक्षा कर सकेगा ।

[1][(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखा, पुस्तक या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपियां बना सकेगा, या उससे उद्धरण ले सकेगा;

(ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जैसी विहित की जाएं ।]

(3) निरीक्षक ऐसे कृत्यों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसे निगम द्वारा प्राधिकृत किए जाएं या जैसे विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

[2][**45क. कतिपय दशाओं में अंशदानों का अवधारण**—(1) जहां किसी कारखाने या स्थापन की बाबत कोई भी विवरणियां, विशिष्टियां, रजिस्टर या अभिलेख धारा 44 के उपबन्धों के अनुसार न भेजे जाएं, न दिए जाएं या न रखे जाएं या किसी निरीक्षक या धारा 45 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट निगम के अन्य पदधारी को धारा 45 के अधीन के उसके कृत्यों का प्रयोग करने में या कर्तव्यों का निर्वहन करने में प्रधान या आसन्न नियोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा [3][किसी रीति से रोका जाए], तो निगम उस कारखाने या स्थापन के कर्मचारियों की बाबत संदेय अंशदानों की रकम, उसे उपलब्ध जानकारी के आधार पर, आदेश द्वारा अवधारित कर सकेगा :

---

1. 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 13 द्वारा अंत:स्थापित ।
2. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 17 द्वारा (17-6-1967 से) धारा 45क और धारा 45ख अंत:स्थापित ।
3. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 15 द्वारा (20-10-1989 से) "बाधा डाली जाए" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[1][परन्तु निगम द्वारा ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कारखाना या स्थापन के प्रधान या आसन्न नियोक्ता या भारसाधक व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो ।]

(2) उपधारा (1) के अधीन निगम द्वारा किया गया आदेश निगम के धारा 75 के अधीन दावे का, या ऐसे आदेश द्वारा अवधारित रकम की धारा 45ख के अधीन भू-राजस्व की बकाया के तौर पर [1][या धारा 45ग से धारा 45झ तक के अधीन वसूली के लिए], पर्याप्त सबूत होगा ।

45ख. अंशदान की वसूली—इस अधिनियम के अधीन संदेय कोई भी अंशदान भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूल किया जा सकेगा ।]

[2][**45ग. वसूली अधिकारी को प्रमाणपत्र जारी करना**—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई रकम बकाया है, वहां प्राधिकृत अधिकारी अपने हस्ताक्षर से बकाया रकम विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाणपत्र वसूली अधिकारी को जारी कर सकेगा और वसूली अधिकारी, ऐसे प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर, उसमें विनिर्दिष्ट रकम को, कारखाने या, स्थापन से या, यथास्थिति, प्रधान या आसन्न नियोक्ता से नीचे वर्णित एक या अधिक ढंग से वसूल करने के लिए अग्रसर होगा :-

(क) कारखाने या स्थापन या, यथास्थिति, प्रधान या आसन्न नियोक्ता की जंगम या स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय;

(ख) नियोक्ता की गिरफ्तारी और कारागार में उसका निरोध;

(ग) यथास्थिति, कारखाने या स्थापन या, नियोक्ता की जंगम या स्थावर सम्पत्ति के प्रबन्ध के लिए रिसीवर की नियुक्ति :

परन्तु इस धारा के अधीन किसी संपत्ति की कुर्की और विक्रय प्रथमत: कारखाने या स्थापन की संपत्ति का किया जाएगा और जहां प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट बकाया संपूर्ण रकम वसूल करने के लिए ऐसी कुर्की और विक्रय अपर्याप्त है वहां वसूली अधिकारी ऐसी बकाया रकम के संपूर्ण या किसी भाग की वसूली के लिए नियोक्ता की संपत्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही कर सकेगा ।

(2) प्राधिकृत अधिकारी, इस बात के होते हुए भी कि किसी अन्य ढंग से बकाया वसूल करने की कार्यवाही की गई है, उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा ।

45घ. वसूली अधिकारी जिसे प्रमाणपत्र अग्रेषित किया जाना है—(1) प्राधिकृत अधिकारी धारा 45ग में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र ऐसे वसूली अधिकारी को अग्रेषित कर सकेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर नियोक्ता—

(क) अपना कारबार चलाता है या वृत्ति करता है या जिसकी अधिकारिता के भीतर उसके कारखाने या स्थापन का मुख्य स्थान स्थित है; या

(ख) निवास करता है या कारखाने या स्थापन अथवा प्रधान या आसन्न नियोक्ता की कोई जंगम या स्थावर संपत्ति स्थित है ।

(2) जहां किसी कारखाने या स्थापन या प्रधान या आसन्न नियोक्ता की संपत्ति एक से अधिक वसूली अधिकारियों की अधिकारिता के भीतर है और वह वसूली अधिकारी, जिसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र भेजा जाता है :-

(क) अपनी अधिकारिता के भीतर जंगम या स्थावर संपत्ति के विक्रय द्वारा संपूर्ण वसूली करने में समर्थ नहीं है; या

(ख) उसकी यह राय है कि सम्पूर्ण रकम या उसके किसी भाग की वसूली शीघ्र करने या सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ, ऐसा करना आवश्यक है,

---

1. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 15 (20-10-1989 से) जोड़ा गया ।
2. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 16 द्वारा (1-9-1991 से) अंत:स्थापित ।

वहां वह उस वसूली अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता के भीतर कारखाना या स्थापन या प्रधान या आसन्न नियोक्ता की संपत्ति है या नियोक्ता निवास करता है, प्रमाणपत्र भेज सकेगा या जहां केवल रकम का एक भाग वसूल किया जाना है वहां केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति और वसूल की जाने वाली रकम विनिर्दिष्ट करते हुए प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि भेज सकेगा, और तदुपरि वह वसूली अधिकारी भी इस धारा के अधीन देय रकम को वसूल करने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो प्रमाणपत्र या उसकी प्रतिलिपि, वह प्रमाणपत्र है जो उसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भेजी गई थी ।

45ङ प्रमाणपत्र की विधिमान्यता और उसका संशोधन—(1) जब प्राधिकृत अधिकारी धारा 45ग के अधीन वसूली अधिकारी को प्रमाणपत्र जारी करता है तो कारखाना या स्थापन या प्रधान या आसन्न नियोक्ता को यह स्वतंत्रता नहीं होगी कि वह वसूली अधिकारी के समक्ष रकम के सही होने के बारे में विरोध करे और वसूली अधिकारी द्वारा किसी अन्य आधार पर प्रमाणपत्र के संबंध में कोई आक्षेप भी ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

(2) वसूली अधिकारी को प्रमाणपत्र जारी किए जाने पर भी, प्राधिकृत अधिकारी को प्रमाणपत्र वापस लेने की या प्रमाणपत्र में किसी लेखन या गणित संबंधी भूल को, वसूली अधिकारी को सूचना भेजकर, सुधार करने की शक्ति होगी ।

(3) प्राधिकृत अधिकारी, वसूली अधिकारी को किसी प्रमाणपत्र को वापस लेने या रद्द करने के किन्हीं आदेशों की या उसके द्वारा उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी सुधार की या धारा 45च की उपधारा (4) के अधीन किए गए किसी संशोधन की सूचना देगा ।

45च. प्रमाणपत्र के अधीन कार्यवाहियों को रोकना और उसका संशोधन करना या उसे वापस लेना—(1) इस बात के होते हुए भी कि किसी रकम की वसूली के लिए वसूली अधिकारी को प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है, प्राधिकृत अधिकारी रकम का संदाय करने के लिए समय अनुदत्त कर सकेगा और तदुपरि वसूली अधिकारी इस प्रकार अनुदत्त समय की समाप्ति तक उन कार्यवाहियों को रोक देगा ।

(2) जहां रकम की वसूली के लिए प्रमाणपत्र जारी किया गया है वहां प्राधिकृत अधिकारी ऐसे प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के पश्चात् ऐसी किसी रकम के, जो संदत्त की गई हो या ऐसे समय के जो संदाय के लिए दिया गया हो, बारे में वसूली अधिकारी को सूचना देता रहेगा ।

(3) जहां उस रकम की मांग वाला आदेश, जिसकी वसूली के लिए प्रमाणपत्र जारी किया गया है, इस अधिनियम के अधीन अपील या अन्य कार्यवाहियों में उपांतरित कर दिया गया है और उसके परिणामस्वरूप मांग घटा दी जाती है किंतु वह आदेश इस अधिनियम के अधीन आगे कार्यवाही की जाने की विषयवस्तु है वहां प्राधिकृत अधिकारी प्रमाणपत्र की रकम के उतने भाग की वसूली जितना उक्त घटाए जाने से संबंधित है उस कालावधि के लिए रोक देगा जिसके लिए अपील या अन्य कार्यवाही लंबित रहती है ।

(4) जहां रकम की वसूली के लिए प्रमाणपत्र जारी किया गया है और बाद में बकाया मांग की रकम इस अधिनियम के अधीन अपील या अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप घटा दी गई है, वहां प्राधिकृत अधिकारी, जब वह आदेश, जो ऐसी अपील या अन्य कार्यवाही की विषयवस्तु था, अन्तिम और निश्चायक हो गया है, यथास्थिति, उस प्रमाणपत्र का संशोधन करेगा या उसे वापस ले लेगा ।

45छ. वसूली के अन्य ढंग—(1) धारा 45ग के अधीन वसूली अधिकारी को प्रमाणपत्र जारी किए जाने पर भी, महानिदेशक या निगम द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी इस धारा में उपबन्धित किसी एक या अधिक ढंग से रकम वसूल कर सकेगा ।

(2) यदि किसी व्यक्ति से किसी कारखाने या स्थापन, यथास्थिति, प्रधान या आसन्न नियोक्ता को, जिस पर बकाया है, कोई रकम शोध्य है तो महानिदेशक या निगम द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसे व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन ऐसे कारखाने या स्थापन या, यथास्थिति, प्रधान, या आसन्न नियोक्ता से शोध्य बकाया की उक्त रकम से ऐसी कटौती करने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करेगा तथा इस प्रकार कटौती की गई राशि का संदाय निगम के खाते में करेगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 60 के अधीन सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त रकम के किसी भाग को लागू नहीं होगी ।

(अध्याय 4-अंशदान ।)

(3)(i) महानिदेशक या निगम द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, किसी भी समय या समय-समय पर, लिखित सूचना द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिससे धन कारखाने या स्थापन या, यथास्थिति, प्रधान या आसन्न नियोक्ता* को शोध्य है या, शोध्य हो सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति से, जो कारखाने या स्थापन या, यथास्थिति, प्रधान या आसन्न नियोक्ता* के लिए या उसके मद्धे धन धारण करता है या बाद में धन धारण करे, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह महानिदेशक को या तो धन के शोध्य होने पर तत्काल या धारण किए जाने पर या सूचना में विनिर्दिष्ट समय पर या उसके भीतर (जो धन शोध्य होने या धारण करने के पूर्व न हो) उतने धन का संदाय करे जितना बकाया के संबंध में कारखाने या स्थापन या, यथास्थिति, प्रधान या आसन्न नियोक्ता के शोध्य रकम का संदाय करने के लिए पर्याप्त है या जब वह उस रकम के बराबर है या उससे कम है तो संपूर्ण धन का संदाय करे ।

(ii) इस उपधारा के अधीन सूचना किसी ऐसे व्यक्ति को जारी की जा सकेगी जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्तत: प्रधान या आसन्न नियोक्ता के लिए या उसके मद्धे कोई धन धारण करता है या बाद में धारण करे और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे खाते में संयुक्त धारकों के अंशों के बारे में, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न हो, यह उपधारणा की जाएगी कि वे बराबर हैं ।

(iii) सूचना की एक प्रति, प्रधान या आसन्न नियोक्ता को, यथास्थिति, महानिदेशक को या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी को ज्ञात उसके अन्तिम पते पर और संयुक्त खाता होने की दशा में सभी संयुक्त धारकों को, महानिदेशक को या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी को ज्ञात उनके अन्तिम पतों पर, अग्रेषित की जाएगी ।

(iv) इस उपधारा में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, ऐसा प्रत्येक जिसे इस उपधारा के अधीन सूचना दी जाती है, ऐसी सूचना का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और विशिष्टत: जहां ऐसी कोई सूचना किसी डाकघर, बैंक या बीमाकर्ता को जारी की जाती है वहां किसी नियम, पद्धति या अध्यपेक्षा के तत्प्रतिकूल होने पर भी, किसी पासबुक, निक्षेप रसीद, पालिसी या किसी अन्य दस्तावेज को, संदाय के पूर्व किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या ऐसे ही किसी प्रयोजन के लिए पेश करना आवश्यक नहीं होगा ।

(v) किसी ऐसी संपत्ति के संबंध में, जिसके संबंध में इस उपधारा के अधीन कोई सूचना जारी की गई है, कोई दावा, जो सूचना की तारीख के पश्चात् उद्भूत होता है, सूचना में अन्तर्विष्ट किसी मांग के विरुद्ध शून्य होगा|

(vi) जहां कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे इस उपधारा के अधीन कोई सूचना भेजी गई है, शपथ पर यह कथन करके उसके संबंध में आक्षेप करता है कि मांग की गई राशि या उसका कोई भाग प्रधान या आसन्न नियोक्ता को देय नहीं है या वह प्रधान या आसन्न नियोक्ता के लिए या उसके मद्धे कोई धन धारण नहीं करता है वहां इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति से, यथास्थिति, ऐसी कोई राशि या उसका भाग संदत्त करने की अपेक्षा करती है, किन्तु यदि यह पता चलता है कि ऐसा कथन किसी तात्विक विशिष्टि में मिथ्या था तो ऐसा व्यक्ति, महानिदेशक या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी के प्रति, सूचना की तारीख को, प्रधान या आसन्न नियोक्ता के प्रति स्वयं अपने दायित्व की सीमा तक, या इस अधिनियम के अधीन देय किसी राशि के लिए प्रधान या आसन्न नियोक्ता के दायित्व की सीमा तक, इनमें से जो भी कम हो, व्यक्तिगत रूप से दायी होगा ।

(vii) महानिदेशक या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी किसी भी समय या समय-समय पर इस उपधारा के अधीन जारी की गई किसी सूचना को संशोधित या अप्रतिसंहृत कर सकेगा या ऐसी सूचना के अनुसरण में कोई संदाय करने के लिए समय बढ़ा सकेगा ।

(viii) महानिदेशक या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी इस उपधारा के अधीन जारी की गई सूचना के अनुपालन में संदत्त की गई किसी रकम की रसीद देगा और इस प्रकार संदाय करने वाला व्यक्ति, इस प्रकार संदत्त रकम के परिमाण तक प्रधान या आसन्न नियोक्ता के प्रति अपने दायित्व से पूर्णत: उन्मोचित हो जाएगा ।

(ix) इस उपधारा के अधीन सूचना प्राप्त करने के पश्चात् प्रधान या आसन्न नियोक्ता के प्रति किसी दायित्व का उन्मोचन करने वाला कोई व्यक्ति, इस प्रकार उन्मोचित प्रधान या आसन्न नियोक्ता के प्रति अपने स्वयं के दायित्व के विस्तार तक या इस अधिनियम के अधीन देय किसी राशि के लिए प्रधान या आसन्न नियोक्ता के दायित्व के विस्तार तक, इनमें से जो भी कम हो, महानिदेशक या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी के प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा ।

(x) यदि वह व्यक्ति, जिसे इस उपधारा के अधीन सूचना भेजी गई है, महानिदेशक या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी को उसके अनुसरण में संदाय करने में असफल रहता है, तो उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम की बाबत व्यतिक्रमी प्रधान या आसन्न नियोक्ता समझा जाएगा और उस रकम की वसूली के लिए धारा 45ग से धारा 45च में उपबन्धित रीति से उसके विरुद्ध आगे कार्यवाही की जा सकेगी मानों वह उससे देय बकाया रकम है और सूचना का वही प्रभाव होगा जैसा वसूली अधिकारी द्वारा धारा 45ग के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में ऋण की कुर्की का होता है ।

(4) महानिदेशक या निगम द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी उस न्यायालय को, जिसकी अभिरक्षा में प्रधान या आसन्न नियोक्ता का धन है, ऐसे धन की समस्त रकम का या यदि वह देय रकम से अधिक है तो उतनी रकम का जितना देय रकम के उन्मोचित करने के लिए पर्याप्त है, उसे संदाय करने के लिए आवेदन कर सकेगा |

(5) यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, महानिदेशक या निगम के किसी अधिकारी को इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो तो वह, किसी कारखाने या स्थापन से, या, यथास्थिति, प्रधान या आसन्न नियोक्ता से देय रकम की किसी बकाया की वसूली उसकी जंगम संपत्ति के करस्थम् और विक्रय द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की तीसरी अनुसूची में अधिकथित रीति से कर सकेगा |

45ज. आय-कर अधिनियम के कतिपय उपबन्धों का लागू होना—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची के उपबन्ध तथा समय-समय पर यथाप्रवृत्त आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाहियां) नियम, 1962, आवश्यक उपांतरणों सहित, इस प्रकार लागू होंगे मानो उक्त उपबन्ध और नियम आय-कर अधिनियम के बजाय इस अधिनियम के अधीन अंशदानों, ब्याजों या नुकसानियों की रकम की बकाया के प्रति निर्देशित हों :

परन्तु उक्त उपबन्धों और नियमों में, "निर्धारिती" के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी कारखाने या स्थापन अथवा प्रधान या आसन्न नियोक्ता के प्रति निर्देश है |

45झ. परिभाषाएं—धारा 45ग से धारा 45ज के प्रयोजनों के लिए—

(क) "प्राधिकृत अधिकारी" से महानिदेशक, बीमा आयुक्त, संयुक्त बीमा आयुक्त, क्षेत्रीय निदेशक या ऐसा अन्य अधिकारी अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत करे;

(ख) "वसूली अधिकारी" से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या निगम का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करे ||

अध्याय 5

हितलाभ

46. हितलाभ—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि [1][यथास्थिति, बीमाकृत व्यक्ति, उनके आश्रितजन या इसके पश्चात् वर्णित व्यक्ति] निम्नलिखित हितलाभों के हकदार होंगे, अर्थात्:-

(क) किसी भी बीमाकृत व्यक्ति को कालिक संदाय (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् बीमारी-हितलाभ कहा गया है), उसकी ऐसी बीमारी की दशा में जिसे सम्यक् रूप से नियुक्त किसी चिकित्सा व्यवसायी ने [2][या किसी अन्य व्यक्ति ने, जो ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखता हो, जैसे निगम विनियमों द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे] प्रमाणित किया हो;

[3][(ख) प्रसवावस्था की या गर्भपात की या गर्भावस्था, प्रसवावस्था, समयपूर्व शिशु जन्म या गर्भपात से उद्भूत बीमारी की दशा में किसी ऐसी बीमाकृत महिला को कालिक संदाय (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मातृत्व हितलाभ कहा गया है), जिसे विनियमों द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए गए प्राधिकारी ने ऐसे संदायों के लिए पात्र प्रमाणित किया हो];

(ग) किसी ऐसे बीमाकृत व्यक्ति को कालिक संदाय (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् नि:शक्तता हितलाभ कहा गया है), जो इस अधिनियम के अधीन के कर्मचारी के रूप में उसे हुई किसी रोजगार क्षति के परिणामस्वरूप हुई नि:शक्तता से ग्रस्त है और जिसे विनियमों द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए गए प्राधिकारी ने ऐसे संदायों के लिए पात्र प्रमाणित किया हो;

(घ) किसी ऐसे बीमाकृत व्यक्ति के, जो इस अधिनियम के अधीन के कर्मचारी के रूप में उसे हुई किसी रोजगार-क्षति के परिणामस्वरूप मर जाता है, ऐसे आश्रितों को कालिक संदाय (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् आश्रितजन-हितलाभ कहा गया है), जो इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर के हकदार हैं; [4]***

---

1. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 18 द्वारा (28-1-1968 से) "अथवा, यथास्थिति, उनके आश्रितजन" के स्थान पर प्रतिस्थापित |
2. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 18 द्वारा (28-1-1968 से) अंत:स्थापित |
3. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 18 द्वारा मूल खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित |
4. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 18 द्वारा (28-1-1968 से) "और" शब्द का लोप किया गया |

(ङ) बीमाकृत व्यक्तियों के लिए चिकित्सीय उपचार और परिचर्या (जिसे इसमें इसके पश्चात् चिकित्सा हितलाभ कहा गया है); [1][तथा]

[1][(च) मृत बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि पर व्यय के लिए ऐसे बीमाकृत व्यक्ति के, जो मर गया है, कुटुम्ब के ज्येष्ठतम उत्तरजीवी सदस्य को, या जहां बीमाकृत व्यक्ति का कोई कुटुम्ब नहीं था या वह अपनी मृत्यु के समय अपने कुटुम्ब के साथ नहीं रह रहा था वहां उस व्यक्ति को, जो मृत बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि पर वस्तुत: व्यय उपगत करता है, संदाय (जिसे [2][अंत्येष्टि व्यय] के रूप में जाना जाएगा):]

परन्तु ऐसे संदाय की रकम [3][सौ रुपये] से अधिक नहीं होगी और ऐसे संदाय के लिए दावा बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के तीन मास के भीतर, या ऐसी विस्तारित कालावधि के भीतर, जिसे निगम या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी या प्राधिकारी अनुज्ञात करे, किया जाएगा |

(2) निगम, समुचित सरकार की प्रार्थना पर और ऐसी शर्तों पर, जो विनियमों में अधिकथित की जाएं, चिकित्सा हितलाभ बीमाशुल्क व्यक्ति के कुटुम्ब के लिए भी विस्तारित कर सकेगा |

[4][**47. बीमारी-हितलाभ के लिए व्यक्ति कब पात्र होगा**—कोई व्यक्ति किसी हितलाभ-कालावधि के दौरान होने वाली बीमारी के लिए बीमारी-हितलाभ का दावा करने के लिए उस दशा में अहित होगा जिसमें उसका बाबत अंशदान तत्संबंधी अंशदान कालावधि के दिनों की संख्या के आधे से अन्यून के लिए संदेय थे |]

48. [**रोजगार के लिए व्यक्ति कब उपलब्ध समझा जाएगा |**]—कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 का 44) की धारा 20 द्वारा निरसित |

[5][**49. बीमारी-हितलाभ**—वह व्यक्ति जो धारा 47 के अनुसार बीमारी-हितलाभ का दावा करने के लिए अर्हित है, इस अधिनियम के और यदि कोई विनियम हो तो उनके उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी हितलाभ अपनी बीमारी कालावधि के लिए उन दरों पर पाने का हकदार होगा जो [6][प्रथम अनुसूची] में विनिर्दिष्ट है :

परन्तु जिस बीमारी के दौर के लिए बीमारी-हितलाभ अन्तिम बार दी गई थी उसके पश्चात् पन्द्रह दिन से अनधिक के अन्तराल पर के बीमारी के दौर की दशा में के सिवाय, वह [7][बीमारी के प्रथम दो दिनों के लिए] हितलाभ पाने का हकदार नहीं होगा :

[8][परन्तु यह और कि किन्हीं भी दो क्रमवर्ती हितलाभ-कालावधियों में बीमारी-हितलाभ किसी व्यक्ति को छप्पन दिन से अधिक के लिए नहीं दी जाएगी |]

50. मातृत्व-हितलाभ—[9][(1) कोई बीमाकृत महिला ऐसी किसी प्रसवावस्था के लिए, जो किसी हितलाभ-कालावधि में हो या होनी प्रत्याशित हो, मातृत्व-हितलाभ का दावा करने के लिए उस दशा में अर्हित होगी जिसमें उसका बाबत अंशदान तत्संबंधी अंशदान कालावधि के दिनों की संख्या के आधे से अन्यून के लिए संदेय थे|]

---

1. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 18 द्वारा (28-1-1968 से) अंत:स्थापित |
2. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 17(i) द्वारा (20-10-1989 से) "अंत्येष्टि हितलाभ" के स्थान पर प्रतिस्थापित |
3. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 17(ii) द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) कोष्ठक में दिए गए शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:- "ऐसी रकम जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए" |
4. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 18 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) धारा 47 लोप की जाएगी |
5. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 19 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) धारा 49 और धारा 50 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

   "49. बीमारी-हितलाभ—किसी व्यक्ति की बीमारी-हितलाभ का दावा करने की अर्हता, वे शर्तें जिनके अधीन ऐसी हितलाभ दी जा सकेगी, उसकी दर और कालावधि वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए |"

   "50. मातृत्व-हितलाभ—किसी बीमाकृत महिला की मातृत्व-हितलाभ का दावा करने की अर्हता, वे शर्तें जिनके अधीन ऐसी हितलाभ दी जा सकेगी, उसकी दर और कालावधि वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए |"
6. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 21 द्वारा (28-1-1968 से) "दूसरी अनुसूची" के स्थान पर प्रतिस्थापित |
7. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 21 द्वारा (28-1-1968 से) "दो दिन की आरम्भिक प्रतीक्षा की कालावधि के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित |
8. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 21 द्वारा (28-1-1968 से) मूल द्वितीय परन्तुक के स्थान पर प्रतिस्थापित|
9. 1984 के अधिनियम सं. 45 की धारा 7 द्वारा (27-1-1985 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित |

(2) वह बीमाकृत महिला जो उपधारा (1) के अनुसार मातृत्व-हितलाभ का दावा करने के लिए अर्हित है, इस अधिनियम के और यदि कोई विनियम हों तो उनके उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, उन सभी दिनों के लिए जिनमें वह, उन बारह सप्ताहों की कालावधि के दौरान, जिनमें से प्रसवावस्था प्रत्याशित तारीख से पहले वाले छह से अधिक न होंगे, पारिश्रमिक के लिए काम नहीं करती है, ऐसी प्रसुविधि [1][प्रथम अनुसूची] में [2][विनिर्दिष्ट दैनिक दर पर] पाने की हकदार होगी :

[3][परन्तु जहां बीमाकृत महिला अपनी प्रसवावस्था के दौरान या अपनी ऐसी प्रसवावस्था के ठीक पश्चात्वर्ती छह सप्ताहों की कालावधि के दौरान, जिसके लिए वह मातृत्व-हितलाभ की हकदार है, कोई शिशु छोड़ कर मर जाती है वहां मातृत्व-हितलाभ उस संपूर्ण कालावधि के लिए दी जाएगी, किन्तु यदि उक्त कालावधि के दौरान शिशु भी मर जाता है तो मातृत्व-हितलाभ शिशु की मृत्यु तक के दिनों के लिए, जिनमें मृत्यु का दिन भी सम्मिलित है, ऐसे व्यक्ति को, जिसे बीमाकृत महिला ने ऐसी रीति से नामनिर्दिष्ट किया हो जैसी विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए और यदि ऐसा कोई नामनिर्देशिती न हो तो उसके विधिक प्रतिनिधि को, दी जाएगी ।

[4][(3) वह बीमाकृत महिला जो उपधारा (1) के अनुसार मातृत्व-हितलाभ का दावा करने के लिए अर्हित है, गर्भपात की दशा में, ऐसा सबूत पेश करने पर, जैसा विनियमों के अधीन अपेक्षित हो, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर मातृत्व-हितलाभ की उन सभी दिनों के लिए हकदार होगी जिनमें वह अपने गर्भपात की तारीख के ठीक पश्चात्वर्ती छह सप्ताहों की कालावधि के दौरान पारिश्रमिक के लिए काम नहीं करती ।]

(4) वह बीमाकृत महिला, जो उपधारा (1) के अनुसार मातृत्व-हितलाभ का दावा करने के लिए अर्हित है, गर्भावस्था, प्रसवावस्था, समयपूर्व शिशु जन्म या गर्भपात से उद्भूत बीमारी की दशा में, ऐसा सबूत पेश करने पर, जैसा विनियमों के अधीन अपेक्षित हो, उन सभी दिनों के लिए, जिनमें वह पारिश्रमिक के लिए काम नहीं करती इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन उसे संदेय मातृत्व-हितलाभ के अतिरिक्त, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर मातृत्व-हितलाभ की, एक मास से अनधिक की अतिरिक्त कालावधि के दौरान के उन सभी दिनों के लिए, जिनको वह पारिश्रमिक के लिए काम नहीं करती, हकदार होगी ।]

[5][**51. नि:शक्तता हितलाभ**—इस अधिनियम के [6][और यदि कोई विनियम हों तो उनके] उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि—

(क) वह व्यक्ति, जिसे (दुर्घटना वाले दिन को अपवर्जित करके) तीन दिन के अन्यून के लिए अस्थायी नि:शक्तता हुई है, [7][ऐसी नि:शक्तता की कालावधि के लिए प्रथम अनुसूची के उपबन्धों के अनुसार] कालिक संदाय का हकदार होगा;

(ख) वह व्यक्ति, जिसे कोई स्थायी नि:शक्तता हुई है, चाहे वह पूर्ण हो या आंशिक, ऐसी नि:शक्तता के लिए प्रथम अनुसूची के उपबन्धों के अनुसार कालिक संदाय का हकदार होगा :

[8][परन्तु जहां स्थायी नि:शक्तता, चाहे वह पूर्ण हो या आंशिक, किसी परिसीमित कालावधि के लिए अनन्तिम रूप से या अन्तिम रूप से निर्धारित की गई है, वहां इस खण्ड के अधीन उपबन्धित हितलाभ, यथास्थिति, उस परिसीमित कालावधि के लिए या जीवन भर के लिए संदेय होगी ।]

---

1. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 22 द्वारा (28-1-1968 से) "उपधारा (3)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 14 द्वारा "बारह आना दैनिक पर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 22 द्वारा (28-1-1968 से) अंत:स्थापित ।
4. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 22 द्वारा (28-1-1968 से) मूल उपधारा (3) के स्थान पर उपधारा (3) और (4) प्रतिस्थापित ।
5. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 23 द्वारा (28-1-1968 से) मूल धारा 51 के स्थान पर धारा 51 से धारा 51घ प्रतिस्थापित ।
6. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 20 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) कोष्ठक में दिए गए शब्द लोप किए जाएंगे ।
7. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 20 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) कोष्ठक में दिए गए शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:- "ऐसी दरों से और ऐसी कालावधि के लिए तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए" ।
8. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 20 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

51क. रोजगार के अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना के बारे में उपधारणा—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बीमाकृत व्यक्ति के रोजगार के अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना के बारे में, तत्प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में यह उपधारणा की जाएगी कि वह दुर्घटना भी उस रोजगार से उद्भूत हुई है |

51ख. विनियमों आदि के भंग में कार्य करते समय घटित होने वाली दुर्घटनाएं—इस बात के होते हुए भी कि दुर्घटना के समय बीमाकृत व्यक्ति, उसे लागू किसी विधि के उपबन्धों के या उसके नियोक्ता द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किन्हीं आदेशों के उल्लंघन में कार्य कर रहा है या अपने नियोक्ता के अनुदेशों के बिना कार्य कर रहा है, दुर्घटना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह बीमाकृत व्यक्ति के रोजगार से और उसके अनुक्रम में उद्भूत हुई है, यदि—

(क) दुर्घटना इस प्रकार उद्भूत हुई उस दशा में समझी जाती जिसमें कि कार्य, यथास्थिति, यथापूर्वोक्त उल्लंघन में या अपने नियोक्ता के अनुदेशों के बिना न किया गया होता; तथा

(ख) कार्य, नियोक्ता के व्यापार या कारबार के प्रयोजनार्थ और उसके संबंध में किया जाता है |

51ग. नियोक्ता के परिवहन में यात्रा करते समय घटित दुर्घटनाएं—(1) बीमाकृत व्यक्ति के किसी यान द्वारा अपने काम के स्थान को या उससे, नियोक्ता की अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से यात्री के रूप में यात्रा करते समय हुई दुर्घटना के बारे में, इस बात के होते हुए भी कि वह उस यान से यात्रा करने के लिए अपने नियोक्ता के प्रति किसी बाध्यता के अधीन नहीं है, यह समझा जाएगा कि वह दुर्घटना उसके रोजगार से और उसके अनुक्रम में उद्भूत हुई है, यदि—

(क) दुर्घटना इस प्रकार उद्भूत हुई उस दशा में समझी जाती जिसमें कि वह ऐसी बाध्यता के अधीन होता; तथा

(ख) दुर्घटना के समय, यान—

(i) नियोक्ता द्वारा या उसकी ओर से या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है जिसने उसका उपबन्ध उस व्यक्ति के नियोक्ता के साथ किए गए किसी ठहराव के अनुसरण में किया है; तथा

(ii) लोक परिवहन सेवा के मामूली अनुक्रम में नहीं चलाया जा रहा है |

(2) इस धारा में "यान" के अन्तर्गत जलयान और वायुयान आते हैं |

51घ. आपात का सामना करते समय हुई दुर्घटनाएं—बीमाकृत व्यक्ति को किसी ऐसे परिसर में या परिसर के निकट, जहां वह अपने नियोक्ता के व्यापार या कारबार के प्रयोजन के लिए तत्समय नियोजित है, हुई दुर्घटना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उसके रोजगार से और उसके अनुक्रम में उद्भूत हुई है, यदि वह तब घटित होती है, जब वह उस परिसर में वास्तविक या अनुमित आपात होने पर, ऐसे व्यक्तियों को, जो क्षतिग्रस्त है या जोखिम में पड़ गए हैं, या वैसे समझे जाते हैं, या जिनके विषय में यह समझा जाता है कि वे संभवत: क्षतिग्रस्त हो गए हैं या जोखिम में पड़ गए हैं, बचाने, उन्हें सहायता देने या उनके संरक्षण के लिए, या सम्पत्ति को गम्भीर नुकसान से बचाने या ऐसा नुकसान कम-से-कम करने के लिए, कदम उठा रहा है |]

[1][**52. आश्रितजन हितलाभ**—(1) यदि कोई बीमाकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन के कर्मचारी के रूप में उसे हुई किसी रोजगार-क्षति के परिणामस्वरूप मर जाता है (चाहे उसे उस क्षति की बाबत अस्थायी नि:शक्तता के लिए कोई कालिक संदाय मिलता था या नहीं) तो धारा 2 के खंड (6क) के [2][उपखंड (i) और] उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट उसके आश्रितों को आश्रितजन हितलाभ [3][प्रथम अनुसूची के उपबन्धों के अनुसार] संदेय होगा |

(2) यदि बीमाकृत व्यक्ति अपने पीछे यथापूर्वोक्त आश्रितों को छोड़े बिना मर जाता है तो, आश्रितजन हितलाभ मृतक के अन्य आश्रितों को [3][प्रथम अनुसूची के उपबन्धों के अनुसार] दिया जाएगा |

---

1. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 24 द्वारा (28-1-1968 से) मूल धारा 52 के स्थान पर प्रतिस्थापित |
2. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 21 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) कोष्ठक में के शब्दों के स्थान पर "उपखंड (i), उपखंड (ia) और" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे |
3. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 21 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) कोष्ठक में के शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:- "ऐसी दरों से और ऐसी कालावधि के लिए तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए" |

52क. उपजीविकाजन्य रोग—(1) यदि तृतीय अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट किसी रोजगार में नियोजित किसी कर्मचारी को कोई ऐसा रोग लग जाता है जो उस भाग में ऐसे उपजीविकाजन्य रोग के रूप में विनिर्दिष्ट है जो उस रोजगार में विशिष्टत: होता है या यदि अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट रोजगार में छह मास से अन्यून की निरंतर कालावधि तक नियोजित कर्मचारी को कोई ऐसा रोग लग जाता है जो उस भाग में ऐसे उपजीविकाजन्य रोग के रूप में विनिर्दिष्ट है जो रोजगार में विशिष्टत: होता है या यदि उस अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट किसी रोजगार में, ऐसी निरंतर कालावधि तक जैसी निगम ऐसे हर एक रोजगार के बारे में विनिर्दिष्ट करे, नियोजित कर्मचारी को कोई ऐसा रोग लग जाता है जो उस भाग में ऐसे उपजीविकाजन्य रोग के रूप में विनिर्दिष्ट है जो उस रोजगार में विशिष्टत: होता है तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न हो जाए, यह समझा जाएगा कि रोग का लग जाना रोजगार से और उसके अनुक्रम में उद्भूत "रोजगार-क्षति" है |

(2) (i) जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियोजनों में, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन उसमें निहित शक्तियों के आधार पर किसी भी वर्णन का रोजगार जोड़ देती है, वहां उक्त वर्णन का रोजगार और वे उपजीविकाजन्य रोग, जो उस उपधारा के अधीन ऐसे रोग के रूप में विनिर्दिष्ट है जो उस वर्णन के रोजगार में विशिष्टत: होते हैं, तृतीय अनुसूची के भाग समझे जाएंगे |

(ii) खंड (i) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निगम, ऐसा करने के अपने आशय की कम-से-कम तीन मास की सूचना, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, देने के पश्चात् वैसी ही अधिसूचना द्वारा किसी भी वर्णन के रोजगार को तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियोजनों में जोड़ सकेगा और इस प्रकार जोड़े गए नियोजनों की दशा में उन रोगों को विनिर्दिष्ट करेगा, जो इस धारा के प्रयोजनों के लिए क्रमश: उन नियोजनों में विशिष्टत: होने वाले उपजीविकाजन्य रोग समझे जाएंगे और तदुपरि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे लागू होंगे मानो इस अधिनियम द्वारा यह घोषित किया गया था कि वह रोग उन नियोजनों में विशिष्टत: होने वाले उपजीविकाजन्य रोग हैं |

(3) उपधाराओं (1) और (2) द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी रोग के लिए कोई भी हितलाभ कर्मचारी को तब तक संदेय न होगा जब तक रोग उसके रोजगार से और उसके अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना द्वारा हुई किसी विनिर्दिष्ट क्षति के फलस्वरूप प्रत्यक्षत: हुआ न माना जा सकता हो |

(4) धारा 51क के उपबन्ध उन मामलों को लागू नहीं होंगे जिन्हें यह धारा लागू होती है |]

[1][**53. किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिकर या नुकसानी प्राप्त करने या वसूल करने के विरुद्ध वर्जन**—बीमाकृत व्यक्ति या उसके आश्रितजन, इस अधिनियम के अधीन के कर्मचारी के रूप में बीमाकृत व्यक्ति को हुई रोजगार-क्षति की बाबत कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8), या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन, या अन्यथा, कोई प्रतिकर या नुकसानी, बीमाकृत व्यक्ति के नियोक्ता से या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त करने या वसूल करने के हकदार नहीं होंगे |]

[2][**54. नि:शक्तता के प्रश्न का अवधारण**—यह प्रश्न कि—

(क) सुसंगत दुर्घटना के परिणामस्वरूप स्थायी नि:शक्तता हुई है या नहीं, अथवा

(ख) उपार्जन सामर्थ्य की हानि का परिणाम अनन्तिम रूप से निर्धारित किया जा सकता है या अन्तिम रूप से; अथवा

(ग) उपार्जन सामर्थ्य की हानि के अनुपात का निर्धारण अनन्तिम है या अन्तिम, अथवा

(घ) अनन्तिम निर्धारण की दशा में ऐसा निर्धारण कितनी अवधि के लिए प्रभावी रहेगा,

विनियमों के उपबन्धों के अनुसार गठित चिकित्सक बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा और ऐसा प्रश्न इसमें उसके पश्चात् "नि:शक्तता का प्रश्न" कहा जाएगा |

54क. चिकित्सक बोर्डों को निर्देश और चिकित्सा अपील अधिकरणों और कर्मचारी बीमा न्यायालयों को अपील—(1) स्थायी नि:शक्तता हितलाभ के लिए किसी बीमाकृत व्यक्ति का मामला नि:शक्तता के प्रश्न को अवधारित करने के लिए निगम द्वारा चिकित्सक बोर्ड को निर्देशित किया जाएगा और यदि, उस या किसी उत्तरवर्ती निर्देश पर अनन्तिम रूप से यह निर्धारित कर लिया जाता है कि बीमाकृत व्यक्ति की उपार्जन सामर्थ्य की कितनी हानि हुई है तो वह प्रश्न उस कालावधि की जो अनन्तिम निर्धारण में विचार में ली गई थी, समाप्ति के अनुपरान्त पुन: उसी प्रकार चिकित्सक बोर्ड को निर्देशित किया जाएगा |

---

1. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 25 द्वारा (28-1-1968 से) मूल धारा 53 के स्थान पर प्रतिस्थापित |
2. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 26 द्वारा (28-1-1968 से) मूल धारा 54 के स्थान पर प्रतिस्थापित |

(2) यदि चिकित्सक बोर्ड के विनिश्चय से बीमाकृत व्यक्ति का या निगम का समाधान नहीं होता है तो बीमाकृत व्यक्ति का निगम विहित रीति से और विहित समय के भीतर—

(i) विनियमों के उपबन्धों के अनुसार गठित चिकित्सा अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा और उसे कर्मचारी बीमा न्यायालय को विहित रीति से और विहित समय के भीतर आगे अपील करने का अधिकार भी होगा, अथवा

(ii) कर्मचारी बीमा न्यायालय को सीधे अपील कर सकेगा :]

[1][परन्तु इस उपधारा के अधीन किसी बीमाकृत व्यक्ति द्वारा कोई अपील उस दशा में नहीं होगी जिसमें ऐसे व्यक्ति ने चिकित्सक बोर्ड के विनिश्चय के आधार पर नि:शक्तता हितलाभ के संराशीकरण के लिए आवेदन किया है और ऐसी हितलाभ का संराशित मूल्य प्राप्त कर लिया है :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन निगम द्वारा कोई अपील उस दशा में नहीं होगी जिसमें निगम ने, चिकित्सक बोर्ड के विनिश्चय के आधार पर नि:शक्तता हितलाभ का संराशित मूल्य संदत्त कर दिया है |]

[2][**55. चिकित्सक बोर्ड या चिकित्सा अपील अधिकरण द्वारा विनिश्चयों का पुनर्विलोकन**—(1) इस अधिनियम के अधीन चिकित्सक बोर्ड या चिकित्सा अपील अधिकरण के किसी भी विनिश्चय का किसी भी समय, यथास्थिति, चिकित्सक बोर्ड या चिकित्सा अपील अधिकरण द्वारा उस दशा में पुनर्विलोकन किया जा सकेगा जब उसने नए साक्ष्य द्वारा यह समाधान कर लिया हो कि विनिश्चय कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी तात्विक तथ्य के अप्रकटन या दुर्व्यपदेशन (चाहे अप्रकटन या दुर्व्यपदेशन कपटपूर्ण रहा हो या नहीं) के परिणामस्वरूप दिया गया था |

(2) सुसंगत रोजगार क्षति के परिणामस्वरूप कितनी नि:शक्तता हुई है इस बात के निर्धारण का भी चिकित्सक बोर्ड द्वारा उस दशा में पुनर्विलोकन किया जा सकेगा जब कि उसने यह समाधान कर लिया हो कि निर्धारण के पश्चात् से सुसंगत क्षति के परिणामों में सारवान् और अनवेक्षित अपवृद्धि हुई है :

परन्तु इस उपधारा के अधीन निर्धारण का पुनर्विलोकन नहीं होगा जब तक चिकित्सक बोर्ड की यह राय न हो कि निर्धारण द्वारा विचार में ली गई कालावधि को और पूर्वोक्त किसी अपवृद्धि की अधिसम्भाव्य अस्तित्वावधि को ध्यान में रखते हुए उसका पुनर्विलोकन न करने से सारवान् अन्याय होगा |

(3) चिकित्सा अपील अधिकरण की इजाजत के बिना निर्धारण का, उसकी तारीख से पांच वर्ष के पूर्व या अनन्तिम निर्धारण की दशा में छह मास के पूर्व किए गए किसी आवेदन पर उपधारा (2) के अधीन पुनर्विलोकन न किया जाएगा और ऐसे पुनर्विलोकन पर उस कालावधि में, जो किसी पुनरीक्षित निर्धारण द्वारा विचार में ली जाएगी, आवेदन की तारीख के पूर्व की कोई कालावधि सम्मिलित नहीं होगी |

(4) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, चिकित्सक बोर्ड पुनर्विलोकन के मामले पर कार्यवाही किसी भी ऐसी रीति से कर सकेगा जिसमें वह उसे मूल निर्देश होने पर कर सकता था, और विशिष्टत: पुनर्विलोकनाधीन निर्धारण के अन्तिम होते हुए भी अनन्तिम निर्धारण कर सकेगा, और धारा 54क के उपबन्ध इस धारा के अधीन के पुनर्विलोकन के आवेदन को और ऐसे आवेदन के संबंध में चिकित्सक बोर्ड के विनिश्चय को ऐसे ही लागू होंगे जैसे वे उस धारा के अधीन नि:शक्तता हितलाभ के किसी मामले को और ऐसे मामले के संबंध में चिकित्सक बोर्ड के विनिश्चय को लागू होते हैं |

55क. आश्रितजन-हितलाभ का पुनर्विलोकन—(1) इस अधिनियम के अधीन आश्रितजन-हितलाभ अधिनिर्णीत करने वाले किसी भी विनिश्चय का किसी भी समय निगम द्वारा उस दशा में पुनर्विलोकन किया जा सकेगा जब उसने नए साक्ष्य द्वारा यह समाधान कर लिया हो कि विनिश्चय दावेदार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी तात्विक तथ्य के अप्रकटन या दुर्व्यपदेशन के (चाहे अप्रकटन या दुर्व्यपदेशन कपटपूर्ण रहा हो या नहीं) परिणामस्वरूप दिया गया था या यह कि वह विनिश्चय किसी जन्म या मृत्यु के कारण या दावेदार के विवाह या पुनर्विवाह के कारण या अंग-शैथिल्य का अन्त हो जाने के कारण या दावेदार द्वारा अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लिए जाने पर अब ऐसा नहीं रह गया है जो इस अधिनियम के अनुसार हो |

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, निगम यथापूर्वोक्त पुनर्विलोकन पर यह निदेश दे सकेगा कि आश्रितजन-हितलाभ चालू रखा जाए, बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए या बन्द कर दिया जाए |]

---

1. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 22 द्वारा (20-10-1989 से) अंत:स्थापित |
2. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 27 द्वारा (28-1-1968 से) मूल धारा 55 के स्थान पर प्रतिस्थापित |

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

(अध्याय 5-हितलाभ ।)

56. चिकित्सा हितलाभ—(1) बीमाकृत व्यक्ति या (जहां ऐसे चिकित्सा-हितलाभ उसके कुटुम्ब के लिए भी विस्तारित किए गए हैं वहां) उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य, जिसकी दशा चिकित्सीय उपचार और परिचर्या की अपेक्षा करती है, चिकित्सा हितलाभ पाने का हकदार होगा ।

(2) ऐसा चिकित्सा हितलाभ या तो किसी अस्पताल या औषधालय, क्लिनिक या अन्य संस्था में बाह्य रोगी के रूप में उपचार और परिचर्या के रूप में या बीमाकृत व्यक्ति के घर पर जाकर या किसी अस्पताल या अन्य संस्था में अन्त:रोगी के रूप में उपचार के रूप में दिया जाएगा ।

(3) कोई व्यक्ति, किसी [1][ऐसी कालावधि] के दौरान, चिकित्सा-हितलाभ का हकदार होगा जिसके लिए उसकी बाबत् अंशदान संदेय है या जिसमें वह बीमारी-हितलाभ या मातृत्व-हितलाभ का दावा करने के लिए अर्हित है [2][या जिसमें वह ऐसी नि:शक्तता-हितलाभ प्राप्त करता है जो उसे विनियमों के अधीन चिकित्सा-हितलाभ पाने के लिए निर्हकित नहीं करती] :

परन्तु ऐसे व्यक्ति को, जिसकी बाबत अंशदान इस अधिनियम के अधीन संदेय नहीं रह गया है, ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी प्रकृति की चिकित्सा-हितलाभ अनुज्ञात की जा सकेगी, जैसी विनियमों के अधीन उपबन्धित की जाए :

[3][परन्तु यह और कि ऐसा बीमाकृत व्यक्ति, जिसका बीमा योग्य रोजगार स्थायी नि:शक्तता के कारण समाप्त हो जाता है, अंशदान के संदाय और ऐसी अन्य शर्तों के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अधीन रहते हुए, उस तारीख तक चिकित्सा-हितलाभ प्राप्त करता रहेगा जिसको वह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर रोजगार में नहीं रह जाता यदि उसे ऐसी स्थायी नि:शक्तता नहीं हुई होती :

परन्तु यह भी कि कोई ऐसा बीमाकृत व्यक्ति, जिसने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर ली है, और उसका पति या उसकी पत्नी अंशदान के संदाय और ऐसी अन्य शर्तों के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, अधीन रहते हुए, चिकित्सा-हितलाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, किसी बीमाकृत व्यक्ति के संबंध में, "अधिवर्षिता" से अभिप्रेत है उस व्यक्ति द्वारा उस आयु का प्राप्त किया जाना जो सेवा संविदा या सेवा शर्तों में उस आयु के रूप में नियत है जिसके प्राप्त करने पर वह बीमा योग्य रोजगार में नहीं रह जाएगा या जहां ऐसी कोई आयु नियत नहीं है और वह व्यक्ति अब बीमा योग्य रोजगार में नहीं है, वहां साठ वर्ष की आयु ।।

57. चिकित्सा-हितलाभ का पैमाना—(1) बीमाकृत व्यक्ति और (जहां ऐसी चिकित्सा-हितलाभ उसके कुटुम्ब के लिए भी विस्तारित किया गया है) वहां उसका कुटुम्ब केवल ऐसे प्रकार की और ऐसे पैमाने पर चिकित्सा-हितलाभ पाने का हकदार होगा जो राज्य सरकार या निगम द्वारा उपबन्धित किया जाए, और बीमाकृत व्यक्ति को या जहां ऐसी चिकित्सा-हितलाभ उसके कुटुम्ब के लिए भी विस्तारित की गई है, वहां उसके कुटुम्ब को ऐसे चिकित्सा-हितलाभ के सिवाय जैसी उस औषधालय, अस्पताल, क्लिनिक या अन्य संस्था में उपबन्धित की जाती है, जिसके आबंटन में वह या उसका कुटुम्ब आता है या जैसी विनियमों द्वारा उपबन्धित की जाए, किसी चिकित्सीय उपचार के लिए दावा करने का अधिकार न होगा ।

(2) इस अधिनियम की कोई भी बात बीमाकृत व्यक्ति को और (जहां ऐसी चिकित्सा-हितलाभ उसके कुटुम्ब के लिए भी विस्तारित की गई है वहां) उसके कुटुम्ब को, उसके सिवाय जैसा कि विनियमों द्वारा उपबन्धित किया जाए, यह हक न देगी कि वह किसी चिकित्सीय उपचार की बाबत उपगत किन्हीं व्ययों की प्रतिपूर्ति निगम द्वारा किए जाने का दावा करे ।

---

1. 1984 के अधिनियम सं. 45 की धारा 8 द्वारा (27-1-1985 से) "सप्ताह" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 17 द्वारा "या जैसा कि विनियम के अधीन उपबन्धित है नि:शक्तता-हितलाभ प्राप्त करता है" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 23 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) अंत:स्थापित ।

58. राज्य सरकार द्वारा चिकित्सीय उपचार का उपबन्ध—(1) राज्य सरकार बीमाकृत व्यक्तियों और (जहां ऐसा हितलाभ उनके कुटुम्बों के लिए भी विस्तारित किया गया है वहां) उनके कुटुम्बों के लिए राज्य में युक्तियुक्त चिकित्सीय, और शल्य तथा प्रासूतिक चिकित्सा का उपबन्ध करेगी :

परन्तु राज्य सरकार, निगम के अनुमोदन से, चिकित्सा व्यवसायियों के क्लिनिकों में चिकित्सीय उपचार की व्यवस्था ऐसे पैमाने पर और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर कर सकेगी जिनका करार हो जाए |

(2) जहां यह पाया जाए कि बीमाकृत व्यक्तियों के बीमारी-हितलाभ संदाय का आपतन किसी राज्य में अखिल भारतीय औसत से अधिक हो गया है, वहां ऐसे आधिक्य की राशि निगम और राज्य सरकार द्वारा ऐसे अनुपात में बांट ली जाएगी जैसा उनके बीच करार द्वारा नियत कर दिया जाए :

परन्तु निगम किसी भी मामले में उस पूरे अंश की या उसके किसी भाग की जिसका वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है, वसूली का अधित्यजन कर सकेगा |

(3) निगम उस चिकित्सीय उपचार की (जिसके अन्तर्गत भवन, उपस्कर, औषधियां और कर्मचारीवृन्द का उपबन्ध किया जाना आता है) प्रकृति और पैमाने के बारे में, जो बीमाकृत व्यक्तियों को और (जहां ऐसा चिकित्सा-हितलाभ उनके कुटुम्बों के लिए भी विस्तारित किया गया है वहां) उनके कुटुम्बों को उपबन्धित की जानी चाहिए, और उसके खर्च और बीमाकृत व्यक्तियों के बीमारी हितलाभ से आपतन में के किसी आधिक्य के निगम और राज्य सरकार के बीच बांटे जाने के लिए करार राज्य सरकार के साथ कर सकेगा |

(4) निगम और किसी राज्य सरकार के बीच यथापूर्वोक्त करार के अभाव में उस चिकित्सीय उपचार की प्रकृति और विस्तार जिसका, राज्य सरकार द्वारा उपबन्ध किया जाना है, और वह अनुपात जिसमें उसके खर्चे और बीमारी-हितलाभ के आपतन के आधिक्य निगम और उस राज्य सरकार के बीच बांटे जाएंगे, भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नियुक्त एक मध्यस्थ द्वारा (जो [1][किसी राज्य के [2][उच्च न्यायालय]] का न्यायधीश हो या रह चुका हो) अवधारित किया जाएगा और मध्यस्थ का अधिनिर्णय निगम और राज्य सरकार पर आबद्धकर होगा |

59. निगम द्वारा अस्पतालों आदि की स्थापना और अनुरक्षण—(1) निगम, राज्य में ऐसे अस्पतालों, औषधालयों और अन्य चिकित्सीय और शल्य चिकित्सा सेवाओं को, जिन्हें वह बीमाकृत व्यक्तियों और (जहां ऐसा चिकित्सा-हितलाभ उनके कुटुम्बों के लिए भी विस्तारित किया गया है वहां) उनके कुटुम्बों के हित के लिए ठीक समझे, राज्य सरकार के अनुमोदन से स्थापित और अनुरक्षित कर सकेगा |

(2) निगम किसी क्षेत्र में बीमाकृत व्यक्तियों और (जहां ऐसा चिकित्सा-हितलाभ उनके कुटुम्बों के लिए भी विस्तारित किया गया है वहां) उनके कुटुम्बों के लिए चिकित्सीय उपचार और परिचर्या का उपबन्ध किए जाने के बारे में और उसके खर्च बांटे जाने के बारे में करार [3]***किसी स्थानीय प्राधिकारी, प्राइवेट निकाय या व्यष्टि के साथ कर सकेगा |

[4][**59क. राज्य सरकार के स्थान पर निगम द्वारा चिकित्सा-हितलाभ का उपबन्ध**—(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, निगम, राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य के बीमाकृत व्यक्तियों के लिए, और जहां ऐसा चिकित्सा-हितलाभ उनके कुटुम्बों के लिए भी विस्तारित किया गया है वहां ऐसे बीमाकृत व्यक्तियों के कुटुम्बों के लिए, चिकित्सा-हितलाभ का उपबन्ध करने का उत्तरदायित्व इस शर्त के अध्यधीन अपने ऊपर ले सकेगा कि राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा-हितलाभ का खर्च ऐसे अनुपात में बंटाएगी जैसा राज्य सरकार और निगम के बीच करार हो जाए |

(2) निगम की उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करने की दशा में इस अधिनियम के अधीन चिकित्सा-हितलाभ के संबंध में उपबन्ध यावत्शक्य ऐसे लागू होंगे मानो उनमें राज्य सरकार के प्रति निर्देश निगम के प्रति निर्देश हो |]

---

1. 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 18 द्वारा "भाग क राज्य के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित |
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "किसी प्रांत के उच्च न्यायालय" के स्थान पर प्रतिस्थापित |
3. विधि अनुकूलन आदेश, (सं. 4) 1957 द्वारा "भाग ख राज्य" शब्दों का (1-11-1956 से) लोप किया गया |
4. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 28 द्वारा (17-6-1967 से) अंत:स्थापित |

(अध्याय 5-हितलाभ |)

साधारण

60. हितलाभ समनुदेशनीय या कुर्की योग्य न होगा—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी हितलाभ का संदाय प्राप्त करने का अधिकार अन्तरणीय या समनुदेशनीय नहीं होगा |

(2) इस अधिनियम के अधीन संदेय कोई भी नकद हितलाभ किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश के निष्पादन में न कुर्क किया जा सकेगा और न बेचा जा सकेगा |

61. अन्य अधिनियमितियों के अधीन हितलाभों का वर्जन—जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम द्वारा उपबन्धित हितलाभों में से किसी का हकदार हो तब वह किसी अन्य अधिनियमिति के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञेय कोई वैसा ही हितलाभ पाने का हकदार नहीं होगा |

62. व्यक्ति नकद हितलाभों का संराशीकरण नहीं कराएंगे—जैसा विनियमों में उपबन्धित किया जाए उसे छोड़कर, कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय [1][किसी नि:शक्तता-हितलाभ] का एकमुश्त राशि के रूप में संराशीकरण कराने का हकदार नहीं होगा |

[2][**63. कतिपय दशाओं में व्यक्तियों का हितलाभ पाने का हकदार न होना**—विनियमों द्वारा जैसा उपबन्धित किया जाए उसके सिवाय, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे दिन को जिसको वह काम करता है या छुट्टी या अवकाश पर रहता है, जिसकी बाबत वह मजदूरी पाता है या किसी ऐसे दिन को जिसको वह हड़ताल पर रहता है, अस्थायी नि:शक्तता के लिए बीमारी-हितलाभ या नि:शक्तता-हितलाभ का हकदार नहीं होगा |]

64. बीमारी-हितलाभ या नि:शक्तता-हितलाभ के प्रापकों द्वारा शर्तों का अनुपालन किया जाना—वह व्यक्ति, जो (स्थायी नि:शक्तता के आधार पर अनुदत्त हितलाभ से भिन्न) बीमारी-हितलाभ या नि:शक्तता-हितलाभ पाता है—

(क) इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित औषधालय, अस्पताल, क्लिनिक या अन्य संस्था में चिकित्सीय उपचार के अधीन रहेगा और अपने भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सीय परिचारक द्वारा दिए गए अनुदेशों को कार्यान्वित करेगा;

(ख) उपचाराधीन रहते हुए कोई ऐसी बात नहीं करेगा जो उसके स्वास्थ्य लाभ की गति को मन्द करे या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले;

(ग) उस चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सीय परिचारक या अन्य ऐसे प्राधिकारी की, जो विनियमों द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुज्ञा के बिना वह क्षेत्र नहीं छोड़ेगा जिसमें इस अधिनियम द्वारा उपबन्धित चिकित्सीय उपचार किया जा रहा है;

(घ) सम्यक् रूप से नियुक्त चिकित्सक अधिकारी [3]***या निगम द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा अपनी परीक्षा की जाने देना |

65. हितलाभों का समुच्चय न किया जाना—(1) बीमाकृत व्यक्ति एक ही कालावधि के लिए—

(क) बीमारी-हितलाभ और मातृत्व-हितलाभ दोनों, अथवा

(ख) बीमारी-हितलाभ और अस्थायी नि:शक्तता के लिए नि:शक्तता-हितलाभ दोनों, अथवा

(ग) मातृत्व-हितलाभ और अस्थायी नि:शक्तता के लिए नि:शक्तता-हितलाभ दोनों, पाने का हकदार नहीं होगा |

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) में वर्णित हितलाभों में से एक से अधिक का हकदार है, वहां वह यह चुनाव करने का हकदार होगा कि वह कौन सी हितलाभ लेगा |

66. [कतिपय दशाओं में नियोक्ता से नुकसानी वसूल करने का निगम का अधिकार |]—कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 का 44) की धारा 29 द्वारा ("17-6-1967") से निरसित |

---

1. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 24 द्वारा (20-10-1989 से) "किसी कालिक-संदाय" के स्थान पर प्रतिस्थापित |
2. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 25 द्वारा (20-10-1989 से) धारा 63 के स्थान पर प्रतिस्थापित |
3. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 26 द्वारा (20-10-1989 से) "या रोगी परिदर्शक" शब्दों का लोप किया गया |

67. [कतिपय दशाओं में निगम को क्षतिपूर्ति का अधिकार |]—कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 का 44) की धारा 29 द्वारा निरसित |

68. जहां प्रधान नियोक्ता कोई अंशदान देने में असफल रहता है या उपेक्षा करता है वहां निगम के अधिकार—(1) यदि कोई प्रधान नियोक्ता कोई ऐसा अंशदान देने में असफल रहता है या उपेक्षा करता है, जिसे किसी कर्मचारी की बाबत इस अधिनियम के अधीन देने के लिए वह जिम्मेदार है, और ऐसा होने से ऐसा व्यक्ति हितलाभ के लिए निर्हकित हो जाता है या किसी निचले पैमाने पर हितलाभ का हकदार हो जाता है तो, निगम यह समाधान हो जाने पर कि अंशदान प्रधान नियोक्ता द्वारा किया जाना चाहिए था उस हितलाभ का उस दर पर संदाय कर सकेगा जिसका हकदार वह उस दशा में होता जिसमें कि वह असफलता या उपेक्षा न हुई होती, और निगम प्रधान नियोक्ता से या तो—

[1][(i) निगम द्वारा उक्त व्यक्ति को दी गई हितलाभ की रकम के और उस हितलाभ की रकम के, जो उन अंशदानों के आधार पर संदेय होती, जो नियोक्ता द्वारा वस्तुत: दिए गए थे, बीच का अन्तर, अथवा]

(ii) जिस अंशदान को देने में नियोक्ता असफल रहा है या उसने उपेक्षा की है उसकी दुगुनी रकम, दोनों में से जो भी अधिक हो, वसूल करने का हकदार होगा |

(2) इस धारा के अधीन [2][या धारा 45ग से धारा 45झ तक के अधीन] वसूलीय रकम ऐसे वसूल की जा सकेगी मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो |

69. कारखानों आदि के स्वामी या अधिभोगी का अत्यधिक बीमारी-हितलाभ के लिए दायित्व—(1) जहां निगम समझता है कि बीमाकृत व्यक्तियों में बीमारी का आपतन—

(i) किसी कारखाने या स्थापन में काम करने की अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के कारण या कारखाने या स्थापन के स्वामी या अधिभोगी द्वारा किन्हीं ऐसे स्वास्थ्य विनियमों का जो उस पर किसी अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन व्यादिष्ट है अनुपालन करने में उपेक्षा की जाने के कारण, अथवा

(ii) बीमाकृत व्यक्तियों के अधिभोग में किन्हीं वासगृहों या वासों की अस्वच्छ दशाओं के कारण, जो अस्वच्छ दशाएं किन्हीं ऐसे स्वास्थ्य विनियमों की, जिनका अनुपालन करने के लिए वासगृहों या वासों का स्वामी किसी अधिनियमिति के द्वारा या उसके अधीन व्यादिष्ट है, उस स्वामी द्वारा उपेक्षा की जाने के कारण मानी जा सकती है,

निगम, यथास्थिति, उस कारखाने या स्थापन के स्वामी या अधिभोगी को या, उन वासगृहों या वासो के स्वामी को उस अतिरिक्त व्यय की रकम का संदाय करने के लिए दावा भेज सकेगा जो बीमारी हितलाभ के रूप में निगम ने उपगत किया है; और यदि दावा सहमति द्वारा निपटाया नहीं जाता तो निगम वह मामला, अपने दावे के समर्थन में कथन सहित, समुचित सरकार को निर्देशित कर सकेगा |

(2) यदि समुचित सरकार की राय हो कि जांच के लिए प्रथमदृष्ट्या कोई मामला प्रकट होता है तो वह उस मामले में जांच करने के लिए सक्षम व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी |

(3) यदि ऐसी जांच पर जांच करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को समाधान प्रदान करने वाले रूप में यह साबित हो जाता है कि बीमाकृत व्यक्तियों में अत्यधिक बीमारी का कारण, यथास्थिति, कारखाने या स्थापन के स्वामी या अधिभोगी का या, वासगृहों या वासों के स्वामी द्वारा व्यतिक्रम या उपेक्षा है तो उक्त व्यक्ति बीमारी-हितलाभ के रूप से उपगत अतिरिक्त व्यय की रकम को और जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों द्वारा ऐसी सम्पूर्ण राशि या उनका कोई भाग निगम को दिया जाएगा उसे या उन्हें अवधारित करेगा या करेंगे |

(4) उपधारा (3) के अधीन किया गया अवधारण इस प्रकार प्रवर्तित किया जा सकेगा मानो वह किसी वाद में सिविल न्यायालय द्वारा पारित धन के संदाय की कोई डिक्री हो |

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए या वासगृहों या वासों के "स्वामी" के अन्तर्गत स्वामी का कोई अभिकर्ता और कोई ऐसा व्यक्ति आता है, जो स्वामी के पट्टेदार के रूप में वासगृहों या वासों का भाटक संगृहीत करने का हकदार है |

---

1. 1951 के अधिनियम सं. 58 की धारा 19 द्वारा खंड (i) के स्थान पर प्रतिस्थापित |
2. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 27 द्वारा (20-10-1989 से) जोड़ा गया |

70. अनुचित रूप से प्राप्त हितलाभ का प्रतिसंदाय—(1) जहां किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कोई हितलाभ या संदाय उस दशा में प्राप्त किया है जिसमें कि वह उसका विधिपूर्ण रूप से हकदार नहीं है वहां, वह उस हितलाभ का मूल्य या ऐसे संदाय की रकम निगम को लौटाने के दायित्वाधीन होगा, या उसकी मृत्यु की दशा में उसका प्रतिनिधि, मृत व्यक्ति को आस्तियों में से, यदि कोई उसके पास हों, उन्हें प्रतिसंदत्त करने के दायित्वाधीन होगा |

(2) नकद संदायों से भिन्न रूप में प्राप्त किन्हीं हितलाभों के मूल्य का अवधारण ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसे इस निमित्त बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए, और ऐसे प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा |

(3) इस धारा के अधीन [1][या धारा 45ग से धारा 45झ तक के अधीन] वसूलीय रकम ऐसे वसूल की जा सकेगी मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो |

71. हितलाभ मृत्यु के दिन तक, जिसके अन्तर्गत मृत्यु का दिन आता है, संदेय होगी—यदि किसी व्यक्ति की किसी ऐसी कालावधि के दौरान मृत्यु हो जाती है जिसके लिए वह इस अधिनियम के अधीन नकद हितलाभ का हकदार है तो [2][[3][धारा 50 की उपधारा (2) के परन्तुक में यथा उपबन्धित के सिवाय] उसकी मृत्यु के दिन तक की,] जिसके अन्तर्गत मृत्यु का दिन भी आता है, ऐसे हितलाभ की रकम किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मृत व्यक्ति द्वारा ऐसे प्ररूप में, जैसा विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए, लिखित रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया हो, या यदि ऐसा कोई नामनिर्देशन न हो तो मृत व्यक्ति के वारिस या विधिक प्रतिनिधि को, दी जाएगी |

72. नियोक्ता मजदूरी आदि को कम न करेगा—कोई भी नियोक्ता इस अधिनियम के अधीन संदेय किन्हीं अंशदानों के लिए अपने दायित्व के कारण ही, किसी कर्मचारी की मजदूरी को न तो प्रत्यक्षत: या परोक्षत: कम करेगा और न उसकी सेवा शर्तों के अधीन उसे संदेय ऐसी हितलाभों को, जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त हितलाभों के समरूप हों, विनियमों द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, बन्द या कम करेगा |

73. नियोक्ता कर्मचारी को बीमारी आदि की कालावधि के दौरान पदच्युत या दंडित न करेगा—(1) कोई भी नियोक्ता कर्मचारी को उस कालावधि के दौरान, जिसमें कर्मचारी की बीमारी-हितलाभ या मातृत्व-हितलाभ प्राप्त होती है, पदच्युत, उन्मोचित या अवनत या अन्यथा दंडित नहीं करेगा और न, विनियमों के अधीन यथा उपबन्धित को छोड़कर किसी भी कर्मचारी को उस कालावधि के दौरान पदच्युत, उन्मोचित, अवनत या अन्यथा दण्डित करेगा जिस कालावधि के दौरान वह अस्थायी नि:शक्तता के लिए नि:शक्तता-हितलाभ पा रहा है या बीमारी के लिए चिकित्सीय उपचार के अधीन है या ऐसी रुग्णता के परिणामस्वरूप काम से अनुपस्थित है जिसकी बाबत विनियमों के अनुसार यह बात सम्यक् रूप से प्रमाणित की गई है कि वह गर्भावस्था या प्रसवावस्था से उद्भूत ऐसी बीमारी है जिसने कर्मचारी को काम के लिए अयोग्य कर दिया है |

(2) पदच्युति या उन्मोचन या अवनति की कोई भी सूचना, जो कर्मचारी को उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान दी गई हो, विधिमान्य या प्रवर्तनीय नहीं होगी |

[4][अध्याय 5क

अस्थायी उपबन्ध

73क. विशेष नियोक्ता अंशदान—(1) हर प्रधान नियोक्ता उस समय तक, जब तक इस अध्याय के उपबन्ध प्रवृत्त हैं, उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर विशेष अंशदान (जिसे इसमें इसके पश्चात् विशेष नियोक्ता अंशदान कहा गया है) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी निगम को संदत्त करेगा |

---

1. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 27 द्वारा (20-10-1989 से) जोड़ा गया |
2. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 28 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) कोष्ठक में दिए शब्दों का लोप किया जाएगा |
3. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 30 द्वारा (28-1-1968) से "यदि कोई व्यक्ति मर जाता है" के स्थान पर प्रतिस्थापित |
4. 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 20 द्वारा अंत:स्थापित | 1 जुलाई, 1973 से इस अध्याय के उपबन्धों का प्रभाव नहीं रह जाएगा| देखिए अधिसूचना सं. 173(ई.), भाग 2, अनुभाग 3 (iii) तारीख 26 मार्च, 1973 |

(2) विशेष नियोक्ता अंशदान ऐसे कारखाने या स्थापन की दशा में जो ऐसे क्षेत्र में स्थित है, जिसमें अध्याय 4 और 5 दोनों ही के उपबन्ध प्रवृत्त हैं, अध्याय 4 के अधीन संदेय नियोक्ता-अंशदान के स्थान में होगा |

(3) विशेष नियोक्ता अंशदान नियोक्ता के कुल मजदूरी के बिल का पांच प्रतिशत से अनधिक उतना प्रतिशत होगा जितना केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु ऐसे किसी प्रतिशत को नियत करने या उसमें फेरफार करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार अपने ऐसा करने के आशय की सूचना, जो दो मास से कम की न होगी, वैसी ही अधिसूचना द्वारा देगी और जितना प्रतिशत नियत करने की उसकी प्रस्थापना है उसे, या, पहले नियत किए गए प्रतिशत में जितना फेरफार किया जाना है, उसे, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करेगी :

परन्तु यह और कि ऐसे कारखानों या स्थापनों की दशा में जो ऐसे क्षेत्र में स्थित हैं जिसमें अध्याय 4 और 5 दोनों ही के उपबन्ध प्रवृत्त हैं, विशेष नियोक्ता अंशदान उस दर से ऊंची दर पर नियत किया जाएगा जो उन कारखानों या स्थापनों की दशा में लागू हैं जो किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित हैं, जिसमें उक्त अध्यायों के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं हैं |

(4) विशेष नियोक्ता अंशदान नियोक्ता का मजदूरी देने का दायित्व प्रोद्भूत होते ही शोध्य हो जाएगा, किन्तु वह निगम की ऐसे अन्तरालों पर, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से दिया जा सकेगा, जिन्हें या जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे और ऐसी कोई भी अधिसूचना ऐसे अंशदान के सत्वर संदाय के लिए रिबेट अनुदत्त करने के लिए उपबन्ध कर सकेगी |

स्पष्टीकरण—इस धारा में "कुल मजदूरी के बिल" से वह कुल मजदूरी अभिप्रेत है, जो किसी कारखाने या स्थापन के कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी कालावधियों के लिए शोध्य हुई हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस धारा के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करे |

73ख. जहां कोई कर्मचारी बीमा न्यायालय न हो, वहां इस अध्याय के अधीन के विवादों या प्रश्नों के विनिश्चय के लिए अधिकरण—(1) यदि उस विशेष नियोक्ता अंशदान की बाबत जो इस अध्याय के अधीन संदेय या वसूलीय है कोई प्रश्न या विवाद पैदा होता है और ऐसे प्रश्न या विवाद का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाला कोई भी कर्मचारी बीमा न्यायालय नहीं है तो उस प्रश्न या विवाद का विनिश्चय ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे |

(2) धारा 76 की उपधारा (1), धारा 77 से लेकर धारा 79 तक और धारा 81 के उपबन्ध, उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी के समक्ष की कार्यवाही के संबंध में यावत्शक्य ऐसे ही लागू होंगे जैसे वे कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष की कार्यवाही को लागू होते हैं |

73ग. अध्याय 5 के अधीन का हितलाभ कर्मचारी अंशदान पर निर्भर होगा—किसी ऐसे क्षेत्र में जहां अध्याय 4 के सभी उपबन्ध प्रवृत्त हैं, उस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार किसी सप्ताह के लिए कर्मचारी अंशदान का संदाय अध्याय 5 के प्रयोजन के लिए ऐसा प्रभाव रखेगा मानो उस कर्मचारी की बाबत उस सप्ताह के लिए अध्याय 4 के अधीन संदेय अंशदान दे दिए गए हों, और तदनुसार उसे यदि वह उनके लिए अन्यथा हकदार है अध्याय 5 में विनिर्दिष्ट हितलाभों का बीमाकृत व्यक्ति के नाते हकदार बनाएगा |

स्पष्टीकरण—छूट प्राप्त कर्मचारी की दशा में यदि निगम का समाधान हो जाए कि इस अध्याय के उपबन्धों के अभाव में अध्याय 4 के अधीन नियोक्ता अंशदान उस सप्ताह के दौरान उस कर्मचारी की बाबत संदेय होता तो कर्मचारी अंशदान के बारे में यह समझा जाएगा कि वह एक सप्ताह के लिए दिया जा चुका है |

73घ. विशेष नियोक्ता अंशदान की वसूली का ढंग—विशेष नियोक्ता अंशदान जो इस अध्याय के अधीन संदेय है ऐसे वसूल किया जा सकेगा मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो |

73ङ अतिरिक्त जानकारी या विवरणी मांगने की शक्ति—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि निगम यह अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए कि विशेष नियोक्ता अंशदान इस अध्याय के अधीन संदेय है या नहीं, या उसकी रकम अवधारित करने के लिए, साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी प्रधान नियोक्ता या आसन्न नियोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे प्राधिकारी को ऐसी जानकारी या विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर दे, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं |

73च. विशेष नियोक्ता अंशदान की बाबत छूट देने की शक्ति का केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग किया जाना—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, किसी कारखाने या स्थापन के या कारखानों या स्थापनों के किसी वर्ग के आकार या अवस्थान या उसमें चलाए जा रहे उद्योग की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उस कारखाने या स्थापन को या कारखानों या स्थापनों के उस वर्ग को इस अध्याय के अधीन के विशेष नियोक्ता अंशदान का संदाय करने से छूट दे सकेगी और धारा 87 से धारा 91 तक में, जिनके अन्तर्गत यह दोनों धाराएं आती हैं, अन्तर्विष्ट किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी राज्य सरकार को ऐसी कोई छूट देने के लिए प्राधिकृत करती है |

73छ. इस अधिनियम के कतिपय उपबन्धों का विशेष नियोक्ता अंशदान को लागू होना—उसके सिवाय जैसा कि इस अध्याय में अन्यथा अभिव्यक्त रूप में उपबन्धित है, अध्याय 4, धारा 72 और अध्याय 7 के और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों और विनियमों के उपबन्ध विशेष नियोक्ता-अंशदान के संदाय या वसूली उसके संबंध में विनिर्दिष्ट की गई शास्तियों तथा उससे आनुषंगिक अन्य सभी बातों को यावत्रशक्य उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे नियोक्ता अंशदान के संबंध में लागू होते यदि यह अध्याय प्रवर्तन में न होता और नियोक्ता अंशदान इस अधिनियम के अधीन संदेय होता |

73ज. [कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति]—कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 का 44) की धारा 31 द्वारा (17-6-1967 से) निरसित |

73झ. अध्याय 5क की अस्तित्वावधि—केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस अध्याय के उपबन्ध, उस तारीख को, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, और जो अधिसूचना की तारीख से तीन मास से पूर्व की न होगी, प्रभावी नहीं रह जाएंगे :

परन्तु इस अध्याय के उपबन्धों के इस प्रकार प्रभावी न रह जाने पर साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के उपबन्ध ऐसे लागू होंगे, मानो इस अध्याय के उपबन्ध किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा तब निरसित कर दिए गए हों |]

अध्याय 6

विवादों और दावों का न्यायनिर्णयन

74. कर्मचारी बीमा न्यायालय का गठन—(1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानीय क्षेत्र के लिए जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए एक कर्मचारी बीमा न्यायालय गठित करेगी |

(2) न्यायालय उतने न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जितने राज्य सरकार ठीक समझे |

(3) कोई भी व्यक्ति जो न्यायिक अधिकारी है या रह चुका है या पांच वर्ष की अवस्थिति का विधि व्यवसायी है कर्मचारी बीमा न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हित होगा |

(4) राज्य सरकार दो या अधिक स्थानीय क्षेत्रों के लिए एक ही न्यायालय या एक ही स्थानीय क्षेत्र के लिए दो या अधिक न्यायालय नियुक्त कर सकेगी |

(5) जहां एक ही स्थानीय क्षेत्र के लिए एक से अधिक न्यायालय नियुक्त किए गए हैं, वहां राज्य सरकार उनके बीच कामकाज का वितरण साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनियमित कर सकेगी |

75. कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मामले—(1) यदि निम्नलिखित के बारे में, अर्थात्:-

(क) कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अर्थ में कर्मचारी है या नहीं अथवा वह कर्मचारी अंशदान देने के लिए जिम्मेदार है या नहीं, अथवा

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी की मजदूरी की दर या औसत दैनिक मजदूरी, अथवा

(ग) किसी कर्मचारी की बाबत प्रधान नियोक्ता द्वारा संदेय अंशदान की दर, अथवा

(घ) वह व्यक्ति, जो किसी कर्मचारी की बाबत प्रधान नियोक्ता है या था, अथवा

(ङ) किसी हितलाभ के लिए किसी व्यक्ति का अधिकार और उसका परिमाण तथा उसकी अस्तित्वावधि, अथवा

[1][(ङङ) आश्रितजन-हितलाभों के किसी संदाय के पुनर्विलोकन पर धारा 55क के अधीन निगम द्वारा निकाला गया कोई निदेश, अथवा]

[2]* * * * * *

(छ) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम के अधीन संदेय या वसूलीय किसी अंशदान या हितलाभ या अन्य शोध्य राशियों की बाबत प्रधान नियोक्ता और निगम के बीच, या प्रधान नियोक्ता और आसन्न नियोक्ता के बीच, या किसी व्यक्ति या निगम के बीच या कर्मचारी और प्रधान नियोक्ता या आसन्न नियोक्ता के बीच विवादग्रस्त हो, [3][या कोई अन्य विषय जिसका इस अधिनियम के अधीन कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जाना अपेक्षित हो या जो ऐसे विनिश्चित किया जा सके],

कोई प्रश्न या विवाद पैदा हो तो ऐसे प्रश्न या विवाद का विनिश्चय कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा, [3][उपधारा (2क) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए,] इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा ।

(2) [4][उपधारा (2क) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए,] निम्नलिखित दावों का विनिश्चय कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) प्रधान नियोक्ता के अंशदानों की वसूली का दावा;

(ख) किसी आसन्न नियोक्ता से अंशदानों को वसूल करने के लिए प्रधान नियोक्ता द्वारा दावा;

[5]* * * * * *

(घ) प्रधान नियोक्ता के विरुद्ध धारा 68 के अधीन दावा;

(ङ) किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त हितलाभों के मूल्य या रकम की वसूली के लिए धारा 70 के अधीन उस दशा में दावा जिसमें वह व्यक्ति उनका विधिपूर्ण रूप से हकदार नहीं है; तथा

(च) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय किसी हितलाभ की वसूली के लिए कोई दावा ।

[3][(2क) यदि कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष की किसी कार्यवाही में नि:शक्तता संबंधी कोई प्रश्न पैदा होता है और उस पर चिकित्सक बोर्ड या चिकित्सा अपील अधिकरण का विनिश्चय, अभिप्राप्त नहीं किया गया है और ऐसे प्रश्न का विनिश्चय कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष के दावे या प्रश्न को अवधारित करने के लिए आवश्यक है तो वह न्यायालय निगम को निदेश देगा कि निगम वह प्रश्न इस अधिनियम के अधीन विनिश्चित करवाए और तत्पश्चात् वह अपने समक्ष के उस दावे या प्रश्न के अवधारण के लिए, यथास्थिति, चिकित्सक बोर्ड या चिकित्सा अपील अधिकरण के विनिश्चय के अनुसार उस दशा में के सिवाय कार्यवाही करेगा जिसमें कि अपील कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष धारा 54क की उपधारा (2) के अधीन की गई है, जिस दशा में कर्मचारी बीमा न्यायालय अपने समक्ष पैदा हुए सभी मामलों को स्वयं अवधारित कर सकेगा ।]

[6][(2ख) कोई ऐसा मामला, जो किसी प्रधान नियोक्ता और निगम के बीच किसी अंशदान या किसी अन्य देय के बारे में विवाद है, प्रधान नियोक्ता द्वारा, कर्मचारी बीमा न्यायालय में तब तक नहीं उठाया जाएगा जब तक उसने निगम द्वारा यथा दावाकृत उससे देय रकम का पचास प्रतिशत न्यायालय के पास जमा न कर दिया हो :

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, इस उपधारा के अधीन जमा की जाने वाली रकम को अधित्यजित या कम कर सकेगा ।]

---

1. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 32 द्वारा (28-1-1968 से) मूल खंड के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 32 द्वारा (28-1-1968 से) खंड (च) का लोप किया गया ।
3. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 32 द्वारा (28-1-1968 से) अंत:स्थापित ।
4. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 32 द्वारा (28-1-1968 से) "निम्नलिखित दावे" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 32 द्वारा (28-1-1968 से) खंड (ग) का लोप किया गया ।
6. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 29 द्वारा (20-10-1989 से) अंत:स्थापित ।

(3) किसी भी सिविल न्यायालय की यथापूर्वोक्त किसी प्रश्न या विवाद का विनिश्चय करने या उस पर कोई कार्यवाही करने की या किसी ऐसे दायित्व पर, जिसका विनिश्चय [1][चिकित्सक बोर्ड द्वारा, या चिकित्सा अपील अधिकरण द्वारा या कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा] या इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किया जाना है, न्यायनिर्णय देने की अधिकारिता नहीं होगी ।

76. कार्यवाहियों का संस्थित किया जाना, आदि—(1) इस अधिनियम के और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष की सभी कार्यवाहियां उस स्थानीय क्षेत्र के लिए नियुक्त किए गए न्यायालय में संस्थित की जाएगीं, जिसमें बीमाकृत व्यक्ति उस समय का करता था जब वह प्रश्न या विवाद पैदा हुआ था ।

(2) यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लम्बित कार्यवाही से पैदा होने वाले किसी विषय पर उसी राज्य के किसी अन्य कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा अधिक सुविधापूर्वक कार्यवाही की जा सकती है, तो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, वह निपटारे के लिए ऐसे मामले में अन्य न्यायालय को अन्तरित किए जाने का आदेश दे सकेगा और उस विषय से संबद्ध अभिलेखों को ऐसे अन्य न्यायालय को तत्क्षण पारेषित करेगा ।

(3) राज्य सरकार राज्य में के किसी कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष लम्बित किसी मामले को किसी अन्य राज्य में के किसी ऐसे ही न्यायालय को, उस राज्य की राज्य सरकार की सम्मति से, अन्तरित कर सकेगी ।

(4) वह न्यायालय, जिसे उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन कोई मामला अन्तरित किया जाता है, कार्यवाहियों को इस प्रकार चालू रखेगा मानो वे उसमें मूलत: संस्थित हुई थी ।

77. कार्यवाहियों का प्रारम्भ—(1) कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियां आवेदन द्वारा प्रारम्भ होंगी ।

[2][(1क) ऐसा हर आवेदन उस तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर किया जाएगा जिस तारीख को वाद-हेतुक पैदा हुआ था ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) हितलाभ के दावे की बाबत वाद-हेतुक तब के सिवाय पैदा हुआ नहीं समझा जाएगा जब बीमाकृत व्यक्ति, या आश्रितजन-हितलाभ की दशा में बीमाकृत व्यक्ति के आश्रितजन उस हितलाभ का दावा, दावे के शोध्य हो जाने के पश्चात् बारह मास की कालावधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त कालावधि के भीतर, जैसा कर्मचारी बीमा न्यायालय उन आधारों पर अनुज्ञात करे जो उसे युक्तियुक्त प्रतीत हों, उस निमित्त बनाए गए विनियमों के अनुसार नहीं करता या नहीं करते;

[3][(ख) प्रधान नियोक्ता से अंशदान (जिसके अन्तर्गत ब्याज और नुकसानी भी है) वसूल करने के लिए निगम द्वारा किए गए दावे की बाबत वाद-हेतुक, उस तारीख को जिसको ऐसा दावा प्रथम बार निगम द्वारा किया जाता है, उद्भूत हुआ समझा जाएगा :

परन्तु कोई भी दावा निगम द्वारा उस कालावधि के, जिससे दावा संबंधित है, पांच वर्ष के पश्चात् नहीं किया जाएगा;

(ग) किसी आसन्न नियोक्ता से अंशदान वसूल करने के लिए प्रधान नियोक्ता द्वारा किए गए दावे की बाबत वाद-हेतुक उस तारीख तक जिस तक अंशदान संदत्त किए जाने का साक्ष्य निगम द्वारा विनियमों के अधीन प्राप्त किया जाना नियत है, उद्भूत हुआ नहीं समझा जाएगा ।]

(2) हर ऐसा आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा जैसा और उसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी और उसके साथ ऐसा शुल्क होगा, यदि कोई हो, जैसा निगम के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया जाए ।

---

1. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 32 द्वारा (28-1-1968 से) "कर्मचारी बीमा न्यायालय" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 33 द्वारा (28-1-1968 से) अंत:स्थापित ।
3. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 30 द्वारा (20-10-1989 से) खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

78. कर्मचारी बीमा न्यायालय की शक्तियां—(1) कर्मचारी बीमा न्यायालय को , साक्षियों को समन करने और उन्हें हाजिर कराने, दस्तावेजों और भौतिक पदार्थों के प्रकटीकरण और पेश करने को विवश करने, शपथ दिलाने और साक्ष्य अभिलिखित करने के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और ऐसा न्यायालय [1][दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26] के अर्थ में सिविल न्यायालय समझा जाएगा |

(2) कर्मचारी बीमा न्यायालय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जैसी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए |

(3) कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष की किसी भी कार्यवाही के आनुषंगिक सभी खर्चे ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, न्यायालय के विवेकाधीन होंगे |

(4) कर्मचारी बीमा न्यायालय का आदेश इस प्रकार प्रवर्तनीय होगा मानो वह किसी सिविल न्यायालय द्वारा वाद में पारित डिक्री हो |

79. विधि व्यवसायियों इत्यादि द्वारा हाजिरी—किसी व्यक्ति द्वारा कर्मचारी बीमा न्यायालय को किए जाने के लिए अपेक्षित आवदेन या उसके समक्ष की जाने के लिए अपेक्षित (किसी व्यक्ति की ऐसी हाजिरी से भिन्न जो साक्षी के रूप में उसकी परीक्षा की जाने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो) कोई हाजिरी या किए जाने के लिए अपेक्षित कोई कार्य किसी विधि व्यवसायी द्वारा या पंजीकृत व्यवसाय संघ के ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे ऐसे व्यक्ति ने लिखित रूप में प्राधिकृत किया हो या न्यायालय की अनुज्ञा से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, किया जा सकेगा |

80. [जब तक समय के भीतर दावा न किया जाए, फायदा अनुज्ञेय न होना |]—कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 का 44) की धारा 34 द्वारा (28-1-1968 से) निरसित |

81. उच्च न्यायालय को निर्देश—कर्मचारी बीमा न्यायालय कोई भी विधि-प्रश्न उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए निवेदित कर सकेगा और यदि वह ऐसा करता है, तो वह अपने समक्ष लम्बित प्रश्न को ऐसे विनिश्चय के अनुसार विनिश्चित करेगा |

82. अपील—(1) उसके सिवाय जैसा कि इस धारा में अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित है, कर्मचारी बीमा न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी |

(2) यदि कर्मचारी बीमा न्यायालय के आदेश में कोई सारवान विधि-प्रश्न अन्तर्वलित है तो उसके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी |

(3) इस धारा के अधीन अपील के लिए परिसीमा-काल साठ दिन का होगा |

(4) [2][परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36)] की धारा 5 और धारा 12 के उपबन्ध इस धारा के अधीन अपीलों पर लागू होंगे |

83. अपील लंबित रहने तक संदाय पर रोक—जहां निगम ने कर्मचारी बीमा न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कोई अपील उपस्थापित की है वहां वह न्यायालय जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उस आदेश द्वारा दिए जाने के लिए निर्दिष्ट राशि का संदाय अपील पर विनिश्चय होने तक के लिए रोक सकेगा और यदि उच्च न्यायालय द्वारा उसे ऐसा निदेश दिया जाए तो रोक देगा |

अध्याय 7

शास्तियां

84. मिथ्या कथन के लिए दंड—जो कोई इस अधिनियम के अधीन संदाय या हितलाभ में कोई वृद्धि कराने के प्रयोजन के लिए जहां इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन कोई संदाय या हितलाभ प्राधिकृत नहीं है वहां कोई संदाय या हितलाभ दिलाने के प्रयोजन के लिए या किसी ऐसे संदाय से बचने के प्रयोजन के लिए जो इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा किया जाना है या ऐसे किसी संदाय से बचने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, जानते हुए कोई मिथ्या कथन या मिथ्या व्यपदेशन करेगा या कराएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि [1][छह मास] तक की हो सकेगी, या [2][दो हजार] रुपये से अनधिक जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा :

---

1. 1984 के अधिनियम सं. 45 की धारा 9 द्वारा "दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 195 और अध्याय 35" के स्थान पर प्रतिस्थापित |
2. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 31 द्वारा (20-10-1989 से) "भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 (1908 का 9) के स्थान पर प्रतिस्थापित |

[3][परन्तु जहां बीमाकृत व्यक्ति इस धारा के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया है, वहां वह इस अधिनियम के अधीन ऐसी कालावधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, कोई नकद हितलाभ का हकदार नहीं होगा ।]

85. अंशदान देने में असफलता आदि के लिए दंड—यदि कोई व्यक्ति—

(क) कोई ऐसा अंशदान देने में असफल रहेगा जिसे देने के लिए वह इस अधिनियम के अधीन जिम्मेदार है, अथवा

(ख) किसी कर्मचारी की मजदूरी में से सम्पूर्ण नियोक्ता-अंशदान या उसका कोई भाग काट लेगा या काटने का प्रयत्न करेगा, अथवा

(ग) किसी कर्मचारी को अनुज्ञेय मजदूरी या किन्हीं विशेषाधिकारों या हितलाभों को धारा 72 के उल्लंघन में घटाएगा, अथवा

(घ) किसी कर्मचारी को धारा 73 या किसी विनियम के उल्लंघन में पदच्युत करेगा, उन्मोचित करेगा, अवनत करेगा या अन्यथा दंडित करेगा, अथवा

(ङ) विनियमों द्वारा अपेक्षित किसी विवरणी को देने में असफल रहेगा, या देने से इंकार करेगा या मिथ्या विवरणी देगा, अथवा

(च) किसी निरीक्षक को या निगम के किसी अन्य पदधारी को, उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाएगा, अथवा

(छ) इस अधिनियम की या नियमों या विनियमों की उन अपेक्षाओं में से किसी के उल्लंघन का या अनुपालन का दोषी होगा, जिनकी बाबत कोई विशेष शास्ति उपबन्धित नहीं है,

[4][तो—

[5][(i) जहां वह खंड (क) के अधीन कोई अपराध करेगा, वहां कारखाना से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, किन्तु जो—

(क) उसके द्वारा ऐसे कर्मचारी की मजदूरी में से काटे गए कर्मचारी-अंशदान का संदाय करने में असफल रहने की दशा में एक वर्ष से कम की नहीं होगी, दंडनीय होगा और वह दस हजार रुपये के जुर्माने का भी भागी होगा;

(ख) किसी अन्य दशा में, छह मास से कम की नहीं होगी, दंडनीय होगा और वह पांच हजार रुपये के जुर्माने का भी भागी होगा :

परन्तु न्यायालय, पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में अभिलिखित किए जाएंगे, कम अवधि के कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा;

(ii) जहां वह खंड (ख) से खंड (छ) में से (जिसमें ये दोनो खंड सम्मिलित हैं) किसी खंड के अधीन कोई अपराध करेगा, वहां वह कारावास से, जिनकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो चार हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।]]

---

1. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 32 (i) द्वारा (20-10-1989 से) "तीन मास" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 32 (ii) द्वारा (20-10-1989 से) "पांच सौ" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 32 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) अंत:स्थापित ।
4. 1975 के अधिनियम सं. 38 की धारा 4 द्वारा (1-9-1975 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 33 द्वारा (20-10-1989 से) खंड (i) और (ii) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][**85क. पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् कतिपय दशाओं में वर्धित दण्ड**—जो कोई, किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए जाने पर, वही अपराध करेगा, वह ऐसे प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि [2][दो वर्ष तक की हो सकेगी और पांच हजार रुपये के जुर्माने से] दण्डनीय होगा :

परन्तु जहां ऐसा पश्चात्वर्ती अपराध, नियोक्ता द्वारा किसी ऐसे अंशदान का संदाय करने में असफल रहने के संबंध में है, जिसका वह इस अधिनियम के अधीन संदाय करने का दायी है, वहां वह ऐसे प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि [2][पांच वर्ष तक की हो सकेगी किंतु जो दो वर्ष से कम की नहीं होगी, दण्डनीय होगा और पच्चीस हज़ार रुपये के जुर्माने का भी] भागी होगा ।

85ख. नुकसानी वसूल करने की शक्ति—(1) जहां कोई नियोक्ता इस अधिनियम के अधीन किसी अंशदान के संबंध में देय रकम का या किसी अन्य रकम का संदाय करने में असफल रहेगा, वहां निगम [3][बकाया की रकम से अनधिक शास्ति के रूप में ऐसी नुकसानी नियोक्ता से वसूल कर सकेगा जो विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए] :

परन्तु ऐसी नुकसानी वसूल करने से पहले, नियोक्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा :

[4][परन्तु यह और कि निगम, किसी ऐसे स्थापन के संबंध में, जो रुग्ण औद्योगिक कंपनी है जिसकी बाबत पुनर्वास के लिए एक स्कीम बोर्ड द्वारा रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 4 के अधीन स्थापित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए मंजूर की गई है, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस धारा के अधीन वसूलीय नुकसानी को घटा सकेगा या अधित्यजित कर सकेगा ।]

(2) उपधारा (1) के अधीन [4][या धारा 45ग से धारा 45झ तक के अधीन] वसूलीय कोई नुकसानी भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

85ग. आदेश करने की न्यायालय की शक्ति—(1) जहां कोई नियोक्ता इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी अंशदान का संदाय करने में असफल रहने के किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहां न्यायालय, कोई दण्ड अधिनिर्णित करने के अतिरिक्त, लिखित आदेश द्वारा उससे यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर (जिसे न्यायालय, यदि वह ठीक समझे तो, और उस निमित्त आवेदन पर समय-समय पर बढ़ा सकेगा), ऐसे अंशदान की रकम का संदाय करे जिसके संबंध में अपराध किया गया था [5][और ऐसे अंशदान से संबंधित विवरणी प्रस्तुत करे] ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया जाता है, वहां नियोक्ता न्यायालय द्वारा अनुज्ञात कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के, यदि कोई हो, दौरान अपराध के चालू रहने के संबंध में इस अधिनियम के अधीन दायी नहीं होगा, किंतु यदि, यथास्थिति, ऐसी कालावधि या बढ़ाई गयी कालावधि की समाप्ति पर, न्यायालय के आदेश का पूर्णत: अनुपालन नहीं किया गया है तो नियोक्ता के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अतिरिक्त अपराध किया है और वह धारा 85 के अधीन उसके संबंध में कारावास से दण्डनीय होगा और ऐसे जुर्माने का संदाय करने का भी भागी होगा जो ऐसी समाप्ति के पश्चात् उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, [6][एक हजार] रुपये तक का हो सकेगा ।]

86. अभियोजन—(1) इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोजन बीमा आयुक्त [7][या निगम के ऐसे

---

1. 1975 के अधिनियम सं. 38 की धारा 5 द्वारा (1-9-1975 से) अंत:स्थापित ।
2. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 34 द्वारा (20-10-1989 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 35 द्वारा (1-1-1992 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 35 द्वारा (1-1-1992 से) जोड़ा गया ।
5. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 36 द्वारा (20-10-1989 से) जोड़ा गया ।
6. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 36 द्वारा (20-10-1989 से) "एक सौ" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 22 द्वारा जोड़ा गया ।
8. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 35 द्वारा (17-6-1967 से) "केन्द्रीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

अन्य अधिकारी के, जो [8][निगम के महानिदेशक] द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए,] द्वारा या उसकी पूर्व मंजूरी से संस्थित किए जाने के सिवाय, संस्थित नहीं किया जाएगा |

[1][(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन के किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा |]

(3) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान [2]*** उस अपराध की बाबत लिखित रूप में किए गए परिवाद पर करने के सिवाय नहीं करेगा |

[3][**86क. कंपनियों द्वारा अपराध**—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है, तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार वे अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया था अथवा उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी |

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक या प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तदनुसार वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा |

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म और व्यष्टियों का अन्य संगम है; और

(ii) "निदेशक" से,—

(क) किसी फर्म से भिन्न किसी कंपनी के संबंध में, प्रबंध निदेशक या कोई पूर्णकालिक निदेशक;

(ख) किसी फर्म के संबंध में, उस फर्म का कोई भागीदार, अभिप्रेत है |]

अध्याय 8

प्रकीर्ण

87. कारखाने या स्थापन को या कारखानों या स्थापनों के वर्ग को छूट—समुचित सरकार किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में के किसी कारखाने या स्थापन को या कारखानों या स्थापनों के किसी वर्ग को इस अधिनियम के प्रवर्तन से एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए छूट शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, दे सकेगी और ऐसी छूट को वैसी ही अधिसूचना द्वारा ऐसी कालावधियों के लिए जो एक समय में एक वर्ष से अधिक की न होगी, समय-समय पर नवीकृत कर सकेगी |

88. व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग को छूट—समुचित सरकार किसी ऐसे कारखाने या स्थापन या कारखानों या स्थापनों के वर्ग में, जिस पर यह अधिनियम लागू है, नियोजित किन्हीं भी व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग को इस अधिनियम के प्रवर्तन से छूट, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी वह अधिरोपित करना उचित समझे, दे सकेगी |

89. निगम का अभ्यावेदन करना—धारा 87 या धारा 88 के अधीन कोई भी छूट तब तक अनुदत्त या नवीकृत नहीं की जाएगी जब तक निगम को ऐसा अभ्यावेदन करने का, जैसा वह उस प्रस्थापना के बारे में करना चाहे, युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और ऐसे अभ्यावेदन पर समुचित सरकार ने विचार न कर लिया हो |

90. सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के कारखानों या स्थापनों को छूट—यदि [4]*** किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी कारखाने या स्थापन के कर्मचारी अन्यथा ऐसा हितलाभ प्राप्त कर रहे हैं जो इस

---

1. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 37 द्वारा (20-10-1989 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित |
2. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 37 द्वारा (20-10-1989 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया |
3. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 38 द्वारा (20-10-1989 से) अंत:स्थापित |
4. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 39 द्वारा (20-10-1989 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया |

अधिनियम के अधीन उपबन्धित हितलाभों के सारत: समरूप है या उनसे उच्चतर है तो समुचित सरकार, [1][निगम से परामर्श के पश्चात्] ऐसे कारखाने या स्थापन को [1][इस अधिनियम के प्रवर्तन से] छूट, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, दे सकेगी ।

91. अधिनियम के एक या अधिक उपबन्धों से छूट—समुचित सरकार, किसी भी कारखाने या स्थापन के या कारखानों या स्थापनों के वर्ग के किन्हीं भी कर्मचारियों या कर्मचारियों के वर्ग को इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित हितलाभों के संबंध में एक या अधिक उपबन्धों से निगम की सम्मति से छूट, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, दे सकेगी ।

[2][**91क. छूटों का भविष्यलक्षी या भूतलक्षी होना**—धारा 87, धारा 88, धारा 90 या धारा 91 के अधीन छूट अनुदत्त करने वाली कोई भी अधिसूचना ऐसे निकाली जा सकेगी जिससे कि वह ऐसी तारीख को, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, या तो भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से प्रभावी हो ।]

[3][**91ख. हितलाभों का दुरुपयोग**—यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन हितलाभों का किसी कारखाने या स्थापन में बीमाकृत व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, तो वह सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को ऐसी हितलाभों से, जो वह ठीक समझे, निर्हकित कर सकेगी :

परन्तु कोई ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जा सकेगा जब तक संबंधित कारखाने या स्थापन, बीमाकृत व्यक्तियों और व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) के अधीन पंजीकृत ऐसे व्यवसाय संघों को, जिनके सदस्य उस कारखाने या स्थापन में हैं, सुनवाई का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है ।

91ग. हानियों का अपलिखित किया जाना—ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, जहां निगम की यह राय है कि निगम को देय अंशदान, ब्याज और नुकसानी अवसूलीय है, वहां निगम, उक्त रकम का अन्तिम रूप से अपलिखित किया जाना मंजूर कर सकेगा ।]

92. केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति—[4][(1)] केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को, इस अधिनियम का कार्यान्वयन उस राज्य में करने के लिए निदेश दे सकेगी ।]

[5][(2) केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, निगम को अधिनियम के दक्षतापूर्ण प्रशासन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह ठीक समझे और यदि कोई ऐसा निदेश दिया जाता है तो निगम ऐसे निदेश का पालन करेगा ।]

93. निगम के अधिकारियों और सेवकों का लोक सेवक होना—निगम के सभी अधिकारी और सेवक भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे ।

[6][**93क. स्थापन के अन्तरण की दशा में दायित्व**—जहां किसी कारखाने या स्थापन के संबंध में कोई नियोक्ता, उस कारखाने या स्थापन का, विक्रय, दान, पट्टे या अनुज्ञप्ति द्वारा या किसी भी अन्य रीति में, पूर्णत: या भागत: अन्तरण करेगा, वहां नियोक्ता और ऐसा व्यक्ति जिसे कारखाना या स्थापन इस प्रकार अन्तरित किया गया है, ऐसे अन्तरण की तारीख तक की कालावधियों की बाबत इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी अंशदान या किसी अन्य रकम के संबंध में देय रकम का संदाय करने के लिए संयुक्तत: और पृथकत: जिम्मेदार होंगे :

परन्तु अन्तरिती का दायित्व ऐसे अन्तरण के जरिए, उसके द्वारा अभिप्राप्त आस्तियों के मूल्य तक सीमित होगा ।]

94. निगम को शोध्य अंशदानों आदि को अन्य ऋणों पर पूर्विकता प्राप्त होना—यह समझा जाएगा कि उन ऋणों के अन्तर्गत जिन्हें प्रेसिडेन्सी नगर दिवाला अधिनियम, 1909 (1909 का 3) की धारा 49 के अधीन, या प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का 5) की धारा 61 के अधीन, [7][या दिवाला संबंधी किसी ऐसी विधि के

---

1. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 36 द्वारा (17-6-1967 से) अंत:स्थापित ।
2. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 37 द्वारा (17-6-1967 से) अंत:स्थापित ।
3. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 40 द्वारा (20-10-1989 से) अंत:स्थापित ।
4. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 41 द्वारा (20-10-1989 से) धारा 92 उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित ।
5. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 41 द्वारा (20-10-1989 से) अंत:स्थापित ।
6. 1975 के अधिनियम सं. 38 की धारा 6 द्वारा (1-1-1975 से) अंत:स्थापित ।
7. 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 23 द्वारा अंत:स्थापित ।

8.

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

(अध्याय 8-प्रकीर्ण ।)

अधीन जो उन राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त थी,] [1][जो 1 नवम्बर, 1956 से ठीक पहले के किसी भाग ख राज्य में समाविष्ट थे,] [2][या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 530 के अधीन] दिवालिए की सम्पत्ति के वितरण में, या परिसमापनाधीन किसी कम्पनी की आस्तियों के वितरण में, अन्य सब ऋणों पर पूर्विकता देकर चुकाया जाना है, इस अधिनियम के अधीन संदेय अंशदान की बाबत शोध्य रकम, या कोई अन्य रकम, जिसका दायित्व, यथास्थिति, दिवालिए के न्यायनिर्णयन के आदेश की तारीख से, या परिसमापन की तारीख से पूर्व प्रोद्भूत हुआ हो, आती है ।

[3][**94क. शक्तियों का प्रत्यायोजन**—निगम, और इस निमित्त निगम द्वारा बनाए गए विनियमों के अध्यधीन रहते हुए, स्थायी समिति, निदेश दे सकेगी कि वे सभी शक्तियां और कृत्य या उनमें से कोई भी जिनका, यथास्थिति, निगम या स्थायी समिति द्वारा प्रयोग या पालन किया जा सकेगा, ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए, जैसी या जैसे विनिर्दिष्ट किए या की जाएं, निगम के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगे ।]

95. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, [4][निगम से परामर्श के पश्चात् और] पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए ऐसे नियम[5] बना सकेगी जो इस अधिनियम से असंगत न हों ।

(2) विशिष्टत: और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:-

[6][(क) मजदूरी की वह सीमा जिसके परे किसी व्यक्ति को कर्मचारी नहीं समझा जाएगा;

(कख) धारा 17 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए अधिकतम मासिक वेतन की सीमा;]

[7][(कग)] वह रीति जिससे निगम, स्थायी समिति और चिकित्सा हितलाभ परिषद् के [8][सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी और उनका निर्वाचन किया जाएगा];

(ख) निगम, स्थायी समिति और चिकित्सा हितलाभ परिषद् के अधिवेशनों में गणपूर्ति और इन निकायों के उन अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या जो एक वर्ष में किए जाएंगे;

(ग) वे अभिलेख जो कार्य करने के लिए निगम, स्थायी समिति और चिकित्सा हितलाभ परिषद् द्वारा रखे जाएंगे;

(घ) [9][महानिदेशक और वित्त आयुक्त] की शक्तियां और कर्तव्य और उनकी सेवा की शर्तें;

(ङ) चिकित्सा हितलाभ परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य;

[6][(ङक) व्यय के वे प्रकार, जिन्हें प्रशासनिक व्यय कहा जा सकेगा, निगम की आय का वह प्रतिशत जिसे ऐसे व्ययों के लिए खर्च किया जा सकेगा;

---

1. विधि अनुकूलन (सं. 3) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ख राज्य में" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 42 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 24 द्वारा अंत:स्थापित ।
4. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 38 द्वारा (28-1-1968 से) अंत:स्थापित ।
5. कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के लिए भारत का राजपत्र, भाग 2, खंड 3, पृष्ठ 202 देखिए ।
6. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 43 द्वारा (20-10-1989 से) अंत:स्थापित ।
7. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 43 द्वारा (20-10-1989 से) खंड (क), खंड (कग) के स्थान पर पुन:अक्षसंकित ।
8. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 43 द्वारा (20-10-1989 से) "सदस्यों के नामनिर्देशन और निर्वाचन किए जाएंगे" के स्थान पर प्रतिस्थापित|
9. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 43 द्वारा (20-10-1989 से) "प्रधान अधिकारियों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

(अध्याय 8-प्रकीर्ण ।)

(ङख) अंशदानों की दरें और मजदूरी की वे सीमाएं जिनसे कम होने पर कर्मचारी अंशदान का संदाय करने के दायित्व के अधीन नहीं होंगे;

(ङग) औसत दैनिक मजदूरी की संगणना की रीति;

(ङघ) वसूली अधिकारी द्वारा रकम वसूल करने के लिए प्रमाणपत्र को प्रमाणित करने की रीति;

(ङङ) अन्त्येष्टि व्यय की रकम;

(ङच) बीमारी-हितलाभ, मातृत्व-हितलाभ, नि:शक्तता-हितलाभ और आश्रितजन-हितलाभ की अर्हताएं, शर्तें, दरें और कालावधि;

(ङछ) ऐसे बीमाकृत व्यक्तियों के लिए, जो स्थायी नि:शक्तता के कारण बीमायोग्य रोजगार में नहीं है, चिकित्सा-हितलाभ प्रदान करने की शर्तें;

(ङज) ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो अधिवर्षिता में आयु प्राप्त कर चुके हैं, चिकित्सा हितलाभ प्रदान करने के लिए शर्तें;]

[1][(ङझ) वह रीति जिससे और वह समय जिसके भीतर चिकित्सा अपील अधिकरणों या कर्मचारी बीमा/न्यायालयों को अपीलें की जा सकेंगी;]

(च) वह प्रक्रिया जो संविदाओं के निष्पादन में अपनाई जाएगी;

(छ) निगम द्वारा सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन;

(ज) उधार लेना और चुकाना ।

(झ) निगम की निधियों का और किसी भविष्य निधि या अन्य हितलाभ-निधि का विनिधान और उनका अन्तरण या आपन;

(ञ) वह आधार, जिस पर निगम की आस्तियों और दायित्वों का कालिक मूल्यांकन किया जाएगा;

(ट) वह बैंक या वे बैंक, जिसमें या जिनमें निगम को निधियां निक्षिप्त की जा सकेंगी, वह प्रक्रिया जिसका निगम को प्रोद्भूत होने वाले या संदेय होने वाले धनों के जमा कराने के संबंध में अनुसरण किया जाएगा, और वह रीति जिससे कोई राशियां निगम की निधियों में से संदत्त की जा सकेंगी और वे अधिकारी जिनके द्वारा ऐसा संदाय प्राधिकृत किया जा सकेगा;

(ठ) वे लेखे जो निगम द्वारा रखे जाएंगे और वे प्ररूप जिनमें ऐसे लेखे रखे जाएंगे और वे समय, जिन पर ऐसे लेखाओं की लेखापरीक्षा की जाएगी;

(ड) निगम के लेखाओं और लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों का प्रकाशन, वह कार्रवाई जो लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर की जाएगी, व्यय की मदों को अननुज्ञात करने और अधिभारित करने की लेखापरीक्षकों को शक्तियां और इस प्रकार अननुज्ञात या अधिभारित राशियों की वसूली;

(ढ) बजट प्राक्कलनों और अनूपूरक प्राक्कलनों की तैयारी और वह रीति जिससे ऐसे प्राक्कलन मंजूर और प्रकाशित किए जाएंगे;

(ण) निगम के अधिकारियों और सेवकों के लिए भविष्य निधि या अन्य हितलाभ-निधि का स्थापन और अनुरक्षण; [2]***

[3][(णक) किसी बीमाकृत व्यक्ति की दोषसिद्धि के मामले में नकद हितलाभ के लिए हकदार न होने की कालावधि;]

---

1. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 43 द्वारा (20-10-1989 से) खण्ड (ङङ), खण्ड (ङझ) के रूप में पुन:अक्षरांकित ।
2. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 43 द्वारा (20-10-1989 से) "तथा" शब्द का लोप किया गया ।
3. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 43 द्वारा (20-10-1989 से) अंत:स्थापित ।

4.

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

(अध्याय 8-प्रकीर्ण ।)

(त) कोई भी विषय, जिसका केन्द्र सरकार द्वारा विहित किया जाना इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात है ।

[1][(2क) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत नियमों या उनमें से किसी को उस तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पूर्वतर न हो, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति होगी किन्तु नियम को ऐसा भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा, जिसमें निगम से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति के हित पर, जिसको ऐसा नियम लागू हो सकता हो, प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।]

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और तदुपरि इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो वे इस अधिनियम में अधिनियमित हों ।

[2][(4) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में [3][अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उक्त सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व] दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

96. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार, [4][निगम से परामर्श के पश्चात् और] पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए निम्नलिखित सभी विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए ऐसे नियम बना सकेगी जो इस अधिनियम से असंगत न हों, अर्थात्:-

(क) कर्मचारी बीमा न्यायालयों का गठन, उन व्यक्तियों की अर्हताएं जो उसके न्यायधीश नियुक्त किए जा सकेंगे और ऐसे न्यायधीशों की सेवा की शर्तें;

(ख) वह प्रक्रिया जिसका ऐसे न्यायालयों के समक्ष की कार्यवाहियों में अनुसरण किया जाएगा और ऐसे न्यायालयों द्वारा किए गए आदेशों का निष्पादन;

(ग) कर्मचारी बीमा न्यायालय को किए गए आवेदनों की बाबत संदेय शुल्क, ऐसे न्यायालय में की कार्यवाहियों के आनुषंगिक खर्चे, वह प्ररूप जिसमें उसको आवेदन किए जाने चाहिएं और ऐसे आवेदनों में विनिर्दिष्ट की जाने वाली विशिष्टियां;

(घ) अस्पतालों, औषधालयों और अन्य संस्थाओं की स्थापना, बीमाकृत व्यक्तियों या उनके कुटुम्बों को ऐसे किसी अस्पताल, औषधालय या अन्य संस्था का आबंटन;

(ङ) उस चिकित्सा हितलाभ का पैमाना जिसका किसी अस्पताल, क्लिनिक, औषधालय या संस्था में उपबन्ध किया जाएगा, चिकित्सीय अभिलेखों का रखा जाना और सांख्यिकीय विवरणियों का दिया जाना;

(च) उस कर्मचारीवृन्द, उपस्कर और औषधियों का प्रकार और परिमाण जिनका ऐसे अस्पतालों, औषधालयों और संस्थाओं में उपबन्ध किया जाएगा;

(छ) ऐसे अस्पतालों, औषधालयों और संस्थाओं में नियोजित कर्मचारीवृन्द की सेवा की शर्तें; तथा

(ज) कोई भी अन्य विषय, जिसका राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाना इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात है ।

(2) इस धारा के अधीन बनाए गए नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और तदुपरि इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो वे इस अधिनियम में अधिनियमित हों ।

[5][(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य-विधान-मंडल के, जहां दो सदन हों, प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधान-मंडल में एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।]

---

1. 1984 के अधिनियम सं. 45 की धारा 10 द्वारा (27-1-1985 से) अंत:स्थापित ।
2. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 38 द्वारा (28-1-1968 से) अंत:स्थापित ।
3. 1975 के अधिनियम सं. 38 की धारा 7 द्वारा (1-9-1975 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 39 द्वारा (28-1-1968 से) अंत:स्थापित ।
5. 1984 के अधिनियम सं. 45 की धारा 11 द्वारा (27-1-1985 से) अंत:स्थापित ।

97. निगम की विनियम बनाने की शक्ति—(1) निगम [1]***पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, निगम के कामकाज के प्रशासन के लिए और इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा, जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों ।

(2) विशिष्टत: और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:-

(i) निगम, स्थायी समिति और चिकित्सा हितलाभ परिषद् के अधिवेशनों का समय और स्थान और वह प्रक्रिया जिसका ऐसे अधिवेशनों में अनुसरण किया जाएगा;

[2][(iक) वह समय जिसके भीतर और वह रीति जिससे, कारखाना या स्थापन पंजीकृत किया जाएगा;]

(ii) वे विषय जो विनिश्चय के लिए स्थायी समिति द्वारा निगम को निर्देशित किए जाएंगे;

(iii) वह रीति, जिससे इस अधिनियम के अधीन संदेय कोई अंशदान निर्धारित और संगृहीत किया जाएगा;

[3][(iiiक) अंशदानों के विलंबित संदाय पर ब्याज की बारह प्रतिशत से उच्चतर दर;]

(iv) इस अधिनियम के अधीन संदेय अंशदान को नियत करने के प्रयोजन के लिए मजदूरी की संगणना;

[4][(ivक) कर्मचारियों का रजिस्टर आसन्न नियोक्ता द्वारा रखा जाना;

(ivख) किसी ऐसे दिन को जिसको व्यक्ति काम करता है या छुट्टी या अवकाश पर रहता है जिसकी बाबत वह मजदूरी प्राप्त करता है अथवा किसी ऐसे दिन के लिए जिसको वह हड़ताल पर रहता है, अस्थायी नि:शक्तता के लिए बीमारी-हितलाभ या नि:शक्तता-हितलाभ की हकदारी;]

(v) किसी नकद हितलाभ के लिए बीमारी और पात्रता का प्रमाणन;

[5][(vi) यह अवधारित करने की पद्धति कि क्या बीमाकृत व्यक्ति तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट रोगों में से एक या अधिक से पीड़ित है;]

(vii) किसी ऐसी हितलाभ का, जो नकद हितलाभ नहीं है, धन के रूप में मूल्य निर्धारित करना;

(viii) वह समय जिसके भीतर [6][और वह प्ररूप और रीति जिसमें] हितलाभ के लिए कोई दावा किया जा सकेगा, और वे विशिष्टियां जो ऐसे दावे में विनिर्दिष्ट की जाएंगी;

(ix) वे परिस्थितियां जिनमें कोई ऐसा कर्मचारी, जिसे नि:शक्तता हितलाभ मिल रहा है, पदच्युत, उन्मोचित या अवनत किया जा सकेगा या अन्यथा दंडित किया जा सकेगा;

(x) वह रीति जिससे और वह स्थान जहां और वह समय जब कोई हितलाभ दिया जाएगा;

(xi) संदेय नकद हितलाभ की रकम की गणना करने की पद्धति और वे परिस्थितियां जिनमें और वह विस्तार जिस तक नि:शक्तता हितलाभ और आश्रितजन-हितलाभ का संराशीकरण अनुज्ञात किया जा सकेगा और संराशीकरण मूल्य की गणना करने की पद्धति;

(xii) गर्भावस्था की या प्रसवावस्था की सूचना और बीमारी की सूचना और सबूत;

[(xiiक) उस प्राधिकारी का विनिर्दिष्ट किया जाना जो मातृत्व-हितलाभ के लिए पात्रता का प्रमाणपत्र देने के लिए सक्षम होगा;

---

1. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 44 द्वारा (20-10-1989 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया ।
2. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 40 द्वारा (28-1-1968 से) अंत:स्थापित ।
3. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 44 द्वारा (20-10-1989 से) खंड (iiiक) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 44 द्वारा (20-10-1989 से) अंत:स्थापित
5. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 40 द्वारा (28-1-1968 से) मूल खंड के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 40 द्वारा (28-1-1968 से) "और उस प्ररूप से जिनमें" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

(अध्याय 8-प्रकीर्ण ।)

(xiiख) किसी बीमाकृत महिला द्वारा यह नामनिर्देशित किए जाने की रीति कि उसकी या उसके बच्चे की मृत्यु हो जाने की दशा में मातृत्व-हितलाभ किसे संदत्त की जाए;

(xiiग) मातृत्व-हितलाभ या अतिरिक्त मातृत्व-हितलाभ के दावे के समर्थन में सबूत का पेश किया जाना;]

(xiii) वे दशाएं जिनमें कोई हितलाभ निलम्बित किया जा सकेगा;

(xiv) वे शर्तें जिनका किसी व्यक्ति द्वारा तब अनुपालन किया जाना है जब उसे हितलाभ प्राप्त हो रहा हो, और ऐसे व्यक्तियों की कालिक चिकित्सीय परीक्षा;

[1]* * * * * *

(xvi) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा-व्यवसायियों की नियुक्ति, ऐसे व्यवसायियों के कर्तव्य और चिकित्सक प्रमाणपत्रों का प्ररूप;

[2][(xviक) वे अर्हताएं और अनुभव जो बीमारी का प्रमाणपत्र देने के लिए किसी व्यक्ति के पास होने चाहिएं;

(xviख) चिकित्सक बोर्डों और चिकित्सा अपील अधिकरणों का गठन;]

(xvii) वे शास्तियां जो विनियमों के भंग के लिए कर्मचारियों पर जुर्माने द्वारा अधिरोपित की जा सकेंगी (ये शास्तियां प्रथम भंग के लिए दो दिन की मजदूरी से और किसी उत्तरवर्ती भंग के लिए तीन दिन की मजदूरी से अधिक न होंगी);

[3][(xviiक) शास्ति के रूप में वसूल की जाने वाली नुकसानी की रकम;

(xviiख) किसी रुग्ण औद्योगिक कम्पनी के संबंध में नुकसानी में कमी या उसके अधित्यजन के लिए निबन्धन और शर्तें;]

(xviii) वे परिस्थितियां जिनमें और वे शर्तें, जिनके अध्यधीन किसी विनियम को शिथिल किया जा सकेगा, वह विस्तार जिस तक ऐसा शिथिलीकरण किया जा सकेगा और वह प्राधिकारी जिसके द्वारा ऐसा शिथिलीकरण अनुदत्त किया जा सकेगा;

[4][(xix) वे विवरणियां जो प्रधान नियोक्ताओं और आसन्न नियोक्ताओं द्वारा निवेदित की जाएंगी और वे रजिस्टर या अभिलेख जो उनके द्वारा रखे जाएंगे, ऐसी विवरणियों, रजिस्टरों या अभिलेखों के प्ररूप, और वे समय जब ऐसी विवरणियां निवेदित की जानी चाहिएं और वे विशिष्टियां, जो ऐसी विवरणियां, रजिस्टरों और अभिलेखों में अन्तर्विष्ट होनी चाहिए;]

(xx) निरीक्षकों और निगम के अन्य अधिकारियों और सेवकों के कर्तव्य और शक्तियां;

[4][(xxi) [5][(महानिदेशक और वित्त आयुक्त) से भिन्न निगम के अधिकारियों और सेवकों की भर्ती की पद्धति, वेतन और भत्ते, अनुशासन, अधिवार्षिकी हितलाभ और सेवा की अन्य शर्तें;]

(xxii) वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण निगम को अंशदान प्रेषित करने में किया जाएगा; तथा

(xxiii) कोई ऐसा विषय, जिसकी बाबत इस अधिनियम द्वारा विनियमों का बनाया जाना अपेक्षित या अनुज्ञात है ।

[6][(2क) पूर्व प्रकाशन की शर्त उपधारा (2) के खण्ड (xxi) में विनिर्दिष्ट प्रकार के विनियमों को लागू नहीं होगी ।]

---

1. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 44 द्वारा (20-10-1989 से) खंड (xv)ं का लोप किया गया ।
2. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 40 द्वारा (28-1-1968 से) मूल खंड के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 44 द्वारा (20-10-1989 से) अंत:स्थापित ।
4. 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 25 द्वारा पूर्ववर्ती खंड के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 44 द्वारा (20-10-1989 से) "प्रधान अधिकारियों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. 1951 के अधिनियम सं. 25 की धारा 53 द्वारा अंत:स्थापित ।

(3) निगम द्वारा बनाए गए विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और तदुपरि इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो वे इस अधिनियम में अधिनियमित हों ।

[1][(4) प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, निगम द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा और वह सरकार उसकी एक प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखवाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

98. [निगम भाग ख राज्यों में कर्तव्यों का भार अपने ऊपर ले सकेगा ।—कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1951 (1951 का 53) की धारा 26 द्वारा निरसित ।

[2][**99. हितलाभों का वर्धन**—किसी भी समय जब निगम की निधियां इस प्रकार अनुज्ञात करें तब वह इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय किसी हितलाभ के पैमाने में और उस कालावधि में, जिसके लिए ऐसी हितलाभ दी जा सकेगी, वृद्धि कर सकेगा और बीमाकृत व्यक्तियों के कुटुम्बों के लिए चिकित्सीय देखरेख के खर्च का उपबन्ध कर सकेगा या उसकी प्रति अंशदान कर सकेगा ।

[3][**99क. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति**—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई पैदा हो तो केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो उसे उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया कोई भी आदेश, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं भी नियमों या विनियमों में उससे असंगत किसी बात के, होते हुए भी, प्रभावी होगा ।]

[4][**100. निरसन और व्यावृतियां**—यदि उस दिन से ठीक पहले जिसको यह अधिनियम [5][उन राज्यक्षेत्रों के, जो 1 नवम्बर, 1956 से ठीक पहले किसी भाग ख राज्य में समाविष्ट थे, किसी भाग में,] प्रवृत्त होता है, इस अधिनियम की तत्स्थानी कोई विधि [6][उस भाग] में प्रवृत्त है, तो वह विधि उस दिन निरसित हो जाएगी :

परन्तु वह निरसन—

(क) ऐसी किसी विधि के पूर्व प्रवर्तन पर, अथवा

(ख) ऐसी किसी विधि के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड पर, अथवा

(ग) ऐसे किसी अन्वेषण या उपचार पर जो ऐसी किसी शास्ति, समपहरण या दंड की बाबत हो,

प्रभाव नहीं डालेगा, और ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार वैसे ही संस्थित किया जा सकेगा, चालू रखा जा सकेगा या प्रवर्तित कराया जा सकेगा और ऐसी शास्ति, समपहरण या दंड वैसे ही अधिरोपित किया जा सकेगा, मानो यह अधिनियम पारित न किया गया हो :

परन्तु यह और कि ऐसी किसी विधि के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, पूर्ववर्ती परन्तुक के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्ध के अधीन की गई समझी जाएगी और वह तदनुसार तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अधिक्रमित नहीं कर दी जाती ।]

---

1. 1984 के अधिनियम सं. 45 की धारा 12 द्वारा (27-1-1985 से) अंत:स्थापित ।
2. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 45 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) धारा 99 निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

   "99. **बीमाकृत व्यक्तियों के कुटुम्बों के लिए चिकित्सीय देखरेख**—निगम किसी भी समय जब उसकी निधि इस प्रकार अनुज्ञात करे, बीमाकृत व्यक्तियों के कुटुम्बों के लिए चिकित्सीय देखरेख के खर्च हेतु उपबन्ध कर सकेगा या अंशदान कर सकेगा"।
3. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 41 द्वारा (17-1-1967 से) अंत:स्थापित ।
4. 1951 के अधिनियम सं. 53 की धारा 27 द्वारा अंत:स्थापित ।
5. विधि अनुकूलन (सं. 3) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ख राज्य में" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. विधि अनुकूलन (सं. 3) आदेश, 1956 द्वारा "उस राज्यं" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

(प्रथम अनुसूची ।)

[1][[2]**प्रथम अनुसूची**

(धाराएं 39, 49, 50, 51 और 52 देखिए)

[3][1. किसी मजदूरी कालावधि के लिए अंशदान की रकम,—

(क) नियोक्ता के अंशदान की बाबत किसी कर्मचारी को संदेय मजदूरी के पांच प्रतिशत के बराबर (पांच पैसे के ठीक अगले गुणज तक पूर्णांकित की गई) राशि होगी;

(ख) कर्मचारी के अंशदान की बाबत, किसी कर्मचारी की संदेय मजदूरी के दो सही एक बटा चार प्रतिशत के बराबर (पांच पैसे के ठीक अगले गुणज तक पूर्णांकित की गई) राशि होगी ।]

2. औसत दैनिक मजदूरी [4][धारा 42 और इस अनुसूची के पैरा 6 के उपपैरा (ख) के प्रयोजनों के लिए मजदूरी कालावधि के दौरान]—

(क) उस कर्मचारी की बाबत जो कालानुपाती दर के आधार पर नियोजित है, वह होगी जो यदि उसने उस मजदूरी कालावधि में सभी कार्य दिवसों पर काम किया होता तो, पूरी मजदूरी-कालावधि के लिए संदेय मजदूरी की रकम को यदि वह कर्मचारी मासिक दर पर है तो 26 से, यदि पाक्षिक दर पर है तो 13 से, यदि साप्ताहिक दर पर है तो 6 से, और यदि दैनिक दर पर है तो 1 से विभाजित करने पर प्राप्त हो;

(ख) उस कर्मचारी की बाबत जो किसी अन्य आधार पर नियोजित है, वह होगी जो अंशदान-कालावधि में [5]*** पूर्ण मजदूरी कालावधि के दौरान उपार्जित मजदूरी की रकम को उन दिनों की संख्या से, जिनमें उसने पूरे दिन या दिन के भाग में मजदूरी के लिए उस मजदूरी कालावधि में काम किया था, विभाजित करने पर प्राप्त हो :

परन्तु जहां कर्मचारी ऐसी मजदूरी-कालावधि के दौरान किसी दिन बिना काम किए हुए भी मजदूरी प्राप्त कर लेता है वहां यदि मजदूरी-कालावधि एक मास, एक पक्ष, एक सप्ताह या एक दिन रही है तो क्रमश: यह समझा जाएगा कि उसने 26, 13, 6 या 1 दिन काम किया है ।

स्पष्टीकरण 1—जहां कोई रात्रि-पारी मध्य-रात्रि के पश्चात् तक चालू रहती है वहां मध्य-रात्रि के पश्चात् रात्रि-पारी की कालावधि की गणना उन दिनों की संगणना में जिनमें काम किया गया है पूर्ववर्ती दिन के भाग के रूप में की जाएगी ।

[6]* * * * * *

[4][2क. इस अनुसूची के पैरा 4, पैरा 5 और पैरा 6 के उपपैरा (क) के प्रयोजनों के लिए किसी कर्मचारी की बाबत अंशदान-कालावधि के दौरान औसत दैनिक मजदूरी उस अवधि के दौरान उसको संदेय मजदूरी की कुल रकम के एक सौ पंद्रह प्रतिशत के बराबर राशि होगी जो उन दिनों की संख्या से (जिनके अन्तर्गत सवेतन अवकाश दिन और छुट्टी के दिन हैं), जिनके लिए ऐसी मजदूरी संदेय थी, विभाजित करने पर प्राप्त हो ।]

[7][3. नीचे दी गई सारणी के प्रथम स्तम्भ में विनिर्दिष्ट कर्मचारियों के समूह की बाबत हितलाभ की दैनिक दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मानक हितलाभ दर" कहा गया है) वह रकम होगी, जो उसके द्वितीय स्तम्भ की तत्संबंधी प्रविष्टि में क्रमश: विनिर्दिष्ट है ।

---

1. 1966 के अधिनियम सं. 44 की धारा 42 द्वारा (28-1-1968 से) मूल अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 46 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) प्रथम अनुसूची का लोप किया जाएगा ।
3. 1984 के अधिनियम सं. 45 की धारा 13 द्वारा (27-1-1985 से) पैरा 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1984 के अधिनियम सं. 45 की धारा 13 द्वारा (27-1-1985 से) अंत:स्थापित ।
5. 1984 के अधिनियम सं. 45 की धारा 13 द्वारा (27-1-1985 से) "पहली" शब्द का लोप किया गया ।
6. 1984 के अधिनियम सं. 45 की धारा 13 द्वारा (27-1-1985 से) स्पष्टीकरण 2 का लोप किया गया ।
7. 1984 के अधिनियम सं. 45 की धारा 13 द्वारा (27-1-1985 से) "पैरा 3 और उसके नीचे दी गई सारणी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

(प्रथम अनुसूची |)

सारणी

	उन कर्मचारियों का समूह जिनकी औसत दैनिक मजदूरी	तत्संबंधी दैनिक मानक हितलाभ दर
	(1)	(2)
		रु. पै.
1.	6 रुपये से कम है	2.50
2.	6 रुपये और इससे अधिक है किन्तु 8 रुपये से कम है	3.50
3.	8 रुपये और इससे अधिक है किन्तु 12 रुपये से कम है	5.00
4.	12 रुपये और इससे अधिक है किन्तु 16 रुपये से कम है	7.00
5.	16 रुपये और इससे अधिक है किन्तु 24 रुपये से कम है	10.00
6.	24 रुपये और इससे अधिक है किन्तु 36 रुपये से कम है	15.00
7.	36 रुपये और इससे अधिक है	20.00]

4. किसी व्यक्ति की बाबत किसी हितलाभ-कालावधि के दौरान बीमारी-हितलाभ की दैनिक दर उस व्यक्ति की तत्संबंधी अंशदान कालावधि के दौरान की औसत दैनिक मजदूरी की तत्संबंधी मानक हितलाभ दर होगी|

5. ऐसी प्रसवावस्था की बाबत, जो किसी हितलाभ-कालावधि के दौरान हो या प्रत्याशित हो, संदेय मातृत्व-हितलाभ की दैनिक दर बीमाकृत महिला की बाबत तत्संबंधी अंशदान कालावधि के दौरान की औसत दैनिक मजदूरी की तत्संबंधी मानक हितलाभ दर के दुगुने के बराबर होगी |

6.(क) नि:शक्तता-हितलाभ और आश्रितजन-हितलाभ की दैनिक दर वह होगी जो उस हितलाभ-कालावधि की, जिसमें रोजगार-क्षति होती है, तत्संबंधी अंशदान-कालावधि में की औसत दैनिक मजदूरी की तत्संबंधी मानक हितलाभ दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक होगी और जिसे बढ़ाकर पांच पैसे के अगले गुणज तक कर लिया जाएगा |

(ख) जहां कोई रोजगार-क्षति किसी व्यक्ति की बाबत पहली हितलाभ-कालावधि के प्रारम्भ से पूर्व घटित होती है वहां नि:शक्तता-हितलाभ और आश्रितजन-हितलाभ की दैनिक दर—

(i) जहां किसी व्यक्ति को रोजगार क्षति उस अंशदान-कालावधि में, जिसमें वह क्षति घटित होती है, प्रथम मजदूरी-कालावधि के अवसान के पश्चात् होती है वहां, वह दर होगी जो उस मजदूरी समूह की, जिसमें उस मजदूरी-कालावधि के दौरान की उसकी औसत दैनिक मजदूरी आती है, तत्संबंधी मानक हितलाभ दर से 25 प्रतिशत अधिक होगी और जिसे बढ़ाकर पांच पैसे के अगले गुणज तक कर लिया जाएगा;

(ii) जहां किसी व्यक्ति को रोजगार-क्षति उस अंशदान-कालावधि में, जिसमें वह क्षति घटित होती है, प्रथम मजदूरी-कालावधि के अवसान से पूर्व होती है वहां, वह दर होगी जो उस समूह की, जिसमें वस्तुत: उपार्जित मजदूरी या वह मजदूरी आती है जो यदि दुर्घटना की तारीख को उसने पूरे दिन काम किया होता तो उपार्जित की गई होती, तत्संबंधी मानक हितलाभ दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक होगी और जिसे बढ़ाकर पांच पैसे के अगले गुणज तक कर लिया जाएगा |

यथापूर्वोक्त संगणित नि:शक्तता-हितलाभ या आश्रितजन-हितलाभ की दर, "पूरी दर" कहलाएगी |

7. नि:शक्तता-हितलाभ बीमाकृत व्यक्ति को निम्नलिखित रूप में संदेय होगी :-

(क) अस्थायी नि:शक्तता के लिए, पूरी दर पर;

(ख) स्थायी पूर्ण नि:शक्तता के लिए, पूरी दर पर;

(ग) द्वितीय अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट क्षति के परिणामस्वरूप हुई स्थायी आंशिक नि:शक्तता के लिए उस पूरी दर के, जो स्थायी पूर्ण नि:शक्तता की दशा में संदेय होती, उतने प्रतिशत पर जो उक्त अनुसूची में उस क्षति द्वारा कारित उपार्जन सामर्थ्य की हानि के प्रतिशत के रूप में विनिर्दिष्ट है;

(घ) उस क्षति के, जो द्वितीय अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट नहीं है, परिणामस्वरूप हुई स्थायी आंशिक नि:शक्तता के लिए उस पूरी दर के, जो स्थायी पूर्ण नि:शक्तता की दशा में संदेय होती, उतने प्रतिशत पर जितना उस क्षति द्वारा स्थायी रूप से कारित उपार्जन सामर्थ्य की हानि का आनुपातिक हो |

स्पष्टीकरण—जहां एक ही दुर्घटना से एक से अधिक क्षतियां कारित होती हैं वहां खण्डों (ग) और (घ) के अधीन संदेय हितलाभ की दर संकलित कर ली जाएगी किन्तु किसी भी दशा में ऐसे संकलित नहीं की जाएगी कि वह पूरी दर से अधिक हो जाए;

(ङ) नि:शक्तता की उन दशाओं में जो खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) के अन्तर्गत नहीं आती; पूरी दर से अनधिक ऐसी दर पर, जो विनियमों में उपबन्धित की जाए |

8. बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु की दशा में आश्रितजन-हितलाभ उसकी विधवा और बच्चों को निम्नलिखित रूप में संदेय होगा :-

(क) विधवा को जीवनपर्यन्त या पुनर्विवाह तक पूरी दर की तीन पंचमांश के समतुल्य रकम और यदि दो या अधिक विधवाएं हैं तो विधवा को यथापूर्वोक्त संदेय रकम उन विधवाओं में बराबर-बराबर विभाजित कर दिया जाएगा;

(ख) हर एक धर्मज या दत्तक पुत्र को, पूरी दर के दो पंचमांश के समतुल्य रकम, जब तक वह अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता :

परन्तु ऐसे धर्मज पुत्र की दशा में, जो शिथिलांग है और जो बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके उपार्जन पर पूर्णत: आश्रित है, आश्रितजन-हितलाभ तब तक दिया जाता रहेगा जब तक वह अंगशैथिल्य बना रहता है;

(ग) हर एक धर्मज या दत्तक अविवाहिता पुत्री को, पूरी दर के दो पंचमांश के समतुल्य रकम तब तक जब तक वह अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती या उसका विवाह नहीं हो जाता, इन दोनों में से जो भी पहले हो :

परन्तु ऐसी धर्मज या दत्तक अविवाहिता पुत्री की दशा में जो शिथिलांग है और बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके उपार्जन पर पूर्णत: आश्रित है आश्रितजन-हितलाभ तब तक दिया जाता रहेगा जब तक वह अंगशैथिल्य बना रहता है और वह अविवाहिता रहती है :

परन्तु यह और कि यदि मृत व्यक्ति की विधवा या विधवाओं और धर्मज या दत्तक संतान के बीच, जैसा ऊपर कहा गया है, वितरित आश्रितजन- हितलाभों का योग किसी भी समय पूरी दर से अधिक हो जाए तो आश्रितों में से हर एक का अंश अनुपातत: ऐसे कम कर दिया जाएगा कि उन्हें संदेय कुल रकम पूरी दर पर नि:शक्तता-हितलाभ की कुल रकम से अधिक न हो |

9. उस दशा में, जब मृत व्यक्ति कोई विधवा या धर्मज या दत्तक संतान नहीं छोड़ जाता है आश्रितजन-हितलाभ अन्य आश्रितों को निम्नलिखित रूप में संदेय होगा :-

(क) माता या पिता, या पितामह या पितामही को जीवन पर्यन्त पूरी दर के त्रिदशांश के समतुल्य रकम, और यदि दो या अधिक माता-पिता या पितामह-पितामही हों तो माता-पिता या पितामह-पितामही को यथापूर्वोक्त संदेय रकम उनके बीच बराबर-बराबर विभाजित कर दी जाएगी,

(ख) किसी अन्य—

(i) पुरुष आश्रितजन को, जब तक वह अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता;

(ii) महिला आश्रितजन को, जब तक वह अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती या उसका विवाह नहीं हो जाता, इनमें से जो भी पहले हो, या यदि विधवा है तो जब तक वह अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती,

पूरी दर के दो दशांश के समतुल्य रकम, परन्तु यदि खण्ड (ख) के अधीन आश्रितजन एक से अधिक हों तो इस खण्ड के अधीन संदेय रकम उनके बीच बराबर-बराबर विभाजित कर दी जाएगी ||

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

(द्वितीय अनुसूची I)

द्वितीय अनुसूची

[धारा 2 (15क) और (15ख) देखिए]

क्रम संख्यांक	क्षति का वर्णन	उपार्जन सामर्थ्य की हानि का प्रतिशत
	भाग 1	
	उन क्षतियों की सूची जिनके बारे में समझा जाता है कि उनके परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण नि:शक्तता हुई है	
1.	दोनों हाथों की हानि या उच्चतर स्थानों पर विच्छेदन	100
2.	एक हाथ और एक पाद की हानि	100
3.	टांग या उरू से दोहरा विच्छेदन, या एक ओर टांग या उरू से विच्छेदन और दूसरे पाद की हानि	100
4.	दृक् शक्ति की इस विस्तार तक हानि कि दावेदार ऐसा कोई काम करने में असमर्थ हो जाता है जिसके लिए दृक् शक्ति आवश्यक है	100
5.	चेहरे की बहुत गम्भीर विद्रुपता	100
6.	पूर्ण बधिरता	100
	भाग 2	
	उन क्षतियों की सूची जिनके बारे में समझा जाता है कि उनके परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण नि:शक्तता हुई है	
	विच्छेदन के मामले—उर्ध्व शाखा (कोई भी भुजा)	
7.	स्कन्ध-संधि से विच्छेदन	90
8.	स्कंध से नीचे विच्छेदन, जब कि स्थूणक अंसकूट के सिरे के 20.32 सेंटीमीटर से कम हो	80
9.	अंसकूट के सिरे से 20.32 सेंटीमीटर से कूर्पर के सिरे के नीचे 11.43 सेंटीमीटर से कम तक विच्छेदन	70
10.	एक हाथ की या एक हाथ के अंगूठे और चारों अंगुलियों की हानि, या कूर्पर से सिरे से 11.43 सेंटीमीटर से नीचे विच्छेदन	60
11.	अंगूठे की हानि	30
12.	अंगूठे की और उसकी करभ-अस्थि की हानि	40
13.	एक हाथ की चार अंगुलियों की हानि	50
14.	एक हाथ की तीन अंगुलियों की हानि	30
15.	एक हाथ की दो अंगुलियों की हानि	20
16.	अंगूठे की अन्तिम अंगुलि-अस्थि की हानि	20
[1][16क.	अस्थि की हानि के बिना अंगूठे के सिरे का गिलोटिन विच्छेदन	10]
	विच्छेदन के मामले—अध: शाखा	
17.	दोनों पादों का विच्छेदन जिसके परिणामस्वरूप अन्तांग मात्र रह जाए	90
18.	प्रपदांगुली-अस्थि संधि के निकट से दोनो पादों का विच्छेदन	80
19.	प्रपदांगुली-अस्थि संधि के पादों की सब अंगुलियों की हानि	40
20.	निकटस्थ अंतरांगुली-अस्थि संधि के निकट दोनों पादों की सब अंगुलियों की हानि	30
21.	निकटस्थ अंतरांगुली-अस्थि संधि से दूर दोनों पादों की सब अंगुलियों की हानि	20

1. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 47 द्वारा (20-10-1989 से) अंत:स्थापित ।

(द्वितीय अनुसूची ।)

क्रम संख्यांक	क्षति का वर्णन	उपार्जन सामर्थ्य की हानि का प्रतिशत
22.	नितम्ब पर विच्छेदन	90
23.	नितम्ब से नीचे विच्छेदन, जब कि स्थूणक बृहत उरु-अस्थि के सिरे से नापे जाने पर 12.70 सैंटीमीटर से अधिक लम्बा न हो	80
24.	नितम्ब से नीचे विच्छेदन, जब कि स्थूणक बृहत उरु-अस्थि के सिरे से नापे जाने पर 12.70 सैंटीमीटर से अधिक लम्बा हो, किन्तु मध्योरु से आगे न हो	70
25.	मध्योरु के नीचे से घुटने के 8.89 सैंटीमीटर नीचे तक विच्छेदन	60
26.	घुटने से नीचे विच्छेदन, जब कि स्थूणक 8.89 सैंटीमीटर से अधिक हो, किन्तु 12.70 सैंटीमीटर से अधिक न हो	50
27.	घुटने से नीचे विच्छेदन, जब कि स्थूणक 12.70 सैंटीमीटर से अधिक हो	[1][50]
28.	एक पाद का विच्छेदन जिसके परिणामस्वरूप अन्तांग मात्र रह जाए	[2][50]
29.	प्रपदांगुलि-अस्थि संधि के निकट से एक पाद का विच्छेदन	[2][50]
30.	प्रपदांगुलि-अस्थि संधि से एक पाद की सब अंगुलियों की हानि	20
	अन्य क्षतियां	
31.	एक नेत्र की हानि, जब कि कोई अन्य उपद्रव न हो और दूसरा नेत्र प्रसामान्य हो	40
32.	एक नेत्र की दृष्टि की हानि, जब कि नेत्रगोलक में उपद्रव या विद्रुपता न हो और दूसरा नेत्र प्रसामान्य हो	30
[3][32क.	एक नेत्र की दृष्टि की आंशिक हानि	10
हानि	**क—दाएं या बाएं हाथ की अंगुलियां**	
	तर्जनी	
33.	सम्पूर्ण	14
34.	दो अंगुलि-अस्थियां	11
35.	एक अंगुलि-अस्थि	9
36.	अस्थि की हानि के बिना सिरे का गिलोटिन विच्छेदन	5
	मध्यमा	
37.	सम्पूर्ण	12
38.	दो अंगुलि-अस्थियां	9
39.	एक अंगुलि-अस्थि	7
40.	अस्थि की हानि के बिना सिरे का गिलोटिन विच्छेदन	4
	अनामिका या कनिष्ठिका	
41.	सम्पूर्ण	7
42.	दो अंगुलि-अस्थियां	6
43.	एक अंगुलि-अस्थि	5
44.	अस्थि की हानि के बिना सिरे का गिलोटिन विच्छेदन	2

1. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 47 द्वारा (20-10-1989 से) "40" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 47 द्वारा (20-10-1989 से) "30" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1989 के अधिनियम सं. 29 की धारा 47 द्वारा (20-10-1989 से) अंत:स्थापित ।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

(द्वितीय अनुसूची | तृतीय अनुसूची |)

क्रम संख्यांक		क्षति का वर्णन	उपार्जन सामर्थ्य की हानि का प्रतिशत	
		ख—दाएं या बाएं पाद की अंगुलियां **अंगूठा**		
	45.	प्रपदांगुलि-अस्थि सन्धि से	14	
	46.	उसका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित	3	
		कोई अन्य अंगुलि		
	47.	प्रपदांगुलि-अस्थि सन्धि से	3	
	48.	उसका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित	1	
		अंगूठे को छोड़कर एक पाद की दो अंगुलियां		
	49.	प्रपदांगुलि-अस्थि सन्धि से	5	
	50.	उसका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित	2	
		अंगूठे को छोड़कर एक पाद की तीन अंगुलियां		
	51.	प्रपदांगुलि-अस्थि सन्धि से	6	
	52.	उसका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित	3	
		अंगूठे को छोड़कर एक पाद की चार अंगुलियां		
	53.	प्रपदांगुलि-अस्थि सन्धि से	9	
	54.	उसका भाग, कुछ अस्थि की हानि सहित	3	

टिप्पणी—इस अनुसूची में निर्दिष्ट किसी अंग या अवयव के उपयोग की पूर्ण तथा स्थायी हानि उस अंग या अवयव की हानि के समतुल्य समझी जाएगी |

[1][तृतीय अनुसूची

(धारा 52क देखिए)

उपजीविकाजन्य रोगों की सूची

क्रम सं.	**उपजीविकाजन्य रोग**	**नियोजन**
(1)	(2)	(3)
	भाग क	
1.	संक्रामक और परजीवी रोग, जो उस उपजीविका से हुआ हो जहां संदूषण की विशिष्ट जोखिम हो	(क) सभी कार्य जो स्वास्थ्य या प्रयोगशाला कार्य के लिए उच्छन्न करते हों; (ख) सभी कार्य जो पशु चिकित्सा कार्य के लिए उच्छन्न करते हों; (ग) जीव-जंतुओं, जीव-जंतु शवों, ऐसे शवों के भागों या व्यापारिक माल के, जो जीव-जंतुओं या जीव-जन्तु शवों द्वारा संदूषित हो गया हो, हथालने से संबंधित कार्य; (घ) अन्य कार्य जिसमें संदूषण की विशिष्ट जोखिम हो	

1- 1984 के अधिनियम सं. 45 की धारा 14 द्वारा (27-1-1985 से) प्रतिस्थापित |

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

(तृतीय अनुसूची ।)

(1)	(2)	(3)
2.	संपीड़ित वायु में कार्य द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
3.	सीसा या उसके विषालु सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
4.	नाइट्रस धूमों द्वारा विषाक्तता ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
5.	कार्बनिक फॉस्फोरस सम्मिश्रणों द्वारा विषाक्तता ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
	भाग ख	
1.	फॉस्फोरस या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
2.	पारद या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
3.	बनजीन या उसके विषैलै समजातों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
4.	नाइट्रो और बेनजीन के एमिडो विषैले व्युत्पन्नों अथवा उसके समजातों द्वारा कारित रोग	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
5.	क्रोमियम या उसके विषैलै सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
6.	संखिया या उसके विषैलै सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
7.	रेडियो-एक्टिव पदार्थों और आयनीकारी विकिरणों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
8.	तारकोल, डामरपिच, बिटूमन, खनिज तेल, ऐन्थ्रसीन या इन पदार्थों के सम्मिश्रणों; उत्पादों या अवशेषों द्वारा कारित त्वचा का प्राथमिक उपकलार्बुदयुक्त कैंसर ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
9.	(ऐलिफटिक एनडेरोमेटिक आवलियों के) हाइड्रोकार्बनों के विषैले हेलोजन व्युत्पन्नों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
10.	कार्बन डाइसल्फाइट द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
11.	अवरक्त विकिरणों से उत्पन्न उपजीविकाजन्य मोतियाबिंद	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
12.	मैंगनीज या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
13.	शारीरिक, रासायनिक या जैविक कारकों द्वारा, जो अन्य मदों में सम्मिलित नहीं है, कारित त्वचा रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।

(तृतीय अनुसूची ।)

(1)	(2)	(3)
14.	शोर द्वारा कारित श्रवण हानि ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
15.	प्रतिस्थापी डाइनाइट्रोफीनाल या ऐसे पदार्थों के लवणों द्वारा विषाक्तता ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
16.	वेरिलियम या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
17.	कैडमियम या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
18.	कार्य प्रक्रिया में अन्तर्विष्ट मान्यताप्राप्त सुग्राही कारकों द्वारा कारित उपजीविकाजन्य दमा ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
19.	फ्लुओरीन या उसके विषैले सम्मिश्रणों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
20.	नाइट्रोग्लिसरिन या अन्य नाइट्रो एसिड एस्टरों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
21.	एलकोहॉलों और कीटोनों द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
22.	श्वास रोध, कार्बनमोनोक्साइड और उसके विषैले व्युत्पन्नों, हाईड्रोजन, सल्फाइड द्वारा कारित रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
23.	एस्बैस्ट्रॉस द्वारा कारित फेफड़ा कैंसर और मीजिथीलिओमा ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
24.	मूत्राशय का वृक्क (किडनी) या मूत्रवाहिनी की एपिथिलीअल लाइनिंग का प्राथमिक अबुर्द ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
	भाग ग	
1.	स्कैलेरोजेनिक खनिज धूल (सिलिकोसिस सभी एन्थ्रओसिलिकोसिस एस्बैस्टॉमस) द्वारा कारित फुफ्फुसधूलिमयता और सिकता यक्षमा परन्तु यह कि सिकतामयता परिणामी निर्योग्यता या मृत्यु कारित करने में आवश्यक घटक हो ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
2.	इक्षुधुलिमयता ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
3.	रुई, फ्लैक्सहैम्प और सीसल धूली (बिसिनोसिस) द्वारा कारित श्वास फुफ्फुस रोग ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
4.	कार्बनिक धूल के अभिश्वासन द्वारा कारित बहिरस्थ एलर्जी एल्वियोलाइटीज ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।
5.	कठोर धातुओं द्वारा कारित श्वासनी फुफ्फुस ।	सभी कार्य जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हों ।]

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

(उपाबन्ध I)

उपाबन्ध

विभिन्न क्षेत्रों में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होने की तारीख

तारीख	उपबन्ध	क्षेत्र	अधिसूचना संख्या इत्यादि
(1)	(2)	(3)	(4)
1-9-1948	अध्याय 1, 2, 3 और 8	भारत के समस्त प्रांत	भारत के राजपत्र (अंग्रेजी), 1948, असाधारण, पृष्ठ 1417 में प्रकाशित, एस.एस. 21 (2), (1), तारीख 31 अगस्त, 1948।
1-4-1950	अध्याय 4 की धारा 44 तथा 45 और अध्याय 7	समस्त भाग-क राज्य, अजमेर, कोड्रगु, दिल्ली और अन्डमान और निकोबार द्वीप	भारत के राजपत्र (अंग्रेजी), 1950, भाग 1, खण्ड 1, पृष्ठ 64 में प्रकाशित, एस.एस. 121 (32), तारीख 3 अप्रैल, 1950।
1-12-1950	अध्याय 1, 2, 3, 7 तथा 8 और अध्याय 4 की धारा 44 तथा 45	हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर, कच्छ, भोपाल, त्रिपुरा, विन्ध्य प्रदेश और मणिपुर	भारत के राजपत्र (अंग्रेजी), 1950, भाग 2, खण्ड 3, पृष्ठ 1027 में प्रकाशित, का.नि.आ. 917, 2 दिसम्बर, 1950।
24-11-1951	यथोक्त	जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर समस्त भाग-ख राज्य	भारत के राजपत्र 1951, भाग 2, खण्ड 3, पृष्ठ 2023 में प्रकाशित, का.नि.आ. 1832, तारीख 24 नवम्बर, 1951।
24-11-1951	अध्याय 5क	जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत	यथोक्त।
24-2-1952	अध्याय 4 (धारा 44 तथा 45 के सिवाय) अध्याय 5 और अध्याय 6	दिल्ली राज्य और उत्तर प्रदेश का कानपुर क्षेत्र	भारत के राजपत्र (अंग्रेजी), 1952, भाग 2, खण्ड 3, पृष्ठ 271 में प्रकाशित, का.नि.आ. 251, तारीख 1 फरवरी, 1952।
1-9-1952	धारा 76 की उपधारा (1), अध्याय 6 की धारा 77, 78, 79 और 81	जम्मू-कश्मीर राज्य, दिल्ली राज्य तथा उत्तर प्रदेश के कानपुर क्षेत्र को छोड़कर	भारत के राजपत्र (अंग्रेजी), 1952, भाग 2, खण्ड 3, पृष्ठ 1468 में प्रकाशित, का.नि.आ. 1576, तारीख 3 सितम्बर, 1952 I
1-9-1954	अध्याय 1, 2, 3, 5क, 7, 8 और अध्याय 4 की धारा 44 और 45	संयुक्त खासी-जैंयन्नियां पहाड़ी जिला, गारो पहाड़ी जिला, लुशाही पहाड़ी जिला, उत्तरी काछार पहाड़ियां, मिकिर पहाड़ियां	भारत के राजपत्र (अंग्रेजी), 1954, भाग 2, खण्ड 3, पृष्ठ 2215 में प्रकाशित, का.नि.आ. 2972, तारीख 1 सितम्बर, 1954 I
1-9-1971	अध्याय 1, 2, 3, 5क, 7 और 8 तथा अध्याय 4 की 44 और 45 धाराएं	गोआ, दमण तथा दीव के संघ राज्यक्षेत्र	भारत के राजपत्र (अंग्रेजी), 1971, असाधारण भाग 2, खण्ड 3(ii), पृष्ठ 2687 में प्रकाशित, एस.ओ. 3262, तारीख 1 सितम्बर, 1971।
20-11-1971	अध्याय 1, 2, 3, 7 और 8 तथा अध्याय 4 की धारा 44 और धारा 45	जम्मू-कश्मीर राज्य	भारत के राजपत्र (अंग्रेजी), 1971, भाग 2, खण्ड 3(ii), पृष्ठ 6264 में प्रकाशित, का.नि.आ. 6163, तारीख 26 अक्तूम्बर, 1971 I

उन अधिसूचनाओं के लिए, जिनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों, नगरों, कस्बों और औद्योगिक क्षेत्रों में अध्याय 4 (धारा 44 और धारा 45 को छोड़कर), अध्याय 5 और अध्याय 6 (धारा 76 की उपधारा (1), धारा 77, धारा 78, धारा 79 और धारा 81 को छोड़कर) प्रवृत्त किए गए थे, देखिए भारत का राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3 I